वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2010-2011

यूको बैंक UCO BANK

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

हमसे संपर्क करें Visit us at - www.ucobank.com

यूको बैंक
UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02
निदेशक मंडल Board of Directors	03
वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-21
वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	22
नामांकन फार्म/घोषणा-पत्र/जीवनवृत्त फार्म Nomination form/Declaration/Bio-data form	23-30
शाखा नेटवर्क /प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण एवं क्षे.ग्रा.बैंक (तालिका I,II एवं III) Branch Network/Priority Sector Credit & RRBs (Table I, II & III)	31
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	32-51
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	52-85
कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र Auditor's Certificate on Corporate Governance	86-87
तुलन-पत्र 2010-11 / Balance Sheet 2010-11	88-89
लाभ-हानि लेखा / Profit & Loss A/c	90-91
लेखों से संबंधित अनुसूची/Schedule to Accounts	92-136
भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	137-138
नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	139-140
बासेल-II प्रकटीकरण / Basel-II Disclosures	141-155
परोक्षी फार्म / Proxy Form	156
ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	157
उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	160

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
निर्वाचन में भाग लेने के लिए हकदारी हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for entitlement to participate in the Election.	03.06.2011
वार्षिक आम बैठक 2010-11 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि Period of Book closure for AGM 2010-11	07.07.2011 से to 14.07.2011
नामांकन के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख Last date for submission of nomination	29.06.2011
परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	09.07.2011
नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख Last date for withdrawal of nomination	13.07.2011

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
वार्षिक आम बैठक 2010-11 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2010-11	14.07.2011 प्रातः 11.00 A.M.

पूर्वश्री आडिटोरियम ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201,सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106

Purbashree Auditorium Eastern Zonal Cultural Centre,Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

1. मे० चटर्जी एंड कंपनी — 153, रासबिहारी एवेन्यू, तीसरा तल, कोलकाता-700 029
   M/s CHATTERJEE & CO. — 153, Rash Behari Avenue, 3rd floor, Kolkata - 700 029
2. मे० डी.आर. महनोत एंड कंपनी — नंक्षत्र प्राइड, बी-1, सी-35-ए, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302 001
   M/s D. R. MOHNOT & CO. — Nakshtra Pride, B-1, C35-A, Lajpat Marg, C-Scheme, Jaipur- 302 001
3. मे० गोयल गर्ग एंड कंपनी — 18, नैशनल पार्क, लाजपत नगर - IV, नई दिल्ली -110 024
   M/s GOEL GARG & CO. — 18, National Park, Lajpat Nagar - IV. New Delhi - 110 024
4. मे० बंसल एंड कंपनी — ए-6, महारानी बाग, नई दिल्ली-110 065
   M/s BANSAL & CO. — A-6, Maharani Bagh, New Delhi - 110 065
5. मे० कोठारी एंड कंपनी — 1-ई, नीलकंठ, 26बी, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
   M/s KOTHARI & CO. — 1-E, Neelkanth, 26B, Camac Street, Kolkata - 700 016
6. मे० बावेजा एंड कौल — 23-ए/सी, पहल तल, विहाइन्ड स्पाइस कोर्ट, गान्धी नगर, जम्मू-तवइ-180 004
   M/s BAWEJA AND KAUL. — 23A/C, Ist Floof, Behind Spice Court Gandhi Nagar, Jammu-Tawi - 180 004

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081
टेलीफोन सं. (040) 44655000
फैक्स सं. (040) 23420814
ई.मेल आईडी einword.ris@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

Telephone No. (040) 44655000
FAX No. (040)23420814
E.Mail ID einword.ris@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चेम्वर ऑफ कॉमर्श लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	105-108 अरुणाचल भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 फोन : 011-4350-9200
At New Delhi	:	105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001 Phone : 011-4350-9200
कोलकाता	:	49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029 फोन : 033-2464-7231/ 32
At Kolkata	:	49, Jatin Das Road (Off. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029 Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Arun Kaul
Chairman & Managing Director

श्री अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajai Kumar
Executive Director

श्री एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
Shri N. R. Badrinarayanan
Executive Director

श्री समीर कुमार सिन्हा
निदेशक
Shri Samir Kumar Sinha
Director

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
Smt. Uma Shankar
Director

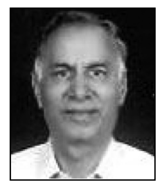

श्री जयदेव गुप्ता
निदेशक
Shri Jaidev Gupta
Director

श्री संजीव जैन
निदेशक
Shri Sanjeev Jain
Director

प्रो. सेबास्टियन लुकोस मॉरिस
निदेशक
Prof. Sebastian Luckose Morris
Director

श्री राम अवतार शर्मा
निदेशक
Shri Ram Avtar Sharma
Director

मों. अखरुज्जमां
निदेशक
Md. Akhruzzaman
Director

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर , ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

1. दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ-हानि लेखा, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, उन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत करने हेतु।

2. दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी एवं अधिमानी शेयर पर लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

3. केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों में से किसी एक शेयरधारक को निर्वाचित करने हेतु; जिसकी बाबत बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9 (3) (i) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'योजना' कहा गया है) तथा उक्त अधिनियम की धारा 19 एवं रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं. बीसी सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 (जिसे इसमें भा. रि. बैंक की इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) के अनुसरण में बनाए गए यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' कहा गया है) शर्तों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त किए जाते हैं; तथा निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :-

''**संकल्प किया जाता है कि** श्री _______________ को केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित किए गए बैंक के एक निदेशक के रूप दि. 01.11.2007 में, जिसकी बाबत ''उक्त योजना'', विनियम एवं भा.रि.बैंक की अधिसूचना के साथ पठित ''उक्त अधिनियम'' की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में वैध नामांकन प्राप्त किए जाते हैं, जिस तारीख से वे निर्वाचित होते/हाती हैं/निर्वाचित समझे जाएंगे/गाएंगी उसके बाद की तारीख से कार्यग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वह ऐसे कार्यग्रहण की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने तक पद धारित करेगा ।''

निदेशक मंडल के आदेश से

(अरूण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03/06/2011

Notice

NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Thursday, the 14th July, 2011 at 11.00 A.M. at Eastern Zonal Cultural Centre, Block IB 201, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700 106 to transact the following business:-

1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To approve and declare Dividend on Preference and Equity Shares for the year ended 31st March 2011.

3. To elect one Director from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No.DBOD.No.BC No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT Shri ____________________________ elected as a Director of the Bank from amongst shareholders other than Central Government in respect of whom valid nominations are received pursuant to Section 9(3)(i) of the "Act" read with the "Scheme", "Regulations" and RBI Notification dated 01.11.2007, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from the date following which he/she is elected / deemed to be elected and shall hold office until the completion of three years from the date of such assumption."

By order of the Board
of Directors

Place: Kolkata
Date: 03/06/2011

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

कार्यसूची की मद संख्या 3 के बाबत तात्विक तथ्य उपवर्णित करते हुए व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण एवं वित्तीय संस्थान (संशोधन) विधि 2006 में,जो 25 सितंबर 2006 से प्रभावी हुआ,अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि उन बैंकों के मामले में,जहां शेयरधारकों द्वारा (केन्द्र सरकार से भिन्न) धारित पूंजी चुकता पूंजी के 32%से अधिक है,शेयरधारक अपने में से तीन निदेशक निर्वाचित करने के हकदार होंगे। चूंकि बैंक में आम जनता का शेयर धारण 36.41% था, अतः आपके बैंक को तीन शेयरधारक निदेशकों को निर्वाचित करने का एक था।

श्री सुरेश चंद गुप्ता एवं श्री राम निवास जैन दिनांक 12 मार्च,2008 को संपन्न असाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए एवं सवास्टियन लुकोस मॅरिश दिनांक 12 जुलाई, 2010 को सातवीं वार्षिक आम बैठक में निर्वाचित हुए।

दिनांक 31मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमानी आधार पर कुल 940.00 करोड़ रु. के 7,81,57,479 इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किया। फलस्वरूप आपके बैंक के प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता 63.59% से बढ़कर 68.13% हो गई एवं तदनुसार आम जनता की शेयरधारिता 36.41% से घटकर 31.87% हो गई है।

अब चूँकि बैंक में आमजनता की शेयरधारिता घटकर 32% से कम हो गई है, अत: शेयरधारक केंद्र सरकार को छोड़ कर अपनो में से केवल दो ही निदेशक निर्वाचित कर सकते हैं।

आपके बैंक के निदेशक मंडल में श्री सुरेश चंद गुप्ता एवं श्री राम निवास जैन का सेवाकाल दिनांक 12.03.2011 को पूरा हो गया है एवं श्री सबास्टियन लुकोस मॅरिश शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

तदनुसार बैंक केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से किसी एक को निदेशक के रूप में निर्वाचित करना चाहता है। निदेशक मंडल बैंक की आगामि आठवीं वार्षिक आम बैठक में एक शेयरधारक निदेशक निर्वाचन करने का निर्णय किया है।

कोई निदेशक जिस तारीख से निर्वाचित होते / होती हैं या निर्वाचित होंगे / होंगी उस तारीख के बाद की तारीख से कार्यग्रहण करेंगे और ऐसे कार्यग्रहण की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने तक पद धारित करेगा / करेंगी।

बैंक के निदेशकगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त कारोबार से संबद्ध /हितबद्ध होंगे यदि वे निर्वाचन में भाग लेते हैं।

नोट

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,3रा तल,कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 9 जुलाई 2011 को बैंक के कार्य -समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking and Financial Institutions (Amendment) Laws 2006 which came into effect from 25th September 2006, inter alia, provides that in case of Banks where the capital held by the Shareholders (other than the Central Government) is more than 32% of paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect three directors from amongst themselves. As the Public Shareholding in the Bank was 36.41%, your Bank was entitled to elect three shareholder directors.

Shri Suresh Chand Gupta and Sri Ram Nivas Jain were elected as Shareholder Directors at the Extraordinary General Meeting held on 12th March, 2008, and Sri. Sebastian Luckose Morris was elected on 12th July, 2010 at the Seventh Annual General Meeting.

During the financial year ended 31st March 2011, Bank has issued and allotted 7,81,57,479 equity shares on preferential basis to the Government of India aggregating to Rs.940 crore. Consequently, the percentage of the shareholding of Government of India in the paid-up capital of your Bank has increased from 63.59% to 68.13% and correspondingly, the public shareholding has reduced from 36.41% to 31.87%.

As the percentage of public shareholding in the Bank has reduced below 32%, the shareholders other than Central Government are entitled to elect only two Directors from among themselves.

Sri. Suresh Chand Gupta and Sri Ram Nivas Jain completed their terms on 12.03.2011 and Sri. Sebastian Luckose Morris continues as a Shareholder Director on the Board of your Bank.

Accordingly, the Bank is now required to elect one Director from amongst shareholders other than the Central Government. The Board of Directors have decided to elect one Shareholder Director at the ensuing Eighth Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed the office from the date following that on which he / she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business, in case they contest the election.

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 9th July, 2011. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulations 2003.

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2,इंडिया एक्सचेंज प्लेस,3रा तल,कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 9 जुलाई, 2011 को बैंक के कार्य -समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक- स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी /प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची -सह -प्रवेश पास में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' उल्लिखित करना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने साथ पैन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र ,पासपोर्ट आदि लाएं और फिर उन्हें सही पहचान के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी ।

शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाता बंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ गुरुवार, दिनांक7 जुलाई, 2011 से गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने (i) निम्नलिखित को 10/- रु. के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक शेयर हेतु वर्ष 2010-11 के लिए 3/- रु. के ईक्विटी लाभांश (ii) निर्गम की शर्तों के अनुसार पीएनसीपीएस पर अधिमानी लाभांश की संस्तुति की है-

यदि आम वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश के भुगतान की घोषणा की जाती है तो उन शेयरधारकों को इसका भुगतान किया जायगा:

क) जो बुधवार,दिनांक 6 जुलाई, 2011 को कारोबार-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों,यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या

ख) जो 6 जुलाई, 2011 को बैंक के कारोबार-समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण के अनुरोध को प्रभावी करने के बाद बुधवार,दिनांक 6 जुलाई, 2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं ।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have deposited at the Head Office of the Bank with Share Section , Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting , i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 9th July, 2011. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 9th July, 2011 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, 7th July, 2011 to Thursday 14th July 2011 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended (i) Equity Dividend of Re.3/- for the year 2010-11 for each share for nominal value of Rs.10/- (ii) Preference Dividend on PNCPS as per terms of issue.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders:-

a) who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Wednesday, 6th July, 2011 or

b) who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Wednesday, 6th July, 2011 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 6th July, 2011.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

अदत्त /अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10आ के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त /अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205ग (1) के अधीन स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार वर्ष 2003-04 और उसके आगे का लाभांश जोकि अदत्त लभांश प्राप्त नहीं किया है, खाते में इसके अंतरण की संबंधित तारीख से सात वर्ष के बाद "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक लाभांश प्राप्त नहीं किया है एवं दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा (वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता / बैंक अधिदेश में परिवर्तन एवं एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान

क) वास्तविक रूप से धारित शेयर

वास्तविक रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या,ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण ऐजेंट यानी मेसर्स कर्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., 17 से 24, विठ्ठल राव नगर,मधापुर, हैदराबाद-500081, को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलाक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या,ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित है ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि अपने खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय इलॉक्ट्रिनिक समशोधन प्रणाली (एनईसीएस) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है । यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनका खाता वैसे बैंक में है जिनकी सभी शाखाएं सीबीएस से जुड़ी हैं एवं हिताधिकारी मालिक के एनईसीएस अधिदेश निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास दर्ज है। प्रत्यक्ष रूप से शेयरधारण करने वाले शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण ऐजेंट के पास ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभांश वारेंट के मार्ग में खोने या अन्य किसी प्रकार की हानी से बचा जा सकता है।

शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निर्वाचन में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के अभिनिश्चयन के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख

एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथाप्रस्तुत शेयरधारकों/हितबद्ध स्वामियों के बैंक के रजिस्टर में शुक्रवार,दिनांक 3 जून, 2011 को कारोबार-समय की समाप्ति पर जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के रजिस्टर में हैं वे

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Accordingly the dividend for the year 2003-04 and onward will be transferred to "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2009-10 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NECS:

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

Shareholders please note that National Electronic Clearing System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of India for receiving dividend directly in their account. This facility is available to the shareholder provided his account is with a branch of a Bank having all of its branches under Core Banking Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders holding shares in physical form can also avail this facility by submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent. This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or otherwise.

ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTOR

SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL at the close of business hours on Friday, 3rd June 2011 hereinafter

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न)में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने (नामनिर्देशित करने,निर्वाचन लड़ने एवं मतदान करने)के हकदार होंगे ।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित अर्हताएं

अधिनियम की धारा 9 (3ए) की शर्तों के अनुसार बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखनेवाले बैंक के किसी शेयरधारक उम्मीदवार को –

(अ) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभवप्राप्त होना चाहिए :-

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए; या

(इ) किसानों,कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9 (3एए) की शर्तों के अनुसार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखनेवाले बैंक के किसी शेयरधारक उम्मीदवार की "उपयुक्त तथा उचित" हैसियत होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा उससे यह भी अपेक्षित है कि वह इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथाविहित वार्षिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करे ।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हताएं

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अनर्ह होगा –

क) यदि किसी समय वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो; या

ख) यदि उसे विकृत चित्त पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

ग) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतग्रस्त हो; या

घ) यदि वह पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद को धारित करने के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में

referred to as the Specified Date, shall be entitled to participate i.e nominate, contest and vote in the election of Directors from amongst the shareholders (other than the Central Government).

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy;
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry
- Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section

यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और

आ. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीपीओडी सं. बीसी. सं. 46/ 29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार उसके "उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति" नहीं होने का निष्कर्ष हो।

निदेशकों की पदावधि

इस योजना के खंड 9 (4) के अनुसरण में कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का पात्र होगा ;

परंतु ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद धारित नहीं करेगा।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9 (3आ) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अधीन निर्वाचित किसी ऐसे निदेशक को अपने पद से हटा सकता है जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

शेयरधारकों का ध्यान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध के लिए उपबंध किया गया है, जिसका संगत उद्धरण उसके साथ संलग्न है।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनिमय के खंड 65 के उपबंधों के संदर्भ में,

(i) किसी निदेशक के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक :

(क) वह दिनांक 3 जून, 2011 यानी निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक के कम से कम 100 शेयर धारित न करता हो।

(ख) वह दिनांक 29 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह न हो ।

(ग) नामांकन लिखित रूप में उक्त अधिनियम के अधीन निदेशकों का निर्वाचन करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक् रूप से नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो; परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उप महाप्रबंधक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता - 700 001 को संबोधित उक्त संकल्प की एक ऐसी सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(घ) नामांकन के साथ या उसमें किसी न्यायाधीश,मजिस्ट्रेट,बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि वह निदेशक बनने के लिए उक्त योजना या उक्त विनियमों को स्वीकार करता है तथा नामांकन के साथ या उसमें उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसके व्यक्तिगत ब्योरे (बायोडाटा) एवं इस आशय की अभिपुष्टि संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि ऐसे ब्योरे उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इस

(3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

B. If he is not found to be "Fit and Proper" person in terms of Notification of Reserve Bank of India - DPOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1.11.2007

TENURE OF DIRECTORS

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election;

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) of the said Act.

Attention of shareholders is also invited to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 which provides for restriction on Loans and Advances, the relevant extracts of which is annexed thereto.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

In terms of the provisions of Clause 65 of the Regulations,

(i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless

(a) He is a shareholder holding 100 shares of the Bank as on 3rd June, 2011 being the Specified Date for participating in the election

(b) as on 29th June, 2011 he is not disqualified to be Director under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 or under the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970

(c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company

(d) the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the said Scheme or the said Regulations from being a Director along with his/ her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief

आशय का वचन-पत्र संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि वह यथासंभव शीघ्र घोषणा के बाद उत्पन्न होनेवाली ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी बैंक को देगा जो उक्त सूचना के सुसंगत हो ।

(ङ) कोई भी नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक वह बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात बुधवार, 29 जून, 2011 को अपराह्न 5.00 बजे या बैंक के कारोवार समय की समापित के पूर्व उप-महाप्रबंधक, वित्त विभाग, तृतीय तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001 को संबोधित और सभी दृष्टि से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं हो गया हो।

शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को निर्वाचन लड़ने में समर्थ बनाने के लिए यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 64 में यथाउल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति प्रधान कार्यालय,वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 में शनिवार, 18 जून, 2011 से शेयरधारकों किए जाने द्वारा क्रय के लिए उपलब्ध होगी । इस प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र के साथ यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय 50,000/- रु. का एक मांग ड्राफ्ट देना होगा ।

शेयरधारक-रजिस्टर का निरीक्षण बैंक के प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 में 18 जून, 2011 से सभी कार्य-दिवस को 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक (शनिवार 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक) किया जा सकता है । यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके किसी अंश की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है तो प्रतिलिपि/प्रिंट बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए 5/- रु. की दर से पूर्व भुगतान करने पर वह उसे आपूरित किया जाएगा ।

नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक शेयरधारक को-

क) विधिवत भरे हुए अपने ''घोषणा-पत्र'' एवं शंसापत्र, यथा- बायोडाटा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव के प्रमाणपत्र;

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपयुक्त तथा उचित दिशानिर्देशों के अनुसरण में उसमें अपेक्षित संलग्नक सहित तथा अपेक्षित कुर्की के संभावित खतरे के अनुसरण में "उम्मीदवार का वचन-पत्र" तथा

ग) नामित करने के हरदार बैंक के शेयरधारकों से प्राप्त न्यूनतम 100 वैध नामांकन फार्म

इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट में "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन" अंकित मुहरबंद लिफाफे में उप-महाप्रबंधक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 के पास किसी भी कार्य-दिवस को वार्षिक आम बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले अर्थात बुधवार, दिनांक 29 जून, 2011 को अपराह्न 5.00 बजे या उससे पूर्व बैंक के कारबार-समय की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने चाहिए । इसमें चूक होने पर नामांकन खारिज किए जाने के दायित्व के अधीन हैं।

नामांकन की संवीक्षा

(i) नामांकन की संवीक्षा, दिनांक 30 जून, 2011 को यानी नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन अवैध पाया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने के बाद उसे खारिज़ कर दिया जाएगा ।

and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respect and received at the Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 on working day not less than 14 day, before the date fixed for the meeting i.e., on or before the closing of business hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 29th June 2011.

LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 will be available at Head Office, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001 from Saturday, 18th June 2011 onwards for purchase by shareholders on payment of Rs.50,000/- by demand draft in favour of UCO Bank payable at Kolkatta alongwith an application made for this purpose.

The Register of Shareholders is open for inspection at the Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001 on all working days commencing from 18th June 2011 between 3 p.m. to 5 p.m. (Saturday 11 a.m. to 1 p.m.). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

A Shareholder desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders other than the Central Government, should submit

a) duly filled in ‘Declaration Form’ along with testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification, experience;

b) “Undertaking by Candidate” pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat and

c) minimum of 100 Nomination Forms obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate,

in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and superscribed “Nomination for Shareholder Director”, to the Deputy General Manager, UCO Bank, Head Office, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 P.M on Wednesday, 29th June 2011 failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

(i) Nominations shall be scrutinized on 30th June, 2011, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is found to be invalid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

(ii) नामांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपयुक्त तथा उचित दिशानिर्देश दिनांक 1 नवंबर, 2007 की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के भी अध्यधीन होंगी।

(iii) यदि निर्वाचन से भरी जानेवाली रिक्ति हेतु केवल एक वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित होने पर उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा तथा बैठक में कार्यसूची की उक्त मद नहीं रखी जाएगी ।

(iv) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और बैंक की वार्षिक आम बैठक में किए जानेवाले निर्वाचित में जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत हो वे निदेशक के रूप में निर्वाचित होंगे ।

(v) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को अपना पद ग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वे निर्वाचित होते हैं या निर्वाचित किए गए समझे जाते हैं ।

(vi) किसी प्रकार की विवाद होने पर उसका निपटान यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

नामांकन को वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2011 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा ।

मतदान के अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2उ) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

संयुक्तधारक के अधिकार का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम से दर्ज हो तो शेयर अंतरण को छोड़ कर मताधिकार,नोटिस जारी करने एवं सभी या बैंक से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के मामले के लिए रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति को एकमात्र धारक समझा जएगा ।

अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदनपत्र में उल्लिखित अधूरे डाकपते एवं तदानुसार परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए । बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों से दावा / अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तीकृत घोषित करेगा जिनका ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 1st November 2007 issued by the Reserve Bank of India.

(iii) If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and the said agenda item will not be taken up at the Meeting.

(iv) If valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes in the election to be held at the Annual General Meeting of the Bank shall be elected as a Director.

(v) Director elected to fill in the vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is, or are deemed to have been elected.

(vi) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank, Wednesday, 13th July 2011.

VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

EXERCISE OF RIGHT OF JOINT HOLDER

If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, service of notices and all or any other matters concerned with the Bank except transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to received claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

दिनांक 31.03.2011 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार हैं :

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2011 :

क्रम सं. S No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 1.4.2010 तक अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2010	374	58058
ii.	वर्ष 2010-11 के दौरान दावाकृतशेयर एवं हिताधिकारी को अंतरित Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2010-11	18	2650
iii.	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2011	356	55408

अदावाकृत शेयरों के मताधिकार के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक अवरुद्ध रखे जाएंगे।

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तीकृत (डिमैट) रूप में क्रय-विक्रय

भारतीय प्रतिमूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में सभी निवेशकों के अमूर्तीकृत रूप में लिए बैंक के शेयरों के क्रय-विक्रय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 691ए01018 है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तीकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने एक करार किया है ।

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है ।

तुलन-पत्र वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी क्योंकि वे उन्हें डाक द्वारा भेजी जा चुकी हैं।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक बैंक में विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पुछताछ, यदि कोई हों, पर्याप्त समय रहते करें ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हों, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर,

हैदराबाद -500 081

दूरभाष : (040) 44655000 ; फैक्स (040) 23420814

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018.

The Bank has entered into an agreement with Natjional Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Tel : (040) 44655000; Fax : (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट **www.karvycomputershare.com** पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन. पूर्णचन्द्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700 001

दूरभाष : 033-4455-7227 फैक्स : (033)-22485625

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03.06.2011

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

By Order of the Board of Directors

Place: Kolkata
Date: 03.06.2011

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

सुसंगत अधिनियमों, योजना एवं विनियमों आदि से उद्धरण-निदेशकों का निर्वाचन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड 'ग' के अधीन जारी पूंजी के परिमाण के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध योजना 1970 की सुसंगत धाराओं तथा यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के सुसंगत विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का प्रतिषेध - धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिम पर निर्बन्धन - धारा 20

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी -

(क) अपने शेयर की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या

(ख) निम्नलिखित को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई अभिबंधन नहीं करेगी -

(i) अपने किसी निदेशक को,

(ii) किसी ऐसे फर्म को जिसमें उसके किसी निदेशक का हित भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हो, या

(iii) किसी ऐसी कंपनी को जो किसी बैंककारी कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी की अनुषंगी न हो या किसी ऐसी सरकारी कंपनी को (या धारक कंपनी की अनुषंगी को) जिसका; बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक; निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, या

(iv) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी बाबत इसका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।

(2) यदि किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया था उस तारीख को उप-धारा (1) का खंड (ख) प्रवृत्त रहता तो उक्त ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए अभिबंधन नहीं हुआ रहता (या बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिबंधन के अनुसरण में बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया जाता है तो बैंककारी कंपनी को देय उक्त ऋण या अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली ऋण या अग्रिम की मंजूरी के समय निर्धारित अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए कार्रवाई की जाएगी; परन्तु यह कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यदि बैंककारी कंपनी से लिखित रूप में इस संबंध में आवेदन प्राप्त होता है तो वह ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को एक निश्चित तारीख तक बढ़ा सकेगा परंतु ऐसी तारीख उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से परे की कोई तारीख नहीं होगी और वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन होगी जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे; परन्तु यह और कि यदि संबंधित

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC – ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant Sections of the Banking Regulations Act 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and the relevant regulations of Uco Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

1. THE BANKING REGULATION ACT 1949

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –

(a) grant any loans or advances on the security of its own share, or

(b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –

(i) any of its Directors

(ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor or

(iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

(iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor

(2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not be have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period of the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit: Provided further that this sub-

निदेशक का पद उसकी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग के कारण या अन्यथा खाली होता है तो यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई विप्रेषण शून्य एवं अप्रभावी होगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा देय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऋण या अग्रिम की चुकौती उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को नहीं की जाती है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, यदि यह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक हो, उक्त तारीख को अपना पद रिक्त किया गया समझा जाएगा।

इस धारा से संबंधित स्पष्टीकरण

(क) **'ऋण या अग्रिम'** पद में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, लेनदेन के स्वरूप को,उस अवधि को जिसके भीतर और उस रीति एंव परिस्थितियों को जिनमें लेनदेन के कारण देय किसी राशि की उगाही की जाने की संभावना हो तथा जमाकर्ताओं के हित एवं अन्य सुसंगत प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट न करें:

(ख) "निदेशक" पद में प्रबंध के प्रयोजनार्थ या उसके सभी या किन्हीं मामलो के प्रबंध के संबंध में उसे सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी बैंककारी कंपनी द्वारा गठित भारत में किसी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य शामिल है।

(5) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जाएगा और उसपर उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकार पर निर्बन्धन

3(2उ) केन्द्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत समरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना

9(3) यदि धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड (ग) के अधीन जारी पूंजी-

(i) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अनधिक है तो एक निदेशक से अनधिक,

(ii) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अनधिक है तो दो निदेशक से अनधिक,

(iii) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक से अनधिक का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न निदेशकों द्वारा अपने में से किया जाए।

परन्तु यह कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व समरूपी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III) में, यथास्थिति विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो तो ऐसे प्रारंभ की तारीख के पहले निर्वाचित अतिरिक्त निदेशक योजना में यथानिर्धारित रूप से सेवानिवृत्त होंगे तथा वे अपने कार्यकाल से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

(3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

(4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

(a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

(b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

(5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT 1970

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

(i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than one Director

(ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than thirty two per cent of the total paid up capital, not more than two Directors

(iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) & Financial institutions Laws (Amendmant) Act 2006, in corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub clause (I) or sub clause (II), or sub clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of their term of office.

9(3अ) उक्त खंड (i) के अधीन निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक को -

(अ) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए यथा- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समरूप नये बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए; या

(इ) कृषकों, कामगारों, एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

9(3अअ) उप धारा 3(अ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अनुसार तबतक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा जबतक वह अपने पूर्ववृत्त, सत्यनिष्ठा तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर 'उपयुक्त एवं समुचित हैसियत' प्राप्त व्यक्ति न हो।

9(3अआ) भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा (3अअ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं समुचित हैसियत' अवधारित करने के प्राधिकार, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा अन्य ऐसे मामले जैसा कि आवश्यक समझे गए हों या उससे प्रासंगिक हों, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

9(3आ) : यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि धारा (9) की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी समरूपी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को उसके पद से हटा सकता है और इस प्रकार उसे पद से हटाने के बाद उसके स्थान पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक के रूप में उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तब तक सहयोजित करेगा जब तक अगली वार्षिक आम बैठक के समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से निदेशक का निर्वाचन नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में बाध्यता :

13(2) प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा-परीक्षक, सलाहकार, समरूपी नए बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कार्यभार संभालने के पूर्व तृतीय अनुसूची में उपवर्णित फार्म में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970

निर्वाचित निदेशक की पदावधि

खंड 9 (4) :

कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का हकदार होगा : परन्तु ऐसा कोई निदेशक छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित नहीं करेगा।

निदेशकों की अनर्हता :

खंड 10 :

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall–

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely- agriculture and rural economy, Banking, Co-operative, Economics, Finance, Law, Small scale industry, any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other laws for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status , the manner of such determination , the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) of section (9) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Adviser, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity as secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME 1970

Terms of office of elected Director

Clause 9 (4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

Disqualification of Directors

Clause 10

कोई व्यक्ति निदेशक के रूप मे नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अनर्ह होगा -

(क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो; या

(ख) यदि वह विकृत चित्त का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो; या

(घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो।

निदेशक के पद का परित्याग

खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अध्यधीन होता है या निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से अधिक में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है और तत्पश्चात् उसका पद खाली हो जाएगा।

2. अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है तथा उक्त सरकार द्वारा ऐसे पदत्याग को स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है; तथा कोई अन्य निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और ऐसा पदत्याग केन्द्र सरकार द्वारा पदत्याग संबंधी पत्र की प्राप्ति पर प्रभावी होगा।

3. यदि निर्वाचित निदेशक से भिन्न किसी निदेशक का पद खाली होता है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खंड 11 अ :

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारक, सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से अनधिक शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित किए जा सकनेवाले संकल्प द्वारा धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकते हैं और उक्त रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के खाली पद को भरा जाना

खंड 11 आ :

(1) किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई रिक्ति होने पर उक्त रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि रिक्ति की अवधि के छह माह से कम होने की संभावना हो तो उक्त रिक्ति शेष निदेशकों से भरी जा सकती है।

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director :-

(a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

(d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director

Clause 11B

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors

(2) उप-खंड (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल के असमाप्त अंश के लिए पद धारित करेगा।

निदेशकों द्वारा अपने हित का प्रकटीकरण

खंड 12 (8) :

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, ठहराव में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या हितबद्ध किसी निदेशक की जानकारी में सुसंगत परिस्थिति के आने के बाद यथासंभव शीघ्र वह उसमे अपने हित के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को देगा और बोर्ड की जिस बैठक में ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर चर्चा होती है उसमें तबतक उपस्थित नहीं होगा जबतक उससे जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नही की जाती है तथा जिस निदेशक से इस प्रकार उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है वह ऐसी किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

परन्तु, यह कि इस उप-खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर लागू नहीं होगी यदि वह केवल :

(i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में दो प्रतिशत से अनधिक चुकता पूंजी धारित करने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) हो जिसके साथ या जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, या

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जो निदेशक (अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) या खंड (च) में यथाविनिर्दिष्ट) हो।

4. यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003

संयुक्त धारकों के अधिकारों प्रयोग/आम बैठकों में मतदान

विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो जहाँ तक मतदान करना, लाभांश की प्राप्ति, सूचना की तामील, बैंक से संबंधित अन्य किन्ही या सभी मामलों का प्रश्न हैं, शेयरों के अंतरण को छोड़कर, रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाए।

आम वैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक

विनियम 63 :

(i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (झ) के अधीन किसी निदेशक का निर्वाचन बैंक की आम बैठक में केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है।

(ii) यदि किसी आम बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो तो उसकी सूचना बैठक के आयोजन संबंधी सूचना में शामिल की जाएगी, ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या एवं उन रिक्तियों के विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी बाबत निर्वाचन किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 :

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (झ) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में उल्लिखित ऐसे शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक निर्वाचित किया जाना है।

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement of proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being :

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

(ii) an officer or other employee of the nationalized Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

4. UCO BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2003

Exercise of rights of joint holders / Voting at general meetings

Regulation 10 :

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at General meeting

Regulation 63

(i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting to the Bank.

(ii) Where an election of Directors to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

(i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

(ii) उक्त सूची में शेयधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उनके द्वारा धारित एवं द्योतित शेयरों की संख्या, शेयरों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे मतों की संख्या अंतर्विष्ट रहेगी जिन्हें वे निर्वाचन के लिए नियत तारीख को बैठक में देने के हकदार होंगे तथा उक्त सूची की प्रतियाँ बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निदेशक मंडल या प्रबंध समिति द्वारा नियत मूल्य पर प्रधान कार्यालय में आवेदन पर विक्रय के लिए उपलब्ध होंगी।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम 65 :

(i) निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक-

(क) वह बैंक के 100 शेयर धारित करनेवाला कोई शेयरधारक न हो।

(ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को इस अधिनियम या इस योजना के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह न होता हो।

(ग) उसने शेयर मांग की राशि के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपने द्वारा धारित बैंक के शेयरों की बाबत शेयर मांग की सभी राशि का भुगतान अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से नहीं कर दिया है।

(घ) नामांकन लिखित रूप से नहीं है और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटर्नी के हस्ताक्षर नहीं है; परंतु यह कि यदि शेयर धारक कोई कंपनी हो तो उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में यह पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी तथा उक्त प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

(ङ) किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजव बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र नामांकन के साथ संलग्न नहीं किया जाता है या उसमें अंतर्विष्ट नहीं रहता है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा या तो इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने से अनर्ह नहीं है।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह सभी संबद्ध दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में किसी कार्य-दिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त न हो।

नामांकन की संवीक्षा

विनियम 66

(i) नामांकन की संवीक्षा, नामांकन प्राप्ति के लिए नियत तारीख के वाद के प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई सूचना वैध नहीं पाई जाती है तो उसके कारण अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार तत्क्ल निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the share are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65 :

(i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect the Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

(e) the nomination accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurance or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66 :

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nomination and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting

में इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक एकमात्र उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।

(ii) निर्वाचन होने की दशा में यदि वैध नामांकन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को बहुमत मिला हो उसे निर्वाचित माना जाएगा।

(iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को पदग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित किया जाता है या किया गया समझा जाता है।

निर्वाचन संबंधी विवाद

विनियम 67 :

(i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित समझे गए या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं हितबद्ध कोई उम्मीदवार या शेयरधारक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकेगा/सकेगी और उक्त सूचना में निर्वाचन की वैधता पर संदेह या विवाद करने के आधार का पूरा ब्योरा देगा/देगी।

(ii) उप विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को एक ऐसी समिति के पास उसके विनिश्चय के लिए भेजेगा जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित किन्हीं दो निदेशक से मिलकर बनेगी।

(iii) उप विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, या यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर नया निर्वाचन कराने सहित ऐसा आदेश पारित करेगी एवं ऐसे निदेश देगी जैसा उन परिस्थितियों में समिति को उचित लगे।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश एवं निदेश निश्चायक होंगे।

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार/मताधिकार का अवधारण

विनियम 68 :

(i) अधिनियम की धारा 3 (2उ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन किसी आम बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर बंद किए जाने की तारीख को ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जिसका नाम रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज किया गया हो, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जानेवाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (2उ) दिन के उपबंधों के अध्यधीन यथापूर्वोक्त रूप में मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक ऐसे शेयरधारक को, जो कंपनी न हो और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी हो और सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या

convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67

(i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and given such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders Determination of voting rights

Regulation 68 :

(i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provision in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or

परोक्षी द्वारा उपस्थित हो, जैसा इसमें इसके ऊपर उप-विनियम (i) में कथित है, हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जानेवाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :- इस अध्याय में ''कंपनी'' से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है

(iii) किसी आम बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर अपने परोक्षी के रूप में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह कोई शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक होगा परंतु इस प्रकार नियुक्त किसी परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
विनियम 69 :

(i) कोई शेयरधारक, चाहे वह केन्द्र सरकार या कोई कंपनी हो, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, अपने किन्हीं अधिकारी या अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में ''सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि'' के रूप में विनिर्दिष्ट) केन्द्र सरकार या कंपनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा मानो वह बैंक का व्यष्टिक शेयरधारक हो। इस प्रकार का प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसी दशा में उनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।

(ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तबतक उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा जबतक सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति संबंधी संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व जमा न की गई हो।

by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation :- For this chapter, "Company" means any body corporate

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative
Regulation 69

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government of the Company which he represents as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government /Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

GREEN INITIATIVE

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" by introducing paperless compliances allowing the companies to serve the documents to its members through electronic mode. Bank desire's to take part in the Green Initiative by sending Notices, Annual Reports etc by e-mail to those members who register their e-mail address with the Bank/made available to the Bank through the depositories. The shareholders may opt for receipt of notices, Annual Reports through electronic mode by providing e-mail address and their shareholding particulars viz Folio Number/DPID & Client ID etc to our share transfer agents M/s. Karvy Computershare Private Limited, Unit UCO Bank, Plot Nos 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad. Even though shareholders opts for service of Annual Report by electronic mode, they can make a specific request at any point of time for a copy of the Annual Report of the Bank and the same will be provided to them at free of cost.

हरित पहल

कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने "कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल" की है जिसके तहत कंपनियों को इलेकट्रानिक साधन के माध्यम से अपने सदस्यों को दस्तावेज देने की अनुमति देते हुए कागज विहीन अनुपालन की शुरुआत की गई है। बैंक की यह मंशा है कि वह नोटिस, वार्षिक प्रतिवेदन आदि ई-मेल के द्वारा अपने उन सदस्यों को, जिनका अपना ई-मेल पता बैंक के पास पंजीकृत है/जो डिपाजीटरी के जरिए बैंक को उपलब्ध कराते हैं, भेजकर इस पहल में योगदान दे। शेयरधारकगण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कम्प्युटर शेयर प्रा. लि., यूनिट यूको बैंक, प्लाट नं. 17 से 24 विट्टल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद के पास अपनी शेयरधारिता के विवरण यथा फोलिओ संख्या/डीपीआइडी एण्ड क्लायंट आइडी आदि उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने ई-मेल पता देकर इलेक्ट्रानिक माध्यम से नोटिस, वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति का विकल्प दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रनिक साधन के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण हेतु विकल्प दिए जाने पर भी वे किसी मी समय वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति के लिए विशेष तौर पर अनुरोध कर सकते हैं ओर उन्हें यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2011

(करोड़ ₹. में/ ₹. in Crore)

कारबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006	मार्च 2005 March 2005
कुल जमा / Total Deposits	145278	122416	100222	79909	64860	54544	49470
कुल अग्रिम / Total Advances	100561	83371	69669	55627	47471	37817	28234
कुल कारबार / Total Business	245839	205787	169891	135536	112331	92361	77704
विनिधान / Investment	43124	43700	29512	24629	19789	19803	19125
ब्याज आय / Interest income	11371	9526	8121	6509	5318	4355	3549
ब्याज व्यय / Interest Expenditure	7526	7202	6477	5021	3623	2789	2140
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	3845	2324	1644	1488	1695	1566	1409
परिचालन लाभ / Operating Profit	2695	1706	1202	954	945	763	838
निवल लाभ / Net Profit	907	1012	558	412	316	197	346
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	69.22	68.10	69.51	69.61	73.19	69.33	57.07
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	2206	2152	2068	1961	1853	1744	1727

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन निर्देशक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2011

विवरण Particulars (% में) (in %)	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006	मार्च 2005 March 2005
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	31.27	22.15	17.98	20.44	29.43	33.11	34.69
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	5.74	6.44	7.25	6.74	5.66	5.19	5.02
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	10.00	10.13	10.67	9.96	8.65	8.26	8.50
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	3.07	2.19	1.97	1.87	2.51	2.72	2.97
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल-I / BASEL-I	11.87	11.35	9.75	10.09	11.56	11.12	11.26
बासेल-I / BASEL-II	13.71	13.21	11.93	11.02	NA	NA	NA
प्रति शाखा कारबार (करोड़ रु.) Business per Branch (Rs.Crore)	111.44	95.63	82.15	69.12	60.62	52.96	44.99
प्रति कर्मचारी कारबार (करोड़ रु.) Business per Employee (Rs.Crore)	11.36	9.01	7.32	5.80	4.64	3.87	3.21
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	3.13	1.99	2.21	2.97	3.17	3.27	4.96
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	1.84	1.17	1.18	1.98	2.14	2.10	2.93
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.66	0.87	0.59	0.52	0.47	0.34	0.73
/ Book Value per Share (in Rs.)	82.00	65.74	50.88	31.08	27.66	24.86	22.37
प्रति शेयर अर्जन (रु. में) Earning Per Share (in Rs.)*	*14.29	17.47	*7.63	5.16	3.95	2.46	4.32

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
यूको बैंक,
10, वि.त्रै.म. सरणी,
(ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता - 700 001

प्रिय महोदय,
निदेशक का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांक 03/06/2011 के संदर्भ में मैं ____, यूको बैंक का एक शेयरधारक, जो यानी निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तारीख अर्थात शुक्रवार, दिनांक 3 जून, 2011 को रु. 10/- प्रत्येक के ____________ ईक्विटी शेयर धारित करता/करती हूँ, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ____________________________ पुत्र/पुत्री पत्नी________________________, निवासी______________________को दिनांक 14 जुलाई, 2011 को आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथाउपबंधित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूको बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या **पंजीकृत फोलियो सं.** **(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)**	
डी पी पहचान सं. **(यदि अमूर्तीकृत है)**	
ग्राहक की पहचान सं. **(यदि अमूर्तीकृत है)**	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणियां :

1) **यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें यह पारित किया गया है।**

2) **उम्मीदवार का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।**

UCO BANK

HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata – 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice Dated 03/06/2011, I.. a shareholder of UCO Bank holding…......................................Equity shares of Rs. 10/- each as on Friday, the 3rd June 2011 i.e., the specified date for participating in the election, do hereby nominate

Shri/Smt………………………….........................son/daughter /wife of………………………………......

residing at ……………………………………………………………………………......for being elected as a Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 14th July 2011.

Name	
Signature	
No. of shares Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

घोषणा-पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती.. निवासी

....एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि :

क. मैं यानी निर्वाचन में भाग लेने की 3 जून , 2011 निर्दिष्ट तारीख को बैंक के... ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला/वाली एक शेयरधारक हूँ, और

ख. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, या.. का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 अ की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ तथा उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सुसंगत शंसापत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ, और

ग. मैं..नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ तथा

घ. मैं यूको बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, एवं

ङ. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं हूँ।

च. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ और न ही उसका कोई कर्मचारी हूँ।

छ. मैं अपने वैयक्तिक ब्योरे संलग्न करता/करती हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं, तथा

ज. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं यथासंभव शीघ्र, बैंक को ऐसी घटनाओं से, यदि कोई हो पूरी तरह अवगत कराऊंगा/कराऊंगी जो उस घोषणा-पत्र के जारी किए जाने के बाद उत्पन्न होती हैं और जो इसमें दी गई सूचना के सुसंगत हैं तथा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करूंगा/करूंगी।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या **रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.** **(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)**	
डी पी पहचान सं. **(यदि अमूर्तीकृत है)**	
ग्राहक की पहचान सं. **(यदि अमूर्तीकृत है)**	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा-पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

____

*मुहर एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

* न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या यूको बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

(जो लागू न हो उसे काट दें)

UCO BANK

HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

DECLARATION

I, ………………………………….................……………………...…….son/daughter/wife

of Shri/Smt. ……………..................…….....................……………resident of……………………….........................…………..

hereby confirm that :

a. I am a shareholder holding………………equity shares of the Bank on 3rd June 2011 i.e. the specified date for participating in the elections, and

b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics (v) finance (vi) law (vii) small scale industry, or……………………………………………….(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

c. I accept the nominations numbering…………………….and

d. I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003.

f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959.

g. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and

h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No. of shares Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

* Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank.

(Delete whichever is not applicable.)

The above declaration was signed before me.

____

*Signature & Seal with date

उम्मीदवार के व्यक्तिगत ब्योरे देने हेतु फार्मेट

कृपया अपना नवीनतम फोटो लगाएं

क्र.सं.	विवरण	
I	**उम्मीदवार के व्यक्तिगत** ब्योरे	
1	उम्मीदवार का पूरा नाम	
2	पिता का पूरा नाम	
3	जन्म तिथि	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	दूरभाष एवं फैक्स संख्या ई-मेल पहचान संख्या	
7	स्थायी खाता संख्या (पैन) और उस आयकर सर्कल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दर्ज की जाती हैं (पैन की प्रति और दर्ज की गई नवीनतम आय कर विवरणी की अभिस्वीकृत प्रति संलग्न की जाए)	
8	शैक्षिक अर्हता (अर्हता के प्रमाणस्वरूप स्वयं-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
9	सुसंगत ज्ञान और अनुभव (कृपया ज्ञान/और अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वयं-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें)	
10	अन्य कोई सूचना जिसे उम्मीदवार प्रस्तुत करना चाहता है।	
II	**निदेशकों के सुसंगत संबंध**	
11	उम्मीदवार के ऐसे संबंधियों, यदि कोई हों, की सूची जिनका सम्पर्क बैंक से है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 अ के अनुसार)	
12	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें उम्मीदवार को हितबद्ध होने के रूप में माना जा रहा है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3) (क); धारा 300 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 20 देखें)	
13	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ढ ङ) के अर्थ के अंतर्गत उम्मीदवार को पर्याप्त हितबद्ध राशि रखे जाने के रूप में माना जा रहा है	
14	ऐसे बैंक (बैंकों) के नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है अथवा बोर्ड का सदस्य रह चुका है (उस अवधि के ब्योरे दें जिसके दौरान ऐसा कार्यभार संभाला गया था।)	
15	**उम्मीदवार द्वारा अथवा ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक संस्था द्वारा बैंक से इस समय प्राप्त निधिगत और गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हों।**	

FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

Please affix your latest photograph

Sl. No.	Particulars	
I	**Personal Details of the Candidate**	
1.	Full Name of the Candidate	
2.	Father's Name in Full	
3.	Date of Birth	
4.	Permanent Address	
5.	Present Address	
6.	Telephone & Fax Number Email id	
7.	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached)	
8.	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9.	Relevant Knowledge and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience	
10.	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	**Relevant Relationships of the Candidate**	
11.	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
12.	List of entities in which the candidate is considered as being interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}	
13.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949	
14.	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	

16.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा ऊपर 12 एवं 13 में सूचीबद्ध संस्थाएं बैंक अथवा अन्य कोई बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में पहले चूक की हैं या चूक कर चुकी हैं।	
III.	**व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख**	
17.	उम्मीदवार की व्यावसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों।	
IV.	**उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों**	
18.	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू की गई अथवा दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कुछ हो, के ब्योरे अथवा उम्मीदवार पर किसी व्यवसाय/उपजीविका में प्रवेश की रोक लगाई गई है या नहीं।	
19.	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार के विरुद्ध और/या ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक संस्था के विरुद्ध पहले लंबित या प्रारंभ की गई दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियोजन, यदि कोई हो, के ब्योरे।	
20.	निदेशक के विरुद्ध पिछले वर्षों में लंबित या प्रारंभ की गई दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, के ब्योरे ।	
21.	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी एक अनर्हता के परिप्रेक्ष्य में उम्मीदवार अनर्ह है ?	
22.	क्या उम्मीदवार या ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से कोई एक संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी के आग्रह पर किसी प्रकार की जाँच के अध्यधीन है ?	
23.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/विनियमों/सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों की विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।	
24.	क्या उम्मीदवार अथवा ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी संस्था को सेबी, भा.रि. बैंक, आइआरडीए, एमसीए, एफईएमए जैसे नियामकों से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुई है ? **(यद्यपि किसी उम्मीदवार के लिए इस कॉलम में विनियामक के उन निष्कर्षों और आदेशों के विषय में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें बाद में अक्षरसः उलट दिया गया/अलग रखा गया हो, तथापि, गुणागुण आधार पर नहीं बल्कि अधिकारिता की कमी अथवा परिसीमा जैसे तकनीकी कारणों से अलग रखे गए/उलट दिए गए मामलों में इनका सामान्य उल्लेख करना आवश्यक है। यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायालय की कार्यवाही लंबित हो तो इसका भी उल्लेख किया जाए।)**	
V.	**मद I से III से संबंधित कोई अन्य व्याख्या/सूचना और उपयुक्त एवं समुचित पाए जाने हेतु संगत मानी गई अन्य सूचना।**	

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना हमारी अधिकतम जानकारी में सही एवं पूरी है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद उन घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र सूचित करूंगा जो उपर्युक्त सूचना से संबंधित हैं।

मैं यह भी वचन देता हूँ। देती हूँ कि मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने लिए अपेक्षित प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करूँगा/करूँगी।

दिनांक : हस्ताक्षर :

स्थान :

15.	**Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank**	
16.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
III	**Records of professional achievements**	
17.	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
18.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
19.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
20.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past years against the Director.	
21.	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956?	
22.	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency ?	
23.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
24.	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA, FEMA etc.? **(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside to toto, it would be necessary to make a mention of the same, incase the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceeding are pending, the same also should be mentioned.)**	
V	**Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.**	

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the Bank.

Date :

Place : Signature :

तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क \ Branch Network

क्रम संख्या Sl. No.	स्थान/देश Places/Countries	18.07.1969 की स्थिति के अनुसार As on 18.07.1969	31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार As on 31st December 1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार 2008	2009	2010	2011
1	भारत में (देशी)\ In India (Domestic)	351	1712	1957	2065	2148	2202
2	भारत के बाहर \ Overseas	6	9	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम \ United Kingdom	1	2	-	-	-	-
4	सिंगापुर \ Singapore	3	3	2	2	2	2
5	हांग कांग \ Hong Kong	2	4	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक) Total Number of Branches (Global)	357	1721	1961	2069	2152	*2206
7	विस्तार काउंटरों की संख्या No. of Extension Counters	-	80	19	11	7	4

***दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।**

*As on 31.3.2011, All the Branches are CBS enabled.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति

Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2007-08 to 2010-11

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्रम संख्या Sl. No.	निम्नलिखित को वित्तपोषण Financing of	निम्नलिखित के अनुसार बकाया शेष Balance Outstanding as on मार्च March 2008	मार्च March 2009	मार्च March 2010	मार्च March 2011
1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	20474	25232	27600	28253
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)*	47.08	50.69	43.91	39.16
3	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / Agriculture Advances	7884	11239	14309	11643
4	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / एएनबीसी/ Agriculture Advances/ANBC (%)*	13.00	22.58	22.76	16.14
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम/ Advances to Weaker Sections	3839	5973	6733	7496
6	कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*	8.83	12.00	10.71	10.39
7	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	6710	8963	12316	14790
8	जिनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances	4342	6694	9077	11973

***औसत निवल बैंक ऋण** / *Adjusted Net Bank Credit

तालिका/TABLE — III

हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा तथा अग्रिमों की 31.03.2011 के अनुसार स्थिति

Position of Deposits & Advances of our sponsored RRBs as on 31.03.2011

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्रम संख्या Sl. No.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम Name of RRB	शाखाओं की संख्या No. of Branches	कुल जमा Total Deposits	कुल अग्रिम Total Advances
1	जयपुर थार ग्रामीण बैंक \ Jaipur Thar Gramin Bank	213	1893	1012
2	कलिंग ग्राम्य बैंक \ Kalinga Gramya Bank	183	1692	962
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Bihar Kshetriya Gramin Bank	164	1395	499
4	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक \ Paschim Banga Gramin Bank	216	2646	844
5	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	43	279	88
	योग \ Total	**819**	**7905**	**3405**

वर्ष 2010-11 का निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2010-11

निदेशक मंडल बैंक के कार्यनिष्पादन सबंधी 42वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित दि. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं दि. 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

I. प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण :

1. आर्थिक समीक्षा 2010-11 :

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2010-11 के दौरान घरेलू स्थिति में विकास के प्रारंभिक लक्षण परिलक्षित हुए जबकि वर्ष 2009-10 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आनिश्चितता का दौर चल रहा था । जहाँ तक वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल देशी उत्पाद में वृद्धि का प्रश्न है, कृषि उत्पाद में वर्ष 2009-10 के 0.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में अच्छे मानसून के कारण 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2010-11 के दौरान 235.88 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2009-10 में 218.11 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन (अंतिम प्राक्कलन) हुआ था। अर्थव्यवस्था में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना वर्ष 2010-11 में 8.6 प्रतिशत संवृद्धि होने का अनुमान है ।

The Board of Directors presents the 42nd Annual Report on the working of the Bank. The Audited Balance Sheet as on 31.03.2011 and the Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2011 appended with the Auditors' Report are enclosed.

I. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS :

1. Economic Review 2010-11:

Indian economy in the year 2010-11 took off in an environment of incipient domestic recovery and uncertainty about the state of global economy in the year 2009-10. In terms of GDP growth, it was aided by a rebounce in agricultural growth, which following a good monsoon in 2010-11 grew at 5.4 percent as against 0.4 per cent in 2009-10. The production of food grains is estimated at 235.88 million tonnes during 2010-11 compared to 218.11 million tonnes (final estimates) in 2009-10. The economy is estimated to have grown by 8.6 per cent vis-à-vis a growth of 8 per cent in 2009-10 and 6.8 per cent in 2008-09.

तालिका 1 : आर्थिक क्रियाकलाप से उपादान लागत पर सकल देशी उत्पाद में वृद्धि (वर्ष 2004-05 के मूल्य पर)
Table 1: Growth of GDP at factor cost by economic activity (at 2004-05 prices)

	उद्योग /Industry	संवृद्धि / Growth			सकल देशी उत्पाद में प्रतिशत अंश Percentage share in GDP		
		2008-09	2009-10 (त्व.प्रा)/(QE)	2010-11 (अ.प्रा)/(AE)	2008-09	2009-10 (त्व.प्रा)/(QE)	2010-11
1	कृषि, वन उद्योग एवं मछली पकड़ने का धंधा Agriculture, forestry & fishing	-0.1	0.4	5.4	15.7	14.6	14.2
2	उद्योग/ Industry	4.4	8.0	8.1	28.1	28.1	28.0
3	सेवा क्षेत्र/Services	10.1	10.1	9.6	56.2	57.3	57.8
4	उपादान लागत पर सकल देशी उत्पाद GDP at factor cost	6.8	8.0	8.6	100.0	100.0	100.0

(त्व.प्रा.): त्वरित प्राक्कलन, (अ.प्रा.) : अग्रिम प्राक्कलन/ (QE) : Quick Estimate, (AE) : Advance Estimate

औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में 8.00 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010-11 में 8.1 प्रतिशत की मामूली संवृद्धि होने का अनुमान है । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 10.7 प्रतिशत की संवृद्धि हुई थी, परंतु उसमें मामूली कमी आने से समग्र संवृद्धि में कमी आई । उच्च आधार प्रभाव और निवेश की माँग में कमी आने के कारण वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में औद्योगिक विकास में कमी आई । इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पूँजीगत माल के उत्पादन और निवेश पर खर्च में कमी का होना । विनिर्माण क्रियाकलाप अधिक नियमित ढंग से हुआ और कुछ उद्योगों के उत्पादन में अस्थिरता के कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हाल में तेज कमी आई। वर्ष, 2010-11 में सेवा क्षेत्र में भी गति दिखाई पड़ी।

वर्ष 2010-11 के दौरान तीन आधारभूत मुद्दे, यथा उच्च मुद्रास्फीति, कठोर चलनिधि स्थिति और सकल देशी उत्पाद एवं उसके वित्तीयन की तुलना में चालू खाते की अधिक प्रतिशतता में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर हावी रही । वर्ष के प्रारंभ में खाद्यान्न से मुद्रास्फीति उद्भूत हुई, फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए , इसका सामान्यीकरण हो गया । वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था में कठोर चलनिधि स्थिति को सरल बनाने के कई उपाय किए । वर्ष 2010-11 की अंतिम तिमाही में निर्यात में अधिक वृद्धि के कारण चालू खाते में कमी होने की संभावना है ।

The industrial sector is estimated to be somewhat flat to have grown by 8.1 per cent in 2010-11 vis-à-vis 8.00 per cent in 2009-10. The index of industrial production (IIP) which grew by 10.7 per cent during the first half of the year 2010-11, moderated subsequently to bring down the overall growth. Industrial growth decelerated in the second half on account of high base effect and moderation in investment demand. Particularly significant were the slowdown in capital goods production and investment spending. Manufacturing activity was spread more evenly and the recent slowdown in IIP was exacerbated by volatility in output of a few industries. Services sector also exhibited momentum in 2010-11.

During the year 2010-11, three basic issues namely, high inflation, tight liquidity conditions and high percentage of current account deficit to GDP and its financing dominated the Indian economy. Inflation, which initially emanated from food, became generalized as the year progressed. Reserve Bank of India, during the year 2010-11, had come out with a number of measures to ease the tight liquidity conditions in the banking system. On account of higher export growth in the last quarter of the year 2010-11, the current account deficit is expected to come down.

वर्ष 2010-11 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बरकरार रही जिसके लक्षण वस्तुओं, विशेषकर कच्चे तेल की अधिक कीमत, कर्ज की समस्या, उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव, दीर्घावधि ब्याज दर में प्रत्याशित वृद्धि के कारण राजकोषीय समायोजन की समस्या के रूप में दिखाई दिए ; इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि हुई ।

2. आर्थिक परिदृश्य 2011-12 :

वर्ष 2011-12 के लिए भारत का समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल है यद्यपि वस्तुओं, विशेषकर कच्चे तेल की अधिक कीमत संवृद्धि एवं मुद्रास्फीति- दोनों के लिए जबरदस्त जोखिम साबित हो सकता है। लगातार उच्च मुद्रास्फीति अब उच्च संवृद्धि दर को बनाए रखने में जोखिम पैदा कर रहा है । संतुलित संवृद्धि एवं मुद्रास्फीति निकट भविष्य में महत्वपूर्ण कारक होंगी। प्रगामी सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि विशेषकर तेल एवं अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति निवारक उपाय के फलस्वरूप संवृद्धि एवं प्रत्याशित कारोबार में थोड़ी कमी होगी। तथापि, इन शमनकारक तत्व के परिणामस्वरूप ऋण की माँग काफी बढ़ सकती है और मानसून सामान्य बने रहने पर निवेश बढ़ सकता है ।

मानसून के सामान्य बने रहने एवं कच्चे तेल की औसत कीमत वर्ष 2011-12 में पूरे वर्ष 110 अमरीकी डालर बने रहने के अनुमान के आधार पर वर्ष 2011-12 में सकल देशी उत्पाद में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की आनुमानिक संवृद्धि लगभग 8 प्रतिशत है ।

देशी माँग-आपूर्ति संतुलन, वस्तुओं के मूल्य की वैश्विक प्रवृत्ति और संभावित माँग के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2012 में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति का आधारभूत अनुमान 6 प्रतिशत है जिसके और बढ़ने की संभावना है । वर्ष के प्रथम छह महीने में मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर पर और मार्च, 2012 तक धीरे-धीरे कुछ घटकर 6 प्रतिशत पर रहने की संभावना है ।

कई समस्याओं, यथा उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देशों द्वारा लिए गए ऋण, वस्तुओं, विशेषकर तेल की कीमत में वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देशों में दीर्घावधि ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि एवं राजकोषीय समयोजन में जटिलता, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में बढ़ते मुद्रास्फीतिकारक दबाव, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि और उससे मजदूरी आदि में वृद्धि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी रहने की संभावना है ।

II. बैंक का कार्यनिष्पादन 2010-11 :

1. यूको बैंक का नेटवर्क :

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने विकल्पी डेलिवरी चैनल सहित विभिन्न चैनलों के जरिए अपने नेटवर्क का विस्तार किया ।

शाखा नेटवर्क :

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की भारत स्थित शाखाओं की संख्या 2202 थी एवं विदेशों में बैंक की चार शाखाएं यानी सिंगापुर एवं हांग काँग में से प्रत्येक में दो शाखाएं थीं , इस प्रकार बैंक का वैश्विक नेटवर्क 2206 था ।

Indian economic growth in 2010-11, has been against the backdrop of continuation of uncertainties in the status of global economy which has been characterized by high commodity prices, particularly that of crude oil, debt problems, rising inflationary pressures in emerging market economies, fiscal adjustment problem on account of expected rise in long term interest rates.

2. ECONOMIC OUTLOOK 2011-12:

India's macroeconomic outlook for 2011-12 remains favourable, though high commodity prices particularly high oil prices may pose a risk to both growth and inflation. Persistent high inflation poses risk to sustaining high growth. Balancing growth and inflation shall be important in the short run. Forward-looking surveys indicate slight moderation in growth and business expectations particularly on account of high oil and other commodity prices and the impact of the Reserve Bank's anti-inflationary monetary stance. However, mitigating factors could exist in the form of strong credit demand, prediction of normal monsoon and good investment in the pipeline.

Based on the assumption of a normal monsoon, and crude oil prices averaging at US$ 110 a barrel over the full year 2011-12, the baseline projection of real GDP growth for 2011-12, for policy purposes, is around 8 per cent.

Keeping in view the domestic demand-supply balance, the global trend in commodity prices and the likely demand scenario, the baseline projection for WPI inflation for March 2012 is 6 per cent with an upward bias. Inflation is expected to remain at an elevated level in the first half of the year before gradually moderating to 6 per cent by March, 2012.

Global economic recovery is expected to be on lower side due to several problems namely, debt in advanced economies, high commodity prices especially that of oil, rise in long term interest rates in advanced economies with implications for fiscal adjustment, rising inflationary pressures in emerging market economies, high crude oil prices leading to higher wages etc.

II. PERFORMANCE OF THE BANK 2010-11 :

1. UCO's Network:

During the year 2010-11, the Bank had expanded its network through different channels, including Alternative Delivery Channels.

Branch Network :

As of 31st March, 2011, the total number of domestic branches stood at 2202. With four overseas branches, two each in Singapore and Hong Kong, the global network of the Bank stood at 2206.

देशी शाखाओं का आबादी वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है -

The population category-wise classification of domestic branches is detailed below:

शाखाओं का आबादी वर्गवार वर्गीकरण Population category-wise Classification of branches	मार्च/March, 2010	मार्च/March, 2011	कुल की तुलना में % माच 2011 %age to total March, 2011
ग्रामीण / Rural	800	815	37.00
अर्ध-शहरी/Semi-urban	432	461	21.00
शहरी / Urban	479	482	22.00
महानगरीय/Metropolitan	437	444	20.00
योग/Total:	2148	2202	100.00

अब बैंक की शाखाएं लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक-एक शाखा सहित संपूर्ण भारत में हैं। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति को बैंक के विस्तार काउंटरों की संख्या 4 (चार) है। इसके अतिरिक्त बैंक के 2 कार्यालय विदेशी केंद्र - एक कुआलालंपुर, मलेशिया में एवं एक गुआंगझउ, चीन में है।

The Bank has now pan-India presence including a branch each at Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands. The total number of Extension Counters of the Bank as of 31.03.2011 stood at 4 (four). In addition, the Bank has two Representative Offices at overseas centres, one each at Kuala Lumpur in Malaysia and at Guangzhou in China.

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल-

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल अर्थात एटीएम के माध्यम से नेटवर्क के विस्तार के मामलों में वर्ष के दौरान 130 एटीएम जोड़े गए और दिनांक 31 मार्च, 2011 को इसकी कुल संख्या 608 हो गई।

Alternative Delivery Channels:

In terms of expansion of network through alternative delivery channels i.e. through ATM network, the number of ATMs added during the year were 130, thereby reaching a total of 608 as of 31st March, 2011.

विशेषीकृत शाखाएं :

विशेषीकृत दक्षता के साथ विशेषीकृत या विशेष जरूरतों को पूरा करने हेतु बैंक की विशेषीकृत शाखाओं का अच्छा नेटवर्क है। इन विशेषीकृत शाखाओं में 9 फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएं, 26 मिड कारपोरेट शाखाएं, 5 आस्ति वसूली शाखाएं , 20 सेवा शाखाएं एवं 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा शामिल है।

दिनांक 31.03.2011 के अनुसार सिटी बैक ऑफिस (सीबीओ) के माध्यम से बैंक का 36% कारोबार पूरा हो रहा है एवं उसे और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बैंक के अतिरिक्त कारोबार को शामिल कर सके।

Specialized Branches:

The Bank has a good network of specialized branches catering to the specialized or specific requirements with specialized skills and these branches include 9 Flagship Corporate, 26 Mid Corporate, 5 Asset Recovery branches, 20 Service Branches and 1 integrated Treasury Management Branch.

The City Back Offices (CBO) as of 31.03.2011 cover 36 per cent of Bank's business, and efforts are on to strengthen them further to cover Bank's additional business.

2. कारोबार रूपरेखा-

वर्ष 2010-11 को दौरान बैंक के कारोबार में लगातार वृद्धि देखी गई और 19.46% की वैश्विक वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक आगे बढ़ा। वैश्विक जमा एवं वैश्विक अग्रिम में क्रमशः 18.68% और 20.62% की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने अग्रिम के अंतर्गत ₹ 1.00 लाख करोड़ कारोबार पार किया जो वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। देशी जमा में 17.64% की वृद्धि एवं अग्रिम में 20.21% की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक के देशी कारोबार में 18.67% की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के विदेशी केंद्रों ने भी जमा एवं अग्रिम में क्रमशः 37.20% एवं 26.06% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़िया कार्यनिष्पादन किया।

2. BUSINESS PROFILE :

During the year 2010-11, the business of the Bank showed a steady growth and marched ahead with a global business growth of 19.46 per cent. Global deposits and global advances grew by 18.68 per cent and 20.62 per cent, respectively. The major landmark during the year was that the Bank crossed ₹.1.00 lakh crore of advances. Domestic business of the Bank grew by 18.67 per cent with domestic deposits registering a growth of 17.64 per cent and advances at 20.21 per cent.

During the year 2010-11, the overseas centres of the Bank also performed well with growth in deposits and advances at 37.20 per cent and 26.06 per cent, respectively.

वर्ष 2010-11 में बैंक का कुल कारोबार -/ Bank's Business as a whole 2010-11 : (राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रम SI NO.	संख्या Particulars	2010 (लेखापरीक्षित) 2010 (Aud.)	2011 (लेखापरीक्षित) 2011 (Aud.)	वृद्धि समग्र Growth Absolute	(%)
I	**देशी / DOMESTIC**				
(i)	जमा/ Deposits	115956	136414	20458	17.64
(ii)	अग्रिम/ Advances	77568	93246	15678	20.21
(iii)	**कुल कारोबोर / Total Business**	**193524**	**229660**	**36136**	**18.67**
II	**विदेशी/OVERSEAS**				
(i)	जमा/Deposits	6460	8863	2403	37.20
(ii)	अग्रिम/Advances	5803	7315	1512	26.06
(iii)	**कुल कारबोर/Total Business**	**12263**	**16178**	**3915**	**31.93**
III	**वैश्विक/GLOBAL**				
(i)	जमा/Deposits	122416	145277	22861	18.68
(ii)	अग्रिम/Advances	83371	100561	17190	20.62
(iii)	**कुल कारोबोर/Total Business**	**205787**	**245838**	**40051**	**19.46**

बैंक के प्रति शाखा देशी कारबार में 15.56 % का सुधार हुआ एवं वह 31 मार्च, 2010 के ₹.90 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को 104 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान प्रति शाखा देशी जमा ₹. 54 करोड़ से बढ़कर ₹. 62 करोड़ एवं अग्रिम ₹. 36 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हो गया।

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान अपने कारोबार में सुधार करने हेतु ली गई प्रमुख पहल :

i) वर्तमान एवं भावी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न नए उत्पादों/योजनाओं का शुभारंभ

क) बचत एवं चालू खाते के लिए अतिरिक्त सुविधा के साथ नई कासा योजना

ख) शिक्षण संस्थानों के लिए यूको बैंक की किसी भी शाखा में विद्यार्थियों की फीस के संग्रहण हेतु 'यूको सहज' योजना

ग) इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने कर्मचारियों के वेतन को आसानी से जमा करने के लिए ओवरड्राफ्ट तथा शून्य शेष सुविधा के साथ कारपोरेट घरानों के लिए 'यूको सुविधा'-योजना

घ) 'यूको सनशाइन आवर्ती जमा योजना' अतिरिक्त सुविधा के साथ

ङ) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम को बढ़ाने हेतु स्वर्ण ऋण योजना

ii) लेन-देन आधारित मोबाइल बैंकिंग एवं ऑन-लाइन शेयर ट्रेडिंग का शुभारंभ

iii) मार्च, 2010 को समाप्ति पर 478 एटीएम की संख्या बढ़कर मार्च, 2011 की समाप्ति पर 608 हो गई अर्थात वर्ष के दौरान 130 एटीएम जोड़े गए।

निवेश -

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के निवेश(सकल) में 1.32% की कमी आई और वह 31.03.2010 के ₹. 43,699.87 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹. 43,124.44 करोड़ रहा। देशी निवेश में भी 2.70% की कमी दर्ज की गई। वर्ष के दौरान भा. रि. बैंक द्वारा की गई सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 24 प्रतियत की कटौती के कारण बैंक के समग्र निवेश पर उसका प्रभाव देखा गया।

रिटेल उधार :

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी रिटेल पोर्टफोलिओ को मजबूत करने के उद्देश्य से विपुल प्रयास किए। बैंक ने कासा एवं रिटेल उधार को गति प्रदान करने के लिए 218 शाखाओं को वैयक्तिक बैंकिंग शाखा के रूप में चिह्नित किया है।

Per-branch domestic business of the Bank improved by 15.56 per cent from ₹. 90 crore as of 31st March, 2010 to ₹. 104 crore as of 31st March, 2011. Per-branch domestic deposits improved from ₹. 54 crore to ₹. 62 crore while advances improved from ₹. 36 crore to ₹. 42 crore during the year.

Major initiatives that have been taken by the Bank during the year to improve its business included :

i) Launching of various new products/schemes to meet the requirements of existing and prospective customers namely,

a) New CASA Product lines both for Savings & Current with add-on features.

b) 'UCO Sahaj' exclusively for Educational Institutes for collection of students' fees at any of the UCO Bank branches.

c) 'UCO Suvidha' for corporate houses with overdraft and zero balance facility for crediting their employees' salary conveniently through electronic mode.

d) 'UCO Sunshine Recurring Deposit Scheme' with attractive add-on features.

e) Gold Loan Scheme for increasing priority sector advances.

ii) Introduction of Transaction based Mobile Banking and On-line Share Trading.

iii) Increase in number of ATMs from 478 at the end of March, 2010 to 608 as on 31st March, 2011 i.e. an addition of 130 ATMs during the year.

Investments :

The investments (gross) of the Bank during the year 2010-11 declined by 1.32 per cent from ₹. 43,699.87 crore as of 31.03.2010 to ₹. 43124.44 crore as of 31.03.2011. The domestic investment (gross) also declined by 2.70 per cent. During the year, the reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) to 24 per cent by RBI had its impact on the overall investments of the Bank.

Retail Lending :

The Bank laid considerable thrust on strengthening its retail portfolio during the year 2010-11. The Bank has designated 218 branches as Personalised banking branches to boost CASA and Retail lending.

अपने रिटेल ग्राहकों को अच्छी तरह सेवा प्रदान करने तथा उन्हें ऋण वितरण में सुधार तथा रिटेल ऋण आवेदन के प्रसंस्करण में होनेवाली देर को कम करने और रिटेल कारोबार को प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक ने रिटेल ऋण केंद्र की स्थापना की है । पूरे देश में फिलहाल बैंक के 26 रिटेल ऋण केंद्र हैं। इस दौरान बैंक ने अपने विक्रय दल को भी सक्रिय किया है।

इसके अतिरिक्त रिटेल ग्राहकों के लिए बनी कई योजनाएं यथा यूको गृह ऋण, यूको ट्रेडर, यूको शिक्षा, यूको पेंशन आदि को बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने तथा अपने आला ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए योजनाओं में कुछ आशोधन/ संशोधन किया गया है।

एसएमई ऋण केंद्र

बैंक ने कारोबार वृद्धि एवं राजस्व सृजन की दृष्टि से एसएमई अग्रिम की संभावना को पहचाना है और उसीको ध्यान में रखते हुए महानगरों एवं औद्योगिक केंद्रों में अंचल कार्यालय के अधीन एसएमई ऋण प्रस्तावों पर त्वरित निपटान हेतु एसएमई ऋण केंद्र का शुभारंभ किया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक कार्य समाप्त कर एसएमई ऋण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया तथा वर्ष के दौरान एसएमई ऋण केन्द्रों को तैयार कर लिया गया।

निर्यात ऋण :

दिनांक 31.03.2011 को बैंक का निर्यात ऋण ₹. 5944 करोड़ रहा जो कि बैंक के निवल ऋण का 6.33% है। निर्यात ऋण में वृद्धि के लिए बैंक ने कई संभाव्य स्थानों पर निर्यातकों की बैठक का भी आयोजन किया।

3. पूंजीगत संरचना

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ईक्विटी शेयर पूंजी के तहत ₹. 940 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया एवं उसके एवज में बैंक ने ₹.10/- के प्रति शेयर को ₹. 120.27 के जारी मूल्य पर 7,81,57,479 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। ₹. 940 करोड़ में से ₹. 78.15 करोड़ को शेयर पूंजी खाते में एवं शेष ₹ 861.85 करोड़ को शेयर प्रीमियम खाते में रखा गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹. 673 करोड़ का अभिदान प्राप्त किया जिसके एवज में ₹. 1,00,000 मूल्य के 67,300 पीएनसीपीएस आबंटित किए गए। दिनांक 31.03.2011 को भारत सरकार ₹. 1,00,000 मूल्य के 1,82,300 पीएनसीपीएस धारण करती है जिसका कुल मूल्य ₹. 1823 करोड़ है।

बैंक की अमिदत्त एवं निर्गमित पूंजी को शामिल करते हुए कुल प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2010 को ₹. 1699.36 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2011 की समाप्ति पर ₹. 2450.52 करोड़ है। भारत सरकार का शेयर होल्डिंग 31 मार्च, 2010 को 63.59% से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को 68.13% हो गया।

4. लाभप्रदता

परिचालन लाभ एवं निवल लाभ

वर्ष 2010-11 में बैंक के वित्तीय परिणाम में कई मुख्य बातें देखने को मिलीं, यथा- परिचालन लाभ में उच्चतर वृद्धि, निवल ब्याज आय (एनआइआइ) एवं निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में सुधार एवं जमा लागत में कटौती आदि।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 58 प्रतिशत तथा ₹. 989.33 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹. 2694.96 करोड़ हुआ। देशी परिचालन लाभ में 58.53% तथा ₹. 960.06 करोड़

In order to improve the credit delivery to the retail customers with a particular objective of cutting down the delays in processing of Retail Loan Applications as also to serve the customer in a better manner, the Bank had launched Retail Loan Hubs to play a very important role in garnering retail business. The Bank, at present, has 26 Retail Loan Hubs across the country. The Bank had also activated its Sales Force Teams.

Besides, in respect of several existing schemes meant for retail customers namely, UCO Home Loan, UCO Trader, UCO Education, UCO Pension etc., certain modifications and/or amendments were done to remain competitive in the market as well as to suit niche clientele.

SME Loan Hubs:

The Bank having realized the potential in SME advances, particularly from the angle of business growth and revenue generation, has focussed its attention at launching of SME Loan Hubs in metro cities and industrial clusters of the country, as part of Zonal Office for expeditious disposal of loan proposals. Preparatory work was completed during the year 2010-11 and launching of SME Loan Hubs was made ready during the year.

Export Credit :

The export credit of the Bank as of 31.03.2011 stood at ₹. 5944 crore constituting 6.33 per cent of Net bank credit. Consistent efforts were made by the Bank to increase the export credit by organizing exporters' meet at potential locations.

3. CAPITAL STRUCTURE:

During the year, Bank received contribution of ₹. 940 crore towards equity share capital from Government of India and allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹. 10/- each at issue price of ₹. 120.27. Out of ₹. 940 crore, ₹. 78.15 crore is transferred to Share Capital Account and ₹. 861.85 crore towards Share Premium Account.

During the year the Bank allotted 67,300 PNCPs of ₹. 1,00,000 each on receipt of subscription aggregating to ₹. 673 crore from Government of India. As on 31.03.2011, Government of India holds 1,82,300 PNCPs of ₹. 1,00,000 each aggregating to ₹. 1823 crore.

As at the end of 31st March, 2011, the total paid-up capital including subscribed and issued capital of the Bank stood at ₹. 2450.52 crore as against ₹. 1699.36 crore as of 31st March, 2010. The percentage share holding of the Govt. of India increased from 63.59 as of 31st March, 2010 to 68.13 as of 31st March, 2011.

4. PROFITABILITY :

Operating and Net Profit:

The financial results of the Bank in the year 2010-11 showed several salient features namely, higher growth of operating profit, improvement in net interest income (NII) and net interest margin (NIM) and reduction in cost of deposits etc.

During the year 2010-11, the operating profit of the Bank increased by ₹. 989.33 crore, thereby registering a y-o-y growth of 58 per cent and stood at ₹. 2694.96 crore. The domestic operating

की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹. 2600.46 करोड़ हुआ। विदेशी केंद्र के परिचालन लाभ में ₹. 29.27 करोड़ या 44.88% की वृद्धि हुई और वह ₹. 94.50 करोड़ हुआ। निवल ब्याज आय में सुधार के कारण बैंक के परिचालन लाभ में वृद्धि हुई और वर्ष 2010-11 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 65% की वृद्धि हुई।

तथापि पिछले वर्ष की तुलना में बैंक का निवल लाभ 10.44 प्रतिशत कम हो गया और वह ₹. 906.54 करोड़ रहा। निवल लाभ में कमी मुख्य रूप से कर्मचारी प्रावधान एवं अनर्जक आस्ति प्रावधान के कारण हुई। देशी निवल लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 9.87 प्रतिशत की कमी हुई और वह ₹. 863.16 करोड़ हुआ। विदेशी केंद्रों में निवल लाभ में 20.41प्रतिशत की कमी हुई।

वित्तीय सूचकः

बैंक का निवल ब्याज मार्जिन दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार 2.19 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 3.07% हो गया, अर्थात इसमें 88 आधार अंक तक की वृद्धि हुई। यह निवल ब्याज आय में वृद्धि होने के कारण हुई है।

बैंक की जमा लागत को दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 6.44 प्रतिशत से दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 5.74 प्रतिशत तक घटाए जाने के कारण ही निवल ब्याज आय में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने सचेतन होकर ही ऐसी नीति का पालन किया जिससे अधिक लागतवाली थोक जमाराशि को हतोत्साहित किया जा सके। बैंक के निवेश से हुई आय में भी 23.35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जिसमें अग्रिम से हुई आय में 19.68 प्रतिशत तक की वृद्धि शमिल थी। वेतन में आशोधन के कारण स्टाफ संबंधी लागत में 39.95 प्रतिशत की वृद्धि होने के फलस्वरूप बैंक के परिचालन व्यय में स्टाफ संबंधी लागत को छोड़कर केवल 12.99 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के आय अनुपात की तुलना में लागत में सुधार दिखाई पड़ा जो मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 48.16 प्रतिशत से सुधरकर मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 43.51 प्रतिशत हो गया।

profit increased by ₹. 960.06 crore, with a growth of 58.53 per cent and stood at ₹. 2600.46 crore. The operating profit in overseas centres showed an increase of ₹. 29.27 crore or 44.88 per cent and stood at ₹. 94.50 crore. The operating profit of the Bank has shown increase primarily on account of improvement in net interest income of the Bank which showed a y-o-y growth of 65 per cent during the year 2010-11.

However, the net profit of the Bank had slipped over the previous year by 10.44 per cent and stood at ₹. 906.54 crore. The net profit declined due to employees' provisions and NPA provisions. The domestic net profit stood at ₹. 863.16 crore showing a decline by 9.87 per cent over the previous year. The net profit in overseas centres declined by 20.41 per cent.

Financial Indicators:

The Net Interest Margin of the Bank increased significantly from 2.19 per cent as of 31.03.2010 to 3.07 per cent as of 31.03.2011 i.e. an increase by 88 basis points. This is due to increase in Net Interest Income.

Net Interest Income increased on account of cost of deposits of the Bank being brought down from 6.44 per cent as of 31st March, 2010 to 5.74 per cent as of 31st March, 2011. During the year, the Bank followed a policy of consciously discouraging high-cost bulk deposits. The income from investments of the Bank also increased by 23.35 per cent, with income from advances increasing by 19.68 per cent. The operating expenses of the Bank excluding staff cost increased by only 12.99 per cent during the year, with staff cost going up by 39.95 per cent on account of wage revision.

The Cost to Income Ratio of the Bank during the year 2010-11 showed improvement from 48.16 per cent as of March, 2010 to 43.51 per cent as of March, 2011.

क्र. सं. Sl. No.	**मानदंड Parameter**	**देशी Domestic**		**वैश्विक Global**	
		मार्च/ Mar.,'10	**मार्च/Mar.,'11**	**मार्च/Mar.,'10**	**मार्च/Mar.,'11**
(i)	निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.33	3.26	2.19	3.07
(ii)	निवल ब्याज आय Net Interest Income	2252	3757	2324	3845
(iii)	आय अनुपात की तुलना में लागत (%) Cost to Income Ratio (%)			48.16	43.51

5. सामाजिक बैंकिंग और वित्तीय समावेशनः

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारः

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ₹. 28253 करोड़ ₹. रहा और इस प्रकार यह समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 39.16 प्रतिशत होता है। कुछ अग्रिमों के पुनर्वर्गीकरण में के फलस्वरूप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में गिरावट आई।

कृषि अग्रिमः

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹. 11643 करोड़ रहा जो एएनबीसी की तुलना में 16.14 प्रतिशत होता है। प्रत्यक्ष रूप से दिए गए कृषि ऋण की राशि ₹. 8191 करोड़ रही जो एएनबीसी की तुलना 11.35 प्रतिशत है।

5. SOCIAL BANKING & FINANCIAL INCLUSION:

Priority Sector Lending:

During the year 2010-11, the priority sector advances of the Bank stood at ₹. 28253 crore constituting thereby 39.16 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Re-classification of certain advances led to the shortfall in priority sector advances.

Agricultural Advances:

The total agricultural advances of the Bank stood at ₹. 11643 crore constituting 16.14 per cent to ANBC. Direct agricultural credit stood at ₹. 8191 crore constituting 11.35 per cent to ANBC.

कमजोर वर्गों को अग्रिमः

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिम की राशि ₹. 7496 करोड़ रही। इस प्रकार यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जिसका एएनबीसी की तुलना में प्रतिशत 10.39 रहा।

मझोले एवं लघु तथा सुक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) और सुक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)

एमएसएमई और सुक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत अग्रिम की राशि क्रमशः ₹. 14798 करोड़ एवं ₹. 11973 करोड़ रही जिनकी संवृद्धि दर क्रमशः 20.53 प्रतिशत एवं 31.90 प्रतिशत रही।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने सुक्ष्म एवं लघु उद्योमों को अधिक ऋण देने हेतु 'यूको कमर्शियल वेहिक्ल फाइनेंस स्कीम' नामक एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत 1088 ऋण खातों की मद में ₹. 35 करोड़ स्वीकृत किया है।

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम :

महिला हिताधिकारियों को प्रदत्त अग्रिम की कुल राशि ₹. 4090.55 करोड़ रही जो वर्ष 2010-11 के दौरान ₹. 80.10 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है। यह समायोजित निवल बैंक ऋण का 5.67 प्रतिशत थी जो 5 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से काफी अधिक है।

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम :

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम प्रदान करना केन्द्रीय विषय रहा है तथा इस क्षेत्र में कुल अग्रिम की राशि ₹. 4103.53 करोड़ रही और इसमें ₹. 114.03 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका प्रतिशत 14.52 था। यह 15 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से थोड़ा कम था।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को अग्रिम :

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति को प्रदत्त अग्रिम की राशि ₹. 2102.27 करोड़ रही जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 7.44 प्रतिशत था।

अन्य गतिविधियां :

वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड (के सी पी) जारी करने पर बल दिया गया। बैंक ने 74649 कार्ड जारी किए जिनकी राशि ₹. 664.92 करोड़ थी। नए किसानों को उधार देने पर भी जोर दिया गया और बैंक ने 53109 किसानों को ऋण प्रदान किया जिसकी राशि ₹. 530 करोड़ थी। इसी तरह किसान क्लब के गठन को भी महत्व दिया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की शाखाओं के पहल से 625 नए किसान क्लब गठित किए गए। सभी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में संस्वीकृत किए गए ऋण खातों की संख्या 21902 थी जिनकी राशि 393 करोड़ थी।

वित्तीय समावेशन :

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार बैंक ने वित्तीय समावेशन परियोजना के कार्यान्वयन को गंभीरतापूर्वक शुरूकिया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु त्रि-मार्गीय दृष्टिकोण अपनाया है जिनमें ये शामिल हैं : (i) ब्रिक एवं मोर्टर शाखाएं, (ii) चलायमान यूको बैंक (मोबाइल वैन) तथा (iii) आईसीटी आधारित वित्तीय समावेशन का प्रयोग कर कारोबार संपर्की (बीसी) मॉडल।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का यह लक्ष्य रहा कि 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 880 बैंक-रहित गांवों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैंक- रहित गांवों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के यथानिर्दिष्ट लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में बैंक ने 1005 गांवों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराई है।

Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Sections stood at ₹. 7496 crore as of 31st March, 2011, thereby showing an increase of 11.33 per cent over the previous year, with percentage to ANBC being at 10.39.

Medium, Small & Micro Enterprises (MSME) and Micro & Small Enterprises (MSE):

Advances under MSME and MSE stood at ₹. 14798 crore and ₹. 11973 crore, respectively with growth rates of 20.53 per cent and 31.90 per cent, respectively.

During the year 2010-11, a new scheme titled 'UCO Commercial Vehicle Finance Scheme' was launched by the Bank to enhance credit to micro and small enterprises and an amount of ₹. 35 crore was sanctioned under the scheme in respect of 1088 loan accounts.

Advances to Women beneficiaries:

Total advances to Women beneficiaries stood at ₹. 4090.55 crore showing an increase of ₹. 80.10 crore during the year 2010-11. This constituted 5.67 per cent to Adjusted Net Bank Credit well above the stipulated level of 5 per cent.

Minority Community Advances:

Minority Community advances have been a focal point and total advances to this Community stood at ₹. 4103.53 crore, an increase of ₹. 114.03 crore, constituting 14.52 per cent, marginally below the stipulated level of 15 per cent.

Advances to SC/ST:

Advances to SC/ST stood at ₹. 2102.27 crore constituting 7.44 per cent of Priority Sector Advances.

Other Developments:

During the year, there was emphasis on issuance of Kisan Credit Cards (KCC). The Bank issued 74649 cards amounting to ₹. 664.92 crore. There was also stress on lending to new farmers and the Bank extended loans to 53109 new farmers amounting to ₹. 530 crore. Equally, there was thrust on formation of Farmers' Club. 625 new Farmers' Clubs were formed with the initiatives of Bank's branches during the year 2010-11. Credit Camps were organized at all rural and semi-urban branches with 21902 loan a/cs. being sanctioned in those camps amounting to ₹. 393 crore.

Financial Inclusion:

In compliance with the directions given by the Government of India and Reserve Bank of India, the Bank had taken up implementation of the project under 'Financial Inclusion'. The Bank had adopted 3-way Approach to implement the Financial Inclusion Programme which constitutes (i) Brick & Mortar branches, (ii) UCO Bank on Wheels (Mobile Van) and (iii) Business Correspondent (BC) Model using ICT-based financial inclusion.

During the year 2010-11, the target for the Bank was to cover 880 unbanked villages having a population of 2000 plus each. Out of the targeted unbanked villages, the Bank had covered 1005 villages.

बैंक ने 24 चलायमान यूको बैंक (मोबाइल वैन)ङ प्रारंभ किया जो कि बैंक के 18 अंचलों में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को साकार करने कि दिशा में एक अभिनव पहल है। यह यूको मोबाइल बैंक एक ऐसी एकल चलायमान बुनियादी व्यवस्था है जिसके तहत 100% कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) समर्थ शाखाओं के अपने नेटवर्क के अंतर्गत किसी एक आधार शाखा से जोड़कर बैंक-रहित क्षेत्रों में ग्राहकों की दहलीज पर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाती है।

वर्ष के दौरान एक नया प्रोडक्ट 'यूको जीविका', जो वित्तीय समावेशन के अंनर्गत खोले जानेवाले सीमित सुविधावाले खाते में व्यष्टि ऋण ओवरड्राफ्ट सुविधा से युक्त है, तैयार किया गया है। वित्तीय समावेशन के एक अंग के रूप में 256243 नए खाते 1005 बैंक- रहित गांवों में खोले गए।

The Bank had launched 24 'Bank-on-Wheels' (Mobile Vans), a unique initiative for financial inclusion in 18 Zones of the Bank. This UCO Mobile Bank is a single mobile infrastructure that provides banking services at the doorstep of customers in un-banked areas by linking to a base branch under its network of 100% Core Banking Solutions (CBS) enabled branches.

During the year, a new product called 'UCO Jeevika', which is an embedded Micro Credit Overdraft facility in 'No Frill' Account to be opened under Financial Inclusion was formulated. 256243 new accounts were opened as a part of financial inclusion in 1005 un-banked villages.

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

9. यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः/ REGIONAL RURAL BANKS SPONSORED BY UCO BANK:

क्र. स. Sl No.	क्षे.ग्रा. बैंक का नाम Name of RRB	राज्य State	शाखाओं की संख्या No. of Branches	कुल जमाराशि Total Deposits	कुल अग्रिम राशि Total Advances
1.	जयपुर थार ग्रामीण बैंक Jaipur Thar Gramin Bank	राजस्थान Rajasthan	213	1893	1012
2.	कलिंग ग्राम्य बैंक Kalinga Gramya Bank	ओड़िशा Orissa	183	1692	962
3.	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Bihar Kshetriya Gramin Bank	बिहार Bihar	164	1395	499
4.	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक Paschim Banga Gramin Bank	पश्चिम बंगाल West Bengal	216	2646	844
5.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	43	279	88
	कुल/TOTAL :		819	7905	3405

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित पाँच क्षे.ग्रा. बैंकों में से 3 क्षे.ग्रा. बैंकों ने निवल लाभ की रिपोर्ट की है। दो शेष बैंक अर्थात पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हानि हुई है, परंतु महाकौशल ग्रामीण बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी हानि को कम किया है।

सकल अनर्जक आस्ति दि. 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार ₹. 237 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार ₹. 239 करोड़ रही। सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्ति दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार 8.09 से घटकर दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 7.03 हो गई। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार क्षे.ग्रा.बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां ₹. 122 करोड़ रही और निवल अग्रिम के प्रतिशत के अनुसार यह 3.68 थी।

Out of the five RRBs sponsored by the Bank, 3 RRBs have reported net profit during the year. The remaining two banks namely Paschim Banga Gramin Bank and Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank have incurred loss but Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank has reduced its loss as compared to last year.

The Gross Non-Performing Asset (GNPA) stood at ₹. 239 crore as on 31.03.11 as against ₹. 237 as on 31.03.10. The Gross NPA as percentage to Gross Advances has reduced from 8.09 as on 31.03.10 to 7.03 as on 31.03.11. The net non-performing assets of the RRBs as on 31.03.11 stood at ₹.122 crore and in terms of percentage to net advances, it was 3.68.

6. आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंध ऋण निगरानी :

ऋण निगराणी

आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा इनमें सुधार लाने हेतु बैंक ने कई उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से ऋण निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है। विशेषतः इस कार्य के तहत ऋण निगरानी पर तेजी लाने के उद्देश्य से संस्वीकृत ऋण सीमाओं के आधार पर खातों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपते हुए विभिन्न स्तरों पर खातों पर निगरानी रखने की क्रमिक प्रणाली अपनाई गई है और संकटपूर्ण खातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने सीबीएस प्रणाली से सीधे सूचना प्राप्त कर सूचना प्रणाली को सरल और कारगर बनाया है ताकि विभिन्न स्तरों पर तुरंत निर्णय करने में सहूलियत हो।

6. ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT:

Credit Monitoring

The Bank in order to maintain and improve the quality of assets strengthened its Credit Monitoring Mechanism through implementation of several measures particularly having a Graded system of monitoring of accounts at various levels by assigning responsibility of monitoring of accounts based on sanctioned credit limits with the objective to intensify the credit monitoring and have focussed attention to critical accounts. In addition, the bank has also streamlined the information system by directly obtaining information from the CBS system for facilitating prompt decision making at various levels.

अनर्जक आस्तियां :

वर्ष 2010-11 के दौरान खातों पर लगातार निगरानी रखकर अनर्जक आस्तियों के नए रूप में उभरने को रोकने के प्रयास किए गए। कई उपायों यथा उधारकर्ता/गारटीकर्ता से संपर्क, वसूली शिविरों के आयोजन, सरफेसी अधिनियम, लोक अदालत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) सिविल वाद के अधीन कार्रवाई, वसूली/प्रवर्तन एजेंटों जैसे वाह्य स्रोतों के उपयोग (आउटसोर्सिंग), कोटि उन्नयन, समझौता निपटान, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, बट्टे खाते डालने आदि के माध्यम से नकद राशि की वसूली संबंधी कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त अनर्जक आस्ति खातों में वसूली कार्य को गति देने हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए, यथा ₹. 5.00 लाख ₹. तक के बकाया शेषवाले अनर्जक आस्ति/एमएल खातों के लिए उदारीकृत 'एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना' की शुरुआत, प्रोत्साहन योजना स्कीम (वसूली के लिए स्टाफ सदस्यों हेतु नकदी प्रोत्साहन योजना) का कार्यान्वयन आदि। नकदी की वसूली तथा कोटि उन्नयन में सुधार परिलक्षित हुआ और वह वर्ष 2009-10 में ₹. 611.28 करोड़ से सुधार कर वर्ष 2010-11 में ₹. 659.61 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान बट्टे डाले गए खातों में से ₹. 84.34 करोड़ की वसूली की गई।

हालांकि वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां बढ़ गईं और इनकी राशि ₹. 3150.36 करोड़ हो गई जिसका सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 3.13 प्रतिशत था। बैंक की निवल अनर्जक आस्ति की राशि ₹. 1824.55 करोड़ रु. रही और निवल अनर्जक आस्ति का अनुपात 1.84 प्रतिशत रहा।

जोखिम प्रबंध

बैंक में एक सुनियोजित जोखिम प्रबंध ढांचा है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर निदेशक मंडल एवं बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति शामिल है। बैंक की जोखिम प्रबंध नीति, ऋण नीति और आस्ति देयता प्रबंध नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं तथा बैंक के जोखिम प्रबंध विषयक सभी कार्य इन नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। बैंक की तीन कार्यपालक समितियां यथा ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंध समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम समिति(सीओआरएम) हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में जोखिम प्रबंध प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त पूंजी प्रबंध हेतु पूंजी आयोजना समिति तथा तुलनपत्र आयोजना समिति भी है।

बासेल-II अनुपालन :

मार्च, 2008 से बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (एनसीएएफ), आम तौर पर जिसे बासेल-II के रूप में जाना जाता है, की दिशा में अपना कदम रखा। विनियामक द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण यथा ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के अंतर्गत मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण को पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है। बैंक द्वारा बासेल-II दिशनिर्देश के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पूंजीगत आवश्यकता में पर्याप्त बचत की गई।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

बैंक अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) की गणना बासेल I और बासेल II, दोनों दिशानिर्देशों के अनुसार सतत आधार पर करता रहा है तथा बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव डालनेवाले विभिन्न तत्वों से निदेशक मंडल को अवगत करया जाता है।

Non-performing Assets:

During the year 2010-11, efforts were made to contain fresh generation of NPAs by continuous monitoring of accounts. Performance under cash recovery was improved through several measures such as, borrower/guarantor contacts, organising recovery camps, action under SARFAESI Act, Lok Adalats, DRTs, Civil Suits, Outsourcing to recovery/enforcement agents, Upgradation, Compromise Settlements, Sale of Assets to ARCs, Write-off etc. Besides, certain important measures were taken by the Bank to boost recovery in NPA accounts namely, introduction of liberalised "One Time Settlement (OTS) Scheme" for NPA accounts/ML Accounts with balance outstanding upto ₹. 5.00 lac, implementation of Protsahan Yojna Scheme (Cash Incentive Scheme for members of staff for recovery) etc. The cash recovery and upgradation showed improvement over the year from ₹. 611.28 crore in 2009-10 to ₹. 659.61 crore in 2010-11. The recovery from written-off accounts stood at ₹. 84.34 crore during the year 2010-11.

However, during the year 2010-11, the gross NPAs of the Bank increased and stood at ₹. 3150.36 crore with gross NPA ratio at 3.13 per cent. The net NPA of the Bank stood at ₹. 1824.55 crore and NNPA ratio at 1.84 per cent.

Risk Management:

The Bank has a well planned Risk Management Architecture in place with the Board of Directors and Risk Management Committee of the Board at the apex level. The Risk Management Policy, Loan Policy and Asset Liability Management Policy of the Bank are duly approved by the Board and all Risk Management functions of the Bank are governed by these policy directives. The Bank has three executive committees viz., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALMC) and Committee for Operational Risk Management (CORM) which are entrusted with the responsibility of designing and implementation of Risk Management processes in the respective areas in accordance with the policies laid down by the Board. Besides, a Capital Planning Committee for Capital Management and Balance Sheet planning is also in place.

Basel II Compliance:

The Bank migrated to New Capital Adequacy Framework (NCAF), popularly known as Basel II w.e.f March 2008. The approaches prescribed by the regulator, namely Standardized Approach under Credit Risk, Basic Indicator Approach under Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk have been fully implemented. Bank's implementation of Basel II Guidelines has resulted in considerable savings on capital requirements.

Capital Adequacy Ratio:

Bank computes its Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) both under Basel I and Basel II guidelines on an ongoing basis and the Board is kept abreast of various factors that might impact the Bank's CRAR.

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹. Crore)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर%) Capital Adequacy Ratio (CRAR %)	दि. 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010	दि. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.11
बासेल I / Basel I	**11.35**	**11.95**
टीयर I / Tier I	6.06	7.46
टीयर I / Tier II	5.29	4.49
बासेल II / Basel II	**13.21**	**13.80**
टीयर I / Tier I	7.05	8.61
टीयर II / Tier II	6.16	5.19

ऋण जोखिम को न्यूनतम रखने की तकनीकों एवं संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग, प्रकटीकरण, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण पद्धति (आईसीएएसी) तथा दबावगत स्थिति परीक्षण पर बैंक की नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

बैंक ने बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने हेतु कदम उठाए हैं।

ऋण जोखिम

बैंक ने विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत एक्सपोजर मानदडों को बनाया है जिनमें जहां भी अपेक्षित हो, नियामक निदेशों की परिधि के भीतर एकल एवं समूह उधारकर्ता एक्सपोजर, उद्योग/क्षेत्रवार एक्सपोजर, गैर-जमानती एक्सपोजर, पूंजी बाजार एक्सपोजर तथा प्रति-पार्टी (अंतर बैंक) एक्सपोजर एवं देशीय एक्सपोजर शामिल हैं। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति द्वारा विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन पर निगरानी रखी जाती है। बैंक की ऋण नीति में ऋण जोखिमों के अभिग्रहण हेतु दिशानिर्देश दिए जाते हैं।

बैंक के समग्र ऋण संविभाग की रेटिंग एक मजबूत आंतरिक ऋण मॉडल के माध्यम से आंतरिक रूप से की गई। इसके अलावा वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक राशि के एक्सपोजर वाले ऋण संविभाग के 72% की रेटिंग बाहर से करवाई गई। ₹ 5 करोड़ रु. और उससे अधिक राशि के ऋण संविभाग के लगभग 37 प्रतिशत की रेटिंग 'ए' उससे बेहतर रूप में नियामक प्राधिकरण यथा सीएआरई, सीआरआईएसआईएल, एफआईटीसीएच और आईसीआरए द्वारा अनुमोदित चार रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई। ऋण संविभाग की गुणवत्ता एवं कार्य-निष्पादन पर अंचल-वार निगरानी रखी जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

वर्ष के दौरान बैंक की नकदी की स्थिति को सहजतापूर्वक व्यवस्थित किया गया। बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति कीमत निर्धारण (प्राइसिंग) नीति के संबंध में निर्णय करती है। बैंक ने 1 जुलाई, 2010 से आधार दर से जुड़ी उधार दरों को कार्यान्वित किया है तथा आवधिक रूप में इसकी समीक्षा करता रहा है। इसके साथ-साथ बैंक अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से जुड़ी कीमत-निर्धारण प्रणाली की भी समीक्षा करता रहा है।

बाजार जोखिम

बैंक की नकदी जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम आंतरिक रूप में विकसित ए एल एम मॉडल की सहायता से आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक में नियमित तौर पर 'अपनी जोखिम पर अर्जन' तथा पारंपरिक अंतराल विश्लेषण एवं अवधि अंतराल विश्लेषण के आधार पर ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन को प्राक्कलित करने हेतु एक प्रणाली भी है। मानक निवेश संविभाग (ईक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर) के जोखिम पर मूल्य (वीएआर) का निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ईक्विटी संविभाग एवं विदेशी मुद्रा संविभाग के वीएआर की गणना करने का कार्य प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त बैंक प्रत्येक माह ब्याज दर तथा विनिमय दर के बारे में विचार करता है।

The Bank has in place a Board approved policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, Policy on Disclosures, Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Policy on Stress Testing.

Bank has initiated steps for moving over to Advanced Approaches under Basel II.

Credit Risk:

The Bank has formulated exposure norms under different criteria, covering Single and Group Borrower exposure, Industry/ sector-wise exposure, unsecured exposure, Capital Market Exposure and Counter Party (Inter-Bank) and Country exposure within the ambit of regulatory directives wherever warranted. Adherence to prudential limits is monitored by Credit Risk Management Committee of the Bank and Risk Management Committee of the Board. The Bank's Loan Policy provides guidelines for acquisition of Credit risks.

The entire credit portfolio of the Bank stands rated internally through a robust in-house Credit Rating models. Further, during the year, 72% of Bank's credit portfolio with exposure of ₹. 5 crore and above was externally rated. Around 37 per cent of credit portfolio of ₹. 5 crore and above were rated 'A' or better by one of the four rating agencies approved by regulatory authority viz., CARE, CRISIL, FITCH and ICRA. There is zone-wise monitoring of quality and performance of loan portfolio.

Asset Liability Management:

Liquidity position of the Bank was managed comfortably during the year. The Asset Liability Management Committee of the Bank decides on the pricing policy. Bank has implemented Base Rate linked lending rates w.e.f 1st July 2010 and has been reviewing the same periodically. Simultaneously, Bank has also been reviewing its BPLR linked pricing system.

Market Risk

The Liquidity Risk and Interest Rate Risk of the Bank are assessed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) with the help of ALM model developed in-house. The Bank also has a system of estimating its "Earnings-at-Risk" and change in Market Value of Equity (MVE) based on Traditional Gap Analysis and Duration Gap Analysis on a regular basis. The Value-at-Risk (VaR) of the standard Investment Portfolio (excluding Mutual Funds) is assessed on a daily basis. During the current financial year, Bank has commenced computing VaR of its Equity Portfolio and Forex Portfolio. Additionally, the Bank takes a view on Interest Rate and Exchange Rate every month.

परिचालन जोखिम

अपनी जोखिम परिचालन नीति के अनुरूप बैंक ने अलग-अलग जोखिम - जनित हानि की घटनाओं संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने, एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक प्रणालीबद्ध ढांचा लागू किया है। परिचालन जाखिम हानि को बासेल परिभाषित कारोबार व्यवस्था और हानि की घटना के प्रकार के अंतर्गत विधिवत वर्गीकृत किया जाता है और नियमित अंतराल पर इसे बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक 'बासेल II और जोखिम प्रबंध के कार्यान्वयन' के संबंध में भा.रि.बैंक द्वारा गठित कार्य-दल का एक सदस्य है। यह (i) नकदी जोखिम प्रबंध, इसके मानक और उन पर निगरानी रखने की अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता एवं (ii) बैंकिंग क्षेत्र की उभरती हुई अवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा (iii) बासले-III के कार्यान्वयन हेतु बैंक के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान (बीआईएस) परामर्श प्रदायक प्रलेखों से संबंधित भारतीय बैंक संघ समूह का भी एक सदस्य है।

7. मानव संसाधन विकासः

जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 23,148 थी जिसमें 122 कर्मचारी विदेश में कार्यरत थे और उनमें से 18 कर्मचारी स्वदेश लौटनेवाले थे । देश में कर्मचारियों की कुल संख्या 23026 में 8274 अधिकारी, 9646 लिपिक और 5106 अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी थे ।

देश में कुल कर्माचारियों में अनुसूचित जाति (4677) और अनुसूचित जनजाति (1273) का प्रतिशत 26 हैं । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक बैंक में 959 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी सेवारत थे और 1386 कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदायों के हैं । कुल जनशक्ति का 13% महिला कर्मचारी हैं ।

वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं के विकास हेतु पहल की गईं तथा भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति/भर्ती - पूर्व प्रशिक्षण दिया गया ।

भर्ती

वर्ष के दौरान कुल 81 अधिकारी भर्ती किए गए जिनमें 7 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति, 14 अन्य पिछड़े वर्गों के हैं । इन अधिकारियों में 19 महिला, 3 शारीरिक रूप से निःशक्त और 4 अल्पसंख्यक समुदायों के हैं । 1187 सफाई कर्मचारियों को अधीनस्थ संवर्ग में नियोजित किया गया जिनमें 564 अनुसूचित जाति के, 62 अनुसूचित जनजाति के और 224 अन्य पिछड़े वर्गों के हैं । इनमें से 242 महिलाएँ, 173 भूतपूर्व सैनिक और 108 अल्पसंख्यक समुदायों के थे । वर्ष के दौरान बैंक ने 1000 लिपिकों और 1050 अधिकारियों की भर्ती-प्रक्रिया शुरू की ।

प्रोन्नति :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 9 कार्यपालकों को उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII में प्रोन्नत किया गया । विशेषज्ञ श्रेणी के 20 अधिकारियों को वेतनमान II में, 5 अधिकारियों को वेतनमान III में और 3 अधिकारियों को वेतनमान IV में प्रोन्नत किया गया ।

इसके अतिरिक्त 676 लिपिकों को वेतनमान I में तथा 334 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नत किया गया । इस अवधि में बैंक ने वेतनमान II से वेतनमान IV तक के विभिन्न वेतनमानों में प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति प्रक्रिया आरंभ की ।

Operational Risk:

In line with its Operational Risk Management Policy, the Bank has put in place a framework to systematically track, collect and analyze the data on individual operational risk loss events. Operational risk loss data duly classified into Basel defined business lines and loss event types are placed before the Risk Management Committee of the Board at regular intervals.

The Bank is one of the members in the Working Group constituted by RBI on "Implementation of Basel II and Risk Management". It is also a member of Indian Banks' Association Group on Bank for International Settlement(BIS) Consultative Documents on (i) International Convergence of Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring and (ii) Strengthening the resilience of the Banking Sector and (iii) Implementation of Basel-III

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT :

Manpower:

The total staff strength of the Bank as on 31st March, 2011 stood at 23,148 including 122 employees serving overseas, 18 of which are expatriate officers. The total domestic staff strength of 23026 comprises of 8274 Officers, 9646 Clerks and 5106 Subordinate staff.

The percentage of Scheduled castes (4677) and Scheduled tribes (1273) in the total domestic staff strength is 26. Besides, there are 959 OBC employees in service of the Bank at the end of FY 10-11 and 1386 employees belong to Minority Communities. Out of the total work force 13% constitutes women employees.

During the year 2010-11, initiatives were taken by the Bank for development of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and Women and pre-promotion/recruitment training were imparted to SC/ST candidates as per Government of India directives.

Recruitment

During the year a total number of 81 Officers have been recruited including 7 SCs, 7 STs, 14 OBCs. 19 of these officers are women, 3 are with disabilities and 4 belong to Minority Communities. 1187 sweepers were absorbed in sub-staff category which included 564 SCs, 62 STs and 224 OBCs. Out of this, 242 were Women, 173 were Ex-Servicemen and 108 belonged to Minority Communities. The Bank during the year also initiated recruitment process for 1000 clerks and 1050 officers.

Promotion :

During the year under review, 9 Executives were promoted to Top Executive Grade Scale VII. Under Specialist category, 20 Officers were promoted to Scale II, 5 Officers to Scale III and 3 Officers to Scale IV.

In addition, 676 Clerks were promoted to Scale I and 334 number of Subordinate Staff were promoted to Clerical cadre. During the period, Bank also initiated promotion process for various scales from Scale II to Scale VI.

स्टाफ के कल्याण हेतु उपाय :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने स्टाफ के कल्याण हेतु निम्नलिखित उपाय किए :

i) युनाइटेड इन्श्यूरेन्स कंपनी लि. से बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी के लिए ₹. 1.00 लाख की बीमा सुरक्षा के साथ समूह मेडिक्लेम बीमा ।

ii) वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर (6 जनवरी) या उसके बाद अल्पाहार पर व्यय के रूप में कर्मचारियों को अधिकतम ₹. 1000.00 की प्रतिपूर्ति ।

iii) वर्ष 2010-11 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चश्मे के मूल्य की एककालिक प्रतिपूर्ति जो अधिकतम ₹. 500 होगी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक ने कर्मचारियों के अस्पतालीकरण बिल की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की विद्यमान योजना में सुधार करते हुए अंगों के प्रतिरोपण पर हुए व्यय के लिए अधिकतम ₹. 3.00 लाख तथा लगाई गई मदों की लागत के लिए अधिकतम ₹. 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया।

औद्योगिक संबंध :

इस अवधि में प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच औद्योगिक संबंध का माहौल स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण बना रहा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रूख अपनाया, आदरभाव प्रदर्शित किया और एक दूसरे की भावना पर ध्यान दिया । अंचल और कारपोरेट दोनों ही स्तरों पर विभिन्न मुद्दों पर यूनियनों/ एसोसिएशनों के साथ आवधिक तौर पर औद्योगिक संबंध की बैठकें आयोजित की गईं ।

प्रशिक्षण :

बैंक ने मानव संसाधन के विकास को बहुत महत्व दिया । बैंक के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु कोलकाता में इसका सेंट्रल स्टाफ कॉलेज तथा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नै और चंडीगढ़ में इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं । इस समय बैक 18 प्रशिक्षण चैनल चला रहा है जिनमें से 10 केवल सीबीएस प्रशिक्षण के लिए हैं । इन प्रशिक्षण सुविधाओं के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रों पर कैंपस- इतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

इस वर्ष के दौरान बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 483 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से 9553 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा ऋण, जोखिम प्रबंध, वसूली की कार्यनीति और परियोजना वित्त पोषण में विशेषज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण के लिए बैंक ने 271 अधिकारियों को एनआईबीएम, सीएबी, एनआईआरडी, बीआईआरडी, आईडीबीआरटी, आईआईबीएम और एफईडीएआई जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया ।

वर्ष के दौरान एमडीआई, गुड़गाँव द्वारा नेतृत्व विकास और विपणन आदि के क्षेत्रों में 55 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए विशेषज्ञताप्राप्त प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण के लिए छह कार्यपालकों को विदेशी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया । अंतर-वैयक्तिक और ग्राहक संबंध, टीम निर्माण, संगठन के प्रति अपनापन, उत्पादों और प्रक्रियाओं के क्षेत्र में जानकारी देनेवाले एक देशव्यापी कार्यक्रम 'चेतना' का आयोजन सभी संवर्ग के 15412 कर्मचारियों के लिए किया गया। इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्धक रही। संगठन के विकास में प्रशिक्षण के प्रभावी हस्तक्षेप हेतु प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

Staff Welfare Measures :

During Financial Year 2010-11, the Bank took following staff welfare measures:

i) Group Mediclaim Insurance with the coverage of ₹.1.00 lakh for the retired employees along with their spouse by obtaining insurance policy from United India Insurance Co. Ltd.

ii) Reimbursement to the employees, towards expenses on refreshment, a maximum of ₹. 1000.00 on the occasion of Bank's Foundation Day (6th January) or thereafter, within the financial year.

iii) One time reimbursement to the retired employees, the cost of spectacles upto a maximum of ₹. 500/- during financial year 2010-11.

Apart from the above, the Bank approved improvement in the existing scheme of further reimbursement of hospitalization bill of employees to the tune of maximum of ₹. 3.00 lakh towards expenses on transplantation of organs and ₹. 2.00 lakh towards cost of implanted items.

Industrial Relations:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial between the Management and the Unions/ Associations sharing co-operative attitude, mutual respect and concern. The Bank Management and the Unions/ Associations held periodical IR meetings on various issues at Zonal as well as the Corporate levels.

Training:

The Bank attached great importance to development of Human Resources. It has its Central Staff College at Kolkata and Regional Training Centres at Ahmedabad, Bhubaneswar, Bhopal, Chennai and Chandigarh to impart training to the Bank's staff members. At present the Bank is running 18 training channels of which 10 are meant for CBS training only. In addition to these training facilities off campus training courses are conducted at different centres.

During the year 483 Programmes were organized by the Bank's training centres through which training was imparted to 9553 staff members. In addition to in- house training programmes, the Bank deputed over 271 Officers for specialized training in Credit, Risk Management and Project Finance to reputed institutions like NIBM, CAB, NIRD, BIRD, IDBRT, IIBM and FEDAI etc.

During the year Specialized Management Development Programmes for 55 senior executives was conducted by MDI, Gurgaon in the areas of Leadership Development and Marketing etc. Six Executives were deputed to foreign training institutions for specialized training. A nationwide One Day training programme "CHETNA" was organized for 15412 employees of all cadres consisting of inputs in the areas of inter-personal and customer relations, team building, belongingness to the organization, products and processes. The programme has received very encouraging response. The training system is being further strengthened to make training an effective tool for organization's development.

8. निरीक्षण :

बैंक का एक सुस्थापित लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है जो बैंक की प्रणालियों, पद्धतियों और नीतियों के पालन की जाँच-पड़ताल करता है। आंतरिक निरीक्षणों, समवर्ती लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा तथा प्रबंध लेखापरीक्षा का कार्य करने हेतु बैंक की एक व्यापक निरीक्षण और लेखापरीक्षा नीति है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति से आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त दिशानिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंध हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंग बन चुके हैं ।

निरीक्षण विभाग अपने नौ (9) क्षेत्र निरीक्षणालयों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करता है और आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध की उक्त प्रणालियों के पालन की जाँच-पड़ताल करता है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान 1899 शाखाओं का नियमित निरीक्षण किया गया। नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट बैंक की प्रणालियों और पद्धतियों तथा परिचालन स्तर पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में सबसे व्यापक प्रतिसूचना हुआ करती है । इस अनुपालन पर निगरानी सुधारक रिपोर्टों और उत्तरवर्ती बंदी के मध्यम से की जाती है ।

सभी शाखाओं को अक्तूबर, 2011 तक कवर करने हेतु जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन क्रमिक रूप में किया जाएगा । हमारी सभी एफसी/एमसीए औए ईएल शाखाएँ नियमित निरीक्षण के साथ-साथ आरबीआईए के अध्यधीन हैं । जोखिम स्तर का मूल्यांकन और इसके निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार होता है । अंततः आरबीआईए नियमित निरीक्षण प्रणालियों को प्रतिस्थापित करेगा ।

ट्रेजरी शाखा, निक्षेपागार शाखा, सेवा शाखाओं तथा अन्य विशेषीकृत शाखाओं सहित 405 शाखाओं में बैंक की समवर्ती लेखापरीक्षा की गई । जमाराशियों के 50% तथा अग्रिमों के 50% की भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा के विपरीत जमाराशियों के 65% तथा अग्रिमों के 80% से भी अधिक की समवर्ती लेखापरीक्षा की गई ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 15 अंचल कार्यालयों, 7 क्षेत्रीय निरीक्षणालयों तथा 4 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में प्रबंध लेखापरीक्षा की गई । निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यो से भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/एलएफएआर का समय पर अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया ।

'बी' श्रेणी की शाखाओं में विदेशी मुद्रा परिचालन की लेखापरीक्षा उन शाखाओं के नियमित निरीक्षण के साथ-साथ की जाती है । केंद्रीकृत ट्रेजरी शाखा समवर्ती लेखापरीक्षा के अतिरिक्त फ्रंट ऑफिस की तिमाही लेखापरीक्षा एवं पूर्णकालिक वार्षिक निरीक्षण के अध्यधीन है ।

विदेश स्थित सभी शाखाएँ समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में आती हैं । इसके अतिरिक्त, 18 माह के अंतराल पर प्रधान कार्यालय द्वारा विदेश स्थित सभी शाखाओं की लेखापरीक्षा और निरीक्षण किया जाता है ।

बैंक क्षेत्रीय निरीक्षणालयों से संबद्ध निरीक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का अयोजन किया गया । सीबीएस प्लाटफॉर्म पर बैंक के कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रधान कार्यालय में दैनंदिन लेनदेन पर दूरस्थ निगरानी की जा रही है । इससे चिंतावाले क्षेत्रों में बैंक यथासंभव शीघ्र सचेत हो सकेगा और जहाँ भी संभव हो, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेगा ।

8. INSPECTION:

The Bank has a well established Audit and Inspection Department that examines adherence to the Systems, Procedure and Policies of the Bank. Bank has a comprehensive Inspection and Audit Policy for undertaking Internal Inspections, Concurrent Audit, Revenue Audit, Risk Based Internal Audit, IS Audit and Management Audit. The guidelines received on various issues of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the internal control system for better risk management.

Inspection Department through its nine (9) Field Inspectorates carries out inspection of branches/offices as per the periodicity devised by Audit Committee of the Board and examines adherence to systems of internal control and risk management.

During the year 2010-11 regular inspection was carried out at 1899 branches. The regular branch inspection report is the most comprehensive feed-back to the management about compliance of the Bank's systems and procedure and guidelines at operational level. The compliance is monitored through submission of rectification reports and subsequent closure.

Risk Based Internal Audit (R B I A) will be implemented in a phased manner to cover all the branches by October 2011. All our FC/MC and EL branches are subject to RBIA simultaneously along with regular inspection. Assessment of level of risk and its directions is as per risk matrix prescribed by RBI. Eventually RBIA will be replacing regular inspection systems.

The Concurrent Audit of the Bank covered 405 branches including Treasury Branch, Depository Branch, Services Branches and other specialized branches. Concurrent Audit covers more than 65% of Deposits and 80% of Advances as against prescribed RBI limits of 50% of Deposits and 50% of advances.

During the Financial Year 2010-11 Management Audit was conducted in 15 Zonal Offices, 7 Field Inspectorates and 4 Field General Managers Offices. Inspection/Audit Functions also ensured timely compliance of RBI Annual Financial Inspection/LFAR.

Audit on the Foreign Exchange operations in Category 'B' branches is carried out concurrently with Regular Inspection of such branches. Centralised Treasury Branch is subject to quarterly audit of front office and full fledged annual regular inspection in addition to concurrent audit.

All foreign branches are covered under Concurrent Audit. Further, internal audit and inspections are conducted for all overseas branches by Head Office in a cycle of 18 months.

The Bank conducts training programmes for Inspecting officers attached to Field Inspectorates. Special training was organized on Risk Based Internal Audit. In view of the Bank working on a CBS platform, offsite monitoring of the day to day transactions is put in place at Head Office to compliment the traditional supervisory process. This enables the Bank to get early alerts in areas of concern and immediate corrective action wherever required.

9. सतर्कता :

अब सतर्कता-क्रियाकलाप मुड़कर निवारक सतर्कता पर केंद्रित हो गया है। 'कपट के संबंध में नीति और उसकी रोकथाम' को अद्यतन किया गया है। अनुपालन में सुधार लाने के निमित्त शाखा स्तर पर कार्य करनेवालों को विनियामक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई है । शाखा स्तर पर निवारक सतर्कता समिति के गठन हेतु एक प्रक्रिया शुरू की गई। यह समिति कपट की रोकथाम के प्रति शाखा की तैयारी की सद्यःस्थिति पर विचार-विमर्श करती है । इसके अतिरिक्त, निवारक सतर्कता की प्रक्रिया में शामिल तथा इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु दूसरों को मंच देने हेतु तिमाही न्यूजलेटर 'यूको विजिल' का प्रकाशन शुरु किया गया है ।

सतर्कता संबंधी शिकायतों पर समय पर तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु अलग से एक 'जाँच कक्ष' बनाया गया है ।

10. कारपोरेट संसूचना :

वर्ष 2010-11 के दौरान कारपोरेट संसूचना के बैनर तले विभिन्न कार्यकलाप किए गए । कासा जमा जुटाने, फेस्टिवल बोनैन्जा ऑफर देने, 'यूको शुभ लाभ सावधि जमा , 'यूको धमाका सावधि जमा' , 'यूको सनसाइन आवर्ती जमा जैसी नई योजनाएँ शुरू करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान किए गए । बैंक एक औद्योगिक मेले में उसके आधिकारिक बैंकर के रूप में भी शामिल हुआ ।

यूको बैंक के ब्रांड नाम को बढ़ाने हेतु विभिन्न उत्पादों के लिए कई शिविर लगाए गए जिनका प्रचार रेडियो मिर्ची और बिग एफएम की विभिन्न तुकबंदियों के माध्यम से किया गया । रेलवे बजट और केंद्रीय वित्तीय बजट , 2011-12 को प्रस्तुत किए जाने के दौरान एफएम रेडियो-ओये पर रेडियो तुकबंदी के माध्यम से तथा सीएनएन-आईबीएन तथा आजतक चैनलों पर बैंक के प्रोमो का टेलिकास्ट कर बैंक के ब्रांड नाम को लोकप्रिय बनाने हेतु जोरदार अभियान किए गए । बैंक ने कोलकाता महानगर में खेलकूद, त्योहारों, संगीत कार्यक्रमों जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के दौरान/अवसरों पर अपने विभिन्न उत्पादों और बैंक के ब्रांड नाम को बढ़ावा देने हेतु प्रवेश / प्रस्थान द्वारों पर बैनर भी लगाए ।

11. कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को स्वीकार कर उसपर मुख्य रूप से बल देते हुए शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों के लिए वाहन खरीदने हेतु नई दिल्ली के आर्यावृत स्पेशल स्कूल को ₹. 3.50 लाख दान किए । रामकृष्ण मिशन ब्वायज होम, रहड़ा के यतीम बच्चों को देश के शेष लोगों की समान हैसियत तक पहुँचाने के कार्य हेतु बैंक ने उसे भी ₹. 2.00 लाख दान किए।

12. केवाईसी एवं एएमएल :

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/

धनशोधन निवारक (एएमएल) नीतियाँ

वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे संगठन में केवाईसी/एएमएल संरचना को सुदृढ़ करने हेतु बैंक द्वारा आगे और प्रयास किए गए । (क) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टें (एसटीआर) तथा (ख) नकदी लेनदेन रिपोर्टें (सीटीआर) अर्जित करने हेतु बैंक के सभी लेनदेन के दैनिक प्रसंस्करण एवं निगरानी के लिए एएमएल सॉफ्टवेयर के संस्थापन को और भी सरल बनाया गया है तथा बैंक विशेषकर नई सतर्कता के माध्यम से सभी लेनदेन का प्रभावी प्रसंस्करण और उन पर निगरानी रख पा रहा है ।

9. VIGILANCE:

The focus of the Vigilance has now shifted towards preventive vigilance. The "Policy on frauds & its prevention" has been updated. Field functionaries have been sensitized to regulatory requirements and guidelines with a view to improve compliance. A process was initiated for the formation of Preventive Vigilance Committee at the branch level. The Committee discusses the status of readiness of the branch to prevent frauds. Further an internal quarterly Newsletter "UCO Vigil" has been introduced to give platform to others to participate and share their views on preventive vigilance.

A separate 'Investigation Cell' has been carved out to ensure timely and effective follow up of vigilance complaints.

10. CORPORATE COMMUNICATIONS:

During the year 2010-11, several activities were undertaken by the Bank under the aegis of Corporate Communications. Extensive publicity campaigns were carried out for mobilization of CASA deposits, celebrating Festival Bonanza Offer, launching of new schemes such as, 'UCO Shubh Labh Fixed Deposit', 'UCO Dhamaka Fixed Deposit', 'UCO Sunshine Recurring Deposit' etc. The Bank also participated in the Industrial Trade Fair as its official banker.

In order to improve the brand name of the Bank, various camps were undertaken for different products through various jingle on Radio Mirchi and Big FM. Intensive campaigns were undertaken by the Bank for popularizing its brand name during the presentation of Railway Budget and Union Finance Budget for the year 2011-12 through Radio jingle on FM Radio-OYE and telecast of Bank's promos on CNN-IBN and Aaj Tak channels. The Bank had also displayed and installed banners at the entrance/exit points during various important activities/happenings like sports, festivals, musical programmes etc. in the city of Kolkata to propagate various products and brand name of the Bank.

11. Corporate Social Responsibility

Having accepted the Corporate Social Responsibility (CSR) as a focal thrust, the Bank made donations of ₹. 3.50 lakh to Arya Varat Special School at New Delhi for purchase of vehicle for physically challenged children. The Bank also gave donation of ₹. 2.00 lakh to Ramkrishna Mission Boys' Home, Rahara for the task of raising the orphan boys of the Home to a status of equality with the rest of the countrymen.

12. KYC & AML :

Implementation of Know Your Customer (KYC)/

Anti-Money Laundering (AML) Policies

During the year 2010-11, further efforts were taken by the Bank to strengthen KYC/AML set-up across the organization. The installation of AML software for daily processing and monitoring of all transactions in the Bank to generate (a) Suspicious Transaction Reports (STRs) and (b) Cash Transaction Reports (CTRs) has been streamlined further and the Bank is able to effectively process and monitor all transactions particularly through new alerts.

13. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का कार्यान्वयन :

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना माँगनेवाले नागरिकों के आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जाना शामिल है । सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अधिन समीक्षा को मजबूत करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी :

दि. 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक की 2202 देशी शाखाओं और 4 विस्तार पटल थे और अपनी इन सभी शाखाओं और विस्तार पटलों को पूरी तरह सीबीएस के दायरे में लाया गया जिससे इसकी व्याप्ति बैंक के 100 प्रतिशत कारोबार में हो गई ।

वर्ष के दौरान दो महत्वपूर्ण पहलों, लेनदेन आधारित मोबाइल बैंकिंग और ऑन-लाइन शेयर ट्रेडिंग, की शुरुआत की गई । बैंक ने 747 ग्रामों के 5.18 लाख लोगों को कवर करते हुए आईसीटी-आधारित वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन शुरू किया । महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में राज्य सरकार के करों की आन-लाइन उगाही कार्यान्वित की गई। बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी सीबीएस का कार्यान्वयन शुरू हुआ।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में जो पहल की गई उनमें बैंक के अपने मेल मेसेजिंग सर्वर, सेंट्रलाइज्ड एंटीवायरस और क्लाएंट आटोमेशन सालूशन, विभिन्न आवश्यक्ताओं के लिए ई-ट्रेडिंग सालूशन आदि के कार्यान्वयन शामिल हैं। बैंक ने एक सू. प्रौ. सलाहकार जिनका नाम मेसर्स एर्नेस्ट एण्ड यांग प्रा.लि. है, को रिटेनर आधार पर चयन किया गया है।

15. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा को अत्यधिक महत्व देता रहा है तथा ग्राहकों को यथासंभव उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु अपनी कारोबार रीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , कार्यपालक निदेशकद्वय तथा बैंक के उच्च कार्यपालकगण बैंक के ग्राहकों से पूरी प्रतिसूचना प्राप्त करने तथा उनकी आवश्यकताओं एवं शिकायतों को समझने के लिए पूरे देश के विभिन्न केंद्रों तथा विदेशी केंद्रों पर भी थोड़े-थोड़े अंतराल पर ग्राहकों से मिले ।

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु बैंक ने प्रभावी कदम उठाए और तदनुसार अपने तात्कालिक निवारण तंत्र के माध्यम से बैंक ने ग्राहक शिकायतों की संख्या को बहूत कम किया है । कारपोरेट स्तर पर बैंक की ग्राहक सेवा स्थायी समिति की बैठक समय पर आयोजित की गई तथा इसमें बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

अंचल और शाखा स्तर पर ग्राहकों के साथ बैठकों में विभिन्न स्तरों पर ग्राहक सेवा को पूराकरने पर विशेष बल दिया गया।

16. सांगठनिक पुनर्संरचना :

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 3-टियर संरचना अर्थात शाखाएँ, अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय, बनाए रखी । कारपोरेट कार्यालय के कार्यों के विस्तार के रूप में बैंक ने अपने आठ महत्वपूर्ण केंद्रों पर क्षेत्र महाप्रबंधकों के 8 कार्यालय स्थापित किए जिनका प्राथमिक दायित्व अंचल कार्यालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण और कारोबार विकास करना होगा।

ग्राहकों को दी जानेवाली सेवाओं से संबंधित सभी मामलों तथा ग्राहकों को लाभ पहुँचाने में सम्मिलित परिचालन मुद्दों पर कार्य करने हेतु वर्ष के दौरान

13. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act:

The process of implementation of Right to Information (RTI) Act includes ensuring timely disposal of applications from the citizens seeking information under the RTI Act. The Bank is in continuous process of strengthening of review under Right to Information (RTI) Act.

14. INFORMATION TECHNOLOGY:

As at the end of 31st March, 2011, the Bank had 2202 domestic branches and 4 extension counters and all its branches and extension counters were completely brought under CBS umbrella, with a coverage of 100 per cent Bank's business.

Transaction based Mobile Banking and On-line Share Trading were the two major initiatives which were launched during the year. The Bank started implementation of ICT-based financial inclusion in 747 villages covering 5.18 lac households. In the States of Maharashtra and Himachal Pradesh, on-line collection of State Government taxes was implemented. The implementation of CBS in Bank-sponsored 5 RRBs has also commenced.

In terms of advancement made by the Bank in the field of technology, the initiative includes implementation of Bank's own Mail Messaging Server, Centralized Anti-Virus & Client Automation solution, e-tendering solution for procurement of various requirements etc. The Bank has also selected an IT consultant namely, M/s. Ernst & Young Private Ltd. on retainer basis.

15. CUSTOMER SERVICE:

The Bank continues to attach utmost importance to the customer service and is constantly reviewing its business practices to provide the best possible services to the customers.

The Chairman & Managing Director, the Executive Directors and top executives of the Bank, during the year 2010-11, interacted with the customers of the Bank at frequent intervals at different centres across the country and also at overseas centres to have complete feedback and understanding of the needs and grievances of the customers of the Bank.

Effective steps were taken by the Bank to redress grievances of the customers; and accordingly, the Bank has brought down the number of customer complaints to a very low level through its prompt redressal mechanism. The meeting of the Standing Committee on Customer Service at corporate level of the Bank was held as per the schedule and was attended by senior executives of the Bank as well as customer representatives.

At the Zonal and branch levels customer meets were focussed to meet the customer service at different levels.

16. ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING:

During the year 2010-11, the Bank continued to have 3-Tier structure i.e. Branches, Zonal Offices and Head Office. The Bank has created 8 offices of the Field General Managers as an extended arm of Corporate office at eight of its strategic centres, whose prime responsibility is to oversee the functioning of Zonal Offices and business development.

During the year, one new department namely, 'Operations & Services' was created at Head Office to deal with the matters

प्रधान कार्यालय में परिचालन एवं सेवा नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया । वर्ष 2010-11 के दौरात एसएमई अग्रिमों को बढ़ावा देने हेतु बैंक ने एक एसएमई विर्टिकल का सृजन किया ।

इसके अतिरिक्त 2011-2016 की अवधि के लिए होनेवाले कतिपय सांगठनिक परिवर्तनों के साथ एक दीर्घावधि कार्ययोजना भी बनाई गई और उसे 13 फरवरी, 2011 को आयोजित गुप्त बैठक में विचार-विमर्श हेतु रखा गया । इसमें सभी यूनियन नेता, निदेशक मंडल के साथ बैंक के उच्च प्रबंध तंत्र ने विचार-विमर्श किया । इसमें क्षेत्र महाप्रबंधकों की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों की संरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल था । अंचलों की कार्यपद्धति पर बेहतर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अंचल स्तर पर उप अंचल प्रमुख का एक पद बनाने का निर्णय किया गया।

17. राजभाषा नीति का अनुपालनः

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु अतिसक्रिय कदम उठाए हैं । बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित निदेश के कार्यान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की एवं उक्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया । बैंक ने कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग के संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों को कार्यान्वित करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया ।

सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के निदेश को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा 30 यूनिकोड कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी इसके अनुप्रयोग एवं सक्रियण से परिचित हो सकें ।

अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा मुख्य अधिकारियों /वरिष्ठ अधिकारियों सहित उनके लिए चौंतीस हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । इन हिंदी कार्यशालाओं में कुल 1194 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन कार्य का मूल्यांकन करने हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजभाषा अधिकारियों द्वारा 587 शाखाओं का एवं प्रधान कार्यालय में पदस्थापित राजभाषा अधिकारियों द्वारा 10 अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के 10 विभागों का निरीक्षण किया गया तथा इन निरीक्षणों में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी किए गए ।

समीक्षाधीन अवधि में हमारे बैंक के गुवाहाटी, चंडीगढ और राँची अंचल कार्यालयों द्वारा क्रमशः 'वित्त तथा प्रबंध शास्त्र की शब्दावली तथा अन्य अनुप्रयोग' 'वित्तीय समावेशन' तथा 'अर्थशास्त्रीय शब्दावली , नई संकल्पनाएं एवं सामंजस्य' विषयों पर राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 'ग्राहक संबंध प्रबंध', 'बैंक के उत्पादों के संबंध में फ्रंटलाइन प्रशिक्षण' और 'मानव संसाधन प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर कोलकाता स्थित बैंक के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में हिंदी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । कोलकाता स्थित बैंक के सेंट्रल

relating to services to be provided to the customers as also the operational issues involved to derive benefit to customers. In the year 2010-11, the Bank had also created an SME vertical to give boost to SME advances.

Further, a Long Term Strategy along with certain organizational changes to be effected, was also drawn up covering the period 2011 – 2016 and the same was placed for discussion at the Conclave held on 13th February, 2011, where all the Union Leaders, top Management of the Bank along with the Board of Directors deliberated. This included changes in the roles and responsibilities of Field General Managers and strengthening of structure of FGMOs. It was decided to have a post of Deputy Zonal Head at the zonal level to have better control over the functioning of Zones.

17. COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken steps to comply with the provisions of Official Languages Act and the Rules made thereunder. The Bank has also taken appropriate follow-up action to implement the directives as contained in the Annual programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and also endeavoured to achieve various targets prescribed in the said programme. Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Financial Services Department, Ministry of Finance and Reserve Bank of India regarding the use of Hindi in official work.

In view of the directives of Govt. of India to promote 'UNICODE' application on all the computers, 30 'UNICODE' workshops were organised by different Zonal Offices and Head Office to acquaint all Officers and employees with its application and activation.

Thirty four Hindi Workshops, including workshops for Chief Officers/ Senior Officers were also organised by the Bank for the Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi. Total 1194 Officers / employees were trained through these Hindi Workshops. 587 branches were inspected by Official Language Officers posted at different Zonal offices, 10 Zonal offices and 10 depts. of Head Office were also inspected by Official Language Officers posted at Head Office during the period under review to evaluate the performance in the area of implementation of Official Language Policy of Govt. of India and necessary remedial measures were also taken to remove the deficiencies observed in such inspections.

During the period under review Rajbhasha Seminar on the subjects like "Terminology of Finance and Management and its Applicability", "Financial Inclusion" and "Terminology of economics – New Concepts and Cohesion" were organised by Zonal Offices of our Bank at Guwahati, Chandigarh and Ranchi, respectively.

During the period under review banking training through Hindi medium on "Customer Relation Management", "Frontline training regarding Bank's Products" and " HR Management Training Programme" were conducted in Bank's Central Staff College ,Kolkata. More than 15000 frontline Staff were trained through

स्टाफ कॉलेज और अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ तथा चेन्नै स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर 'यूको चेतना कार्यक्रम' के अंतर्गत 15000 से अधिक स्टाफ को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान लखनऊ चंडीगढ, पटना, कटक, अहमदाबाद, धर्मशाला और राँची अंचल कार्यालयों ने हिंदी/द्विभाषिक न्यूजलेटर प्रकाशित किए ।

समीक्षाधीन अवधि में बैंक के लखनऊ और धर्मशाला अंचल कार्यालयों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ और धर्मशाला द्वारा क्रमशः प्रथम पुरस्कार/शील्ड और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त 'हिंदी दिवस' के अवसर पर विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में हमारे प्रधान कार्यालय में पदस्थापित स्टाफ सदस्यों को 10, लखनऊ में 6, राँची में 2, जयपुर में 2, रायपुर में 1, भागलपर में 1, अहमदाबाद में 2, नागपुर में 2 एवं चेन्नै में 1 पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

बैंक ने विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में अहमदाबाद, लखनऊ पटना, राँची, जयपुर और कोलकाता में विभिन्न प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया, 'हिंदी यूनिकोड कार्यशाला' के आयोजन में सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सहयोग किया तथा विभिन्न नराकास की पत्रिकाओं के लिए संपादकीय सहयोग किया। विभिन्न तरह के फॉर्म/प्रचार सामग्री/कार्यविधिक पुस्तिकाओं, यथा कपट निवारण नीति, यूको बैंक की वाहन नीति, कैश वैन द्वारा नकदी विप्रेषण पर बैंक की नीति का प्रकाशन किया गया, 'यूको मोबाइल बैंक' नामक हिंदी वृत्त-चित्र का निर्माण किया गया, शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट, बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन, अनुदेश पुस्तिकाएँ, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के कार्यवृत्त द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए । बैंक की वेबसाइट की सामग्री का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया तथा बैंक की एटीएम मशीनों के स्क्रीन पर प्रदर्शित होनेवाली सूचनाओं/दिशानिर्देशों को यथास्थिति त्रिभाषी/द्विभाषिक रूप में अर्थात क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी/हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया। हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकों,शब्दकोशों, तकनीकी शब्दावलियों, कंप्यूटर/बैंकिंग की हिंदी पुस्तकों आदि तथा ख्यातिप्राप्त सहित्यकारों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित मशहूर साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के लिए बैंक द्वारा यथोचित राशि निर्धारित की गई।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग संबंधी कार्य पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने हेतु हमारे बैंक की सर्वोच्च राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बैंक की स्थिति की विशद समीक्षा की गई।

बैंक के प्रधान कार्यालय तथा उसके अंचल कार्यालयों, सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और शाखाओं में 'हिंदी माह', 'हिंदी पखवाड़ा', 'हिंदी सप्ताह' उत्साहपूर्वक मनाया गया । प्रधान कर्यालय में 'हिंदी माह' के दौरान कार्यपालकों/अधिकारियों, लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ और राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लेने हेतु उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कोलकाता ने बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने में बैंक द्वारा किए गए कार्यों से वे संतुष्ट हुए । इसके अतिरिक्त उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह

Hindi and Regional Languages under "UCO Chetna programme" at Bank's Central Staff College, Kolkata and Regional Training Centres at Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh and Chennai.

Bank's Zonal Offices namely, Lucknow, Chandigarh, Patna, Cuttack, Ahmedabad, Dharamshala and Ranchi have published Hindi/bilingual newsletters during the period under review.

During the period under review, Bank's Zonal Office at Lucknow and Dharamshala were awarded 1st Prize /Shield and 2nd Prize, respectively by TOLIC, Lucknow and Dharamshala. In addition, Members of staff of Bank working at H.O., Kolkata won 10 prizes, Lucknow 6 prizes, Ranchi 2 prizes, Jaipur 2 prizes, Raipur 1 prize, Bhagalpur 1 prize, Ahmedabad 2 prizes, Nagpur 2 prizes, Chennai 1prize at various competitions organized on the occasion of "HINDI DIWAS" under the aegis of different TOLICs .

The Bank successfully organised various competitions under the auspices of different TOLIC's at Ahmedabad, Lucknow, Patna, Ranchi, Jaipur and Kolkata, provided assistance to other Public Sector Banks & Financial Institutions in conducting 'HINDI UNICODE WORKSHOP' and rendered editorial assistance for the magazines of different TOLIC's Various forms / publicity materials / procedural booklets viz. Policy on fraud, Booklet containing guidelines of Vehicle of UCO Bank, Bank's policy of Cash Remittance by Cash Van, Scenario Documentary film "UCO Mobile Bank" and report of Annual General meeting of Shareholders, Manual of Instructions, Minutes of various Board Committees were prepared in bilingual form. Hindi text of the materials for Bank's Website was also prepared and in ATM Screen of the Bank information /guidelines, as the case may be, were made available in trilingual form i.e. in Regional Language, Hindi and English. Sufficient amount was allocated by the Bank for the purchase of classic literary Hindi books, dictionaries, technical glossaries, Hindi books on computer/banking etc. and famous literary books in regional languages written by renowned litterateurs.

In view of effective monitoring of the work with regard to the use of Hindi in official work, the position of the Bank was vividly reviewed in the meetings of Apex Official Language Implementation Committee of the Bank.

"Hindi Month", "Hindi Fortnight", "Hindi Week" were celebrated enthusiastically at Head Office as well as Bank's Zonal Offices, Central Staff College, Regional Training Centres and Branches. During "Hindi Month" at Head Office, Hindi Competitions and various Official Language awareness programmes for the Executives/ Officers and Clerks and Sub-Staffs were also organised.

Dy. Director (Implementation), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language, Kolkata inspected Bank's Head Office in respect of implementation of Official Language Policy in the Bank and was satisfied to observe the steps taken by the Bank for augmenting the use of Official Language Hindi in official work. In addition, Dy. Director (Implementation), Govt. of India,

मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मुंबई ने भी शाखा में राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में बैंक की पुणे कैंप शाखा का निरीक्षण किया तथा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में शाखा के प्रयासों की प्रशंसा की।

समीक्षाधीन अवधि में संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने झाँसी, धर्मशाला और कोयंबतूर स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं कुछ सदस्य कार्यलयों के साथ विचार-विमर्श किया तथा उन्होंने राजभाषा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धता की भूरिशः प्रशंसा की ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 'राजभाषा का कार्यान्वयन-कार्यपालकों की भूमिका विषय पर अंतर बैंक एवं अंतः बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया ।

18. भावी योजनाएँ :

बैंक ने आगामी 4 से 5 वर्षों में अपने परिचालन के रूपांतरण की योजना बनाई है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बैंक ने 2012-16 की अपनी दीर्घवधि योजना बनाई है जिसके माध्यम से वह अपना बाजार अंश को बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने, अपनी भावी संवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी को काम में लगाने, शाखा विस्तार एवं वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों यथा एटीएम के माध्यम से अपने सेवा केंद्रों का विस्तार करने, ग्राहक सेवा का आधार बढ़ाने, बैंक के कारोबार की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप कतिपय सांगठनिक परिवर्तन करने, अपने कर्मचारियों की दक्षता का पुनर्विन्यास करने तथा प्राथमिक एवं संपार्श्विक स्तर की भर्तियाँ करने, विदेशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में कार्य करेगा ।

भविष्य में बैंक अपने कार्यक्षेत्र को फैलाएगा जिसके तहत ग्राहक को अपनी ओर लाने के प्रयास से जुड़े सेवा आउटलेट तथा फ्रांट ऑफिस एवं रिटेल ऋण केन्द्रों एवं एसएमई केन्द्रों के माध्यम से परिचालन और ऋण देने हेतु बुनियादी सुविधा प्रदान करनेवाले बैक ऑफिस खोले जाएंगे।

19. निदेशक मंडल

कारपोरेट अभिशासन :

उत्तम कारपोरेट अभिशासन पर बैंक का अटूट विश्वास है तथा वह लगातार इस पर अमल करता रहा है । यह पारदर्शिता, पेशेवर मानसिकता तथा दायित्व-बोध के अपने आधारभूत मूल्यों से संरचित है । अपने दैनंदिन परिचालन संबंधी इन पहलुओं पर निरंतर बल देते हुए बैंक शेयरधारकों की मान्यता को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है । उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति बैंक के वचनबद्ध होने के नाते इसके निदेशक मंडल ने बैंक के कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए निदेशक मंडल की विविध समितियों का गठन किया है ।

कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने हेतु बैठक की प्रणालीगत एवं कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं की विभिन्न स्तरो पर लगातार समीक्षा की जाती है । बैंक के निदेशकगण यह विश्वास करते हैं कि उत्तम अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, कर्मचारियों तथा निवेशकों की आस्था,निष्ठा एवं सदिच्छा एवं समग्रतः समाज का सम्मान अर्जित करने की कुंजी है ।

निदेशक मंडल में परिवर्तन :

वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 01.09.2010 के प्रभाव से श्री अरुण कौल को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईआईएफसीएल लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर श्री एस. के. गोयल ने दिनांक 30 जून, 2010 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद त्याग दिया । नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की

Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language, Mumbai also inspected Bank's Pune Camp branch in respect of implementation of Official Language Policy in the branch and appreciated the efforts of the branch in the field of compliance of Official Language policy of the Union.

During the period under review Drafting & Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions with the Chairman and a few member offices of Town Official Language Committee located at Jhansi, Dharamshala and Coimbatore and they applauded the Bank's commitment towards successful implementation of Official Language Policy.

During the period under review, the Bank successfully organized an inter-bank and intra-bank Hindi Essay Writing Competition on the 'Rajbhasha Implementation – Role of the Executives'.

18. FUTURE PLANS :

The Bank has plans to go in for transformation in its operations in the next 4 to 5 years. With this objective in view, the Bank framed its long term plan for 2012 – 2016 through which it would work towards improving its market share to 3 per cent, harness technology for its future growth, expand its service outlets through Branch expansion and alternative delivery channels such as, ATMs, improve customer base, to effect certain organizational changes to suit growing business needs of the Bank, to re-orient its employee skills and have entry and lateral level recruitments, expand overseas presence etc.

In future, the Bank shall be segregating its functional areas with its service outlets or the front office involved in customer acquisition and back office providing infrastructure for operations and credit delivery through Retail Loan Hubs & SME Loan Hubs.

19. BOARD OF DIRECTORS

Corporate Governance :

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focussing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business.

The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

Changes in the Board of Directors:

During the year 2010-11, Shri Arun Kaul was appointed as the Chairman & Managing Director w.e.f. 01.09.2010. Shri S K Goel, on his appointment as Chairman & Managing Director of IIFCL Ltd., relinquished the charge as the Chairman & Managing Director of the Bank on 30th June, 2010. Shri Ajai Kumar, Executive Director of the Bank held the charge during the

नियुक्ति किए जाने तक की मध्यवर्ती अवधि में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार ने उक्त प्रभार संभाला। दिनांक 01.09.2010 को श्री एन. आर. बद्रीनारायणन की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में की गई । भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती के रूप में श्रीमती उमा शंकर को दिनांक 30.07.2010 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया। दो और निदेशकों यथा श्री सेबास्टियन लुकोस मॉरिस को दिनांक 13.07.2010 को तथा मु, अखरुज़माँ को 14.07.2010 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया ।

intervening period till the new Chairman & Managing Director was appointed. Shri N R Badrinarayanan was appointed as Executive Director of the Bank on 01.09.2010. Smt. Uma Shankar was inducted into the Board as the Nominee of Reserve Bank of India on 30.07.2010. Two more Directors were inducted to the Board namely, Shri Sebastian Luckose Morris on 13.07.2010 and Md. Akhruzzaman on 14.07.2010.

वर्ष के दौरान अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद श्री वी. के. ढींगरा दिनांक 30.04.2010 को कार्यपालक निदेशक के पदभार से मुक्त हो गए। चार और निदेशक नामतः श्री एन. पी. सिन्हा श्री जे.सी.शांडिल, श्रीएस.सी. गुप्ता और श्री आर.एन.जैन अपने सेवाकाल पूरा करने के बाद क्रमशः 29.07.2010, 07.10.2010, 12.03.2011 एवं 12.03.2011 को अपने पदभार से मुक्त हुए।

During the year, Shri V K Dhingra, on completion of his tenure, relinquished the charge as Executive Director on 30.04.2010. Four more Directors namely, Shri N. P. Sinha, Shri J C Shandil, Shri S C Gupta and Shri R N Jain, on completion of their tenure, relinquished the charge on 29.07.2010, 07.10.2010, 12.03.2011 and 12.03.2011, respectively.

निदेशक मंडल की बैठक :

Meetings of the Board of Directors:

वित्तीय वर्ष, 2010-11 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 13, निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 21 और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकों का आयोजन किया गया । निदेशक मंडल की अन्य विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है :

During the financial year 2010-11, the Bank had 13 meetings of the Board of Directors, 21 meetings of the Management Committee of the Board, 9 meetings of the Audit Committee of the Board. The number of meetings of various other Committees of the Board were –

क्रम संख्या Sl No.	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held
1.	जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee	4
2.	शेयरधारक शिकायत निवारण समिति Shareholders' Grievance Redressal Committee	2
3.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	12
4.	बड़ी राशि के कपटों पर निगरानी रखने हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large-value Frauds	4
5.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board	3
6.	निदेशक मंडल के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों की समिति Committee on HR-related issue of the Bank	5
7.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board	1
8.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board	1
9.	निदेशक मंडल की सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन पर समिति Committee of the Board on IT and Financial Inclusion	1

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में :

तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है ।

उचित और विवेकसम्मत निर्णय और आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके।

Statement of Directors' Responsibilities:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011 -

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied.

Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2011.

भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित और पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं ।

आभार :

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. के. गोयल और कार्यपालक निदेशक श्री वी. के. ढींगरा तथा निवर्तमान निदेशकों नामतः श्री एन. पी. सिन्हा, श्री जे.सी.शांडिल, श्री एस. सी. गुप्ता एवं श्री आर.एन.जैन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है ।

बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक के कार्य-संचालन में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं ।

निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है । निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करता है जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका ।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

कोलकाता : **(अरुण कौल)**
30.05.2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis.

Acknowledgements:

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made to the deliberations of the Board by outgoing Chairman & Managing Director and Executive Director namely, Shri S K Goel and Shri V K Dhingra and other outgoing Directors namely, Shri N. P. Sinha, Shri J C Shandil, Shri S C Gupta and Shri R N Jain.

The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance.

The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors are also grateful to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board remains thankful for the support extended by the Staff Unions/Associations and shareholders of the Bank. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank due to which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors,

Kolkata : **(Arun Kaul)**
30.05.2011 Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन नीति से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके प्रत्येक कार्य में निहित उच्च-स्तरीय "सर्वत्र स्वीकार्य नैतिक मूल्यों" और "अनुशासित दृष्टिकोण" "पर आधारित है ताकि उसके सभी शेयरधारकों के शेयर-मूल्य को बनाए रखा जाए और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति न्यासी की भूमिका एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझता है तथा उसके प्रति जागरूक है। बैंक हितधारकों और समाज के न्यासीय भूमिका एवं जिम्मेवारी को वखूबी समझता एवं इसकी इज्जत करता है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पेशेवर दृष्टिकोण एवं दायित्व जैसे मुख्य मूल्य के अंतर्गत बनाई गई है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के सभी निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) (क) से 9(3) (ज) तक की विभिन्य धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन दो निदेशकों का निर्वाचन बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा किया गया है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is based on high standard of "universally accepted ethical values" and "disciplined approach" in its every action so as to optimize the value of all its stakeholders and safeguard their interest.

The Bank appreciates its fiduciary role and responsibility and it constantly endeavor to ensure the implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that benefits the stakeholders and the society, at large. The Bank's corporate governance policies are woven around the core values of transparency, professionalism and responsibility.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act).

Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2. दिनांक 31 . 03 . 2011 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 के प्रावधानों के अनुसरण में बोर्ड का गठन किया गया है।

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.3.2011:

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	कार्यग्रहण की तारीख Date of joining the office	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिन समिति (यों) में सदस्य हैं Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	दिनांक 31.03.11 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.11
1)	श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul Chairman & Managing Director	01.09.2010	सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीआरइटीएंडएफआइ CSC, MCB,RMCB,SMLVF, CHR,CIT&FI,	Nil
2)	श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar Executive Director	07.12.2009	एसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी एसएमएलबीएफ, सीएचआर, सीआइटीएंडएफआइ, एसटीसीबी ACB,SGRCB,CSC,MCB, RMCB,SMLVF,CHR,CIT&FI, STCB	शून्य Nil
3)	श्री एन. आर. बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N. R. Badrinarayanan Executive Director	01.09.2010	एसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलबीएफ, सीएचआर, सीआइटीएंडएफआइ एसटीसीबी ACB,SGRCB,CSC,MCB, RMCB,SMLVF,CHR,CIT&FI, STCB	शून्य Nil
4)	श्री समीर कुमार सिन्हा सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Samir Kumar Sinha, Govt. Nominee Director	10.06.2008	एसीबी, एनसीबी, आरसीबी, आरएमसीबी, सीएससी एसएमएलबीएफ, सीएचआर, सीआइटीएंडएफआइ ACB,NCB,RCB,RMCB,CSC SMLVF,CHR,CIT&FI	Nil
5)	श्रीमती उमा शंकर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	30.07.2010	एसबी, एनसीबी, आरसीबी ACB,MCB,RCB	Nil
6)	श्री जय देव गुप्ता अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Jai Dev Gupta, Part time Non-official Director	04.07.2008	एनसीबी, सीएससी, आरसीबी, सीएचआर सीआइटीएंडएफआइ NCB,CSC,RCB,CHR,CIT&FI	450
7)	श्री संजीव जैन, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain, Part time Non-official Director	03.03.2009	एसीबी, एसटीसीबी, एनसीबी, एमसीबी, आरएमसीबी, सीआइटीएंडएफआइ ACB,STCB,NCB,MCB, RMCB,CIT&FI	1000
8)	श्री राम अवतार शर्मा कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Ram Avtar Sharma, Workmen Employees' Director	15.2.2010	एसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलबीएफ, सीआइएंडएफआइ ACB,RMCB,SMLVF, CIT&FI	Nil

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	कार्यग्रहण की तारीख Date of joining the office	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिन समिति (यों) में सदस्य हैं Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	दिनांक 31.03.11 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.11
9)	प्रो. सेबास्टियन लुकोस मॉरिस शेयरधारक निदेशक Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	13.07.2010	एसटीसीबी, एससीबी, सीएचआर STCB,MCB,CHR,	200
10)	मों. अखरुज्जमां अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Md. Akhruzzaman, Part time Non-official Director	14.07.2010	सीएससी, एमसीबी CSC,MCB,	Nil

एसीबी = निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, **सीएचआर** = बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति, **सीएससी** = ग्राहक सेवा समिति, **एमसीबी** = निदेशक मंडल की प्रबंध समिति, **एनसीबी** = निदेशक मंडल की नामांकन समिति, **आरसीबी** = निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति, **आरएमसीबी** = निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति, **एसजीआरसीबी** = निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति, **एसटीसीबी** = निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति, **एसएमएलवीएफ**= अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति, **सीआईटीवएफआई** = सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय समावेशन समिति,

ACB = Audit Committee of the Board, **CHR** = Committee on HR related issues of the Bank, **CSC** = Customer Service Committee, **MCB** = Management Committee of the Board, **NCB** = Nomination Committee of the Board, **RCB** = Remuneration Committee of the Board **RMCB** = Risk Management Committee of the Board, **SGRCB** = Shareholders' Grievance Redressal Committee of the Board, **STCB** = Share Transfer Committee of the Board, **SMLVF** = Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds**, CIT & FI** =Committee on IT & Financial Inclusion**.**

2.2.1 दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त निदेशक

2.2.1 Directors who retired during the year ended on 31.03.2011

क्रम.सं० Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	कार्यग्रहण की तारीख Date of joining	निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने की तारीख Date of cessation of Directorship	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित रहे/ जो आयोजित हुई No. of Board meetings attended/ held during his/her tenure.
1.	श्री एस. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.K. Goel, Chairman & Managing Director	01.08.2007	01.07.2010	2/2
2.	श्री वी. के. ढींगरा, कार्यपालक निदेशक Shri V.K. Dhingra Executive Director	06.06.2007	30.04.2010	1/1
3.	श्री एन. पी. सिन्हा, भा. रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक Shri N.P. Sinha, RBI Nominee Director	27.02.2007	29.07.2010	4/4
4.	श्री जे. सी. शांडिल, अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri J.C. Shandil Officer Employees Director	08.10.2004	08.10.2010	5/6
5.	श्री आर. एन. जैन, शेयरधारक निदेशक Shri R.N. Jain Shareholder Director	13.03.2008	13.03.2011	11/12
6.	श्री एस. सी. गुप्त, शेयरधारक निदेशक Shri S.C. Gupta Shareholder Director	13.03.2008	13.03.2011	11/12

2.2.2 निदेशक मंडल की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशक मंडल की अन्य समितियों की संख्या जिसमें वे वर्ष के दौरान सदस्य या अध्यक्ष रहे एवं ऐसी अन्य कंपनियों / निगमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं जिनमें वे निदेशक रहे :

2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board Meetings held during the year, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson during the year and directorship of other companies/corporations are furnished hereunder :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees	अन्य कंपनी आदि , जिनमें निदेशक हैं Other directorship
वर्तमान सदस्य / Present Members			
श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul Chairman & Managing Director	8/8	6	NIL
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar Executive Director	13/13	9	NIL
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक, Shri N. R. Badrinarayanan Executive Director	8/8	9	NIL
श्री समीर कुमार सिन्हा, सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Samir Kumar Sinha, Govt. Nominee Director	10/13	8	NIL
श्रीमती उमा शंकर, आरबीआइ नामित निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	3/9	3	-
श्री जय देव गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Jai Dev Gupta, Part time Non-official Director	11/13	5	कीनम एक्जिम प्रा. लि. Kenam Exim Private Ltd.,
श्री संजीव जैन, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain, Part time Non-official Director	12/13	6	आइनोक्स लीजर लि.एवं अशोक विहार क्लब Inox Leisure LTD & Ashok Vihar Club
श्री राम अवतार शर्मा, कामगार कर्मचारी निदेशक, Shri Ram Avtar Sharma, Workmen Employees' Director	11/13	4	NIL
प्रो. सेबास्टियन लुकोस मॉरिस, शेयरधारक निदेशक Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	5/10	3	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कं (जीईटीसीओ) आइडिया टेलिकोम सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (आइटीसीओई) Gujrat Energy Transmission CO(GETCO), Idea Telecom Centre of Excellence (IITCOE)

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees	अन्य कंपनी आदि, जिनमें निदेशक हैं Other directorship
मो. अखरूज्जमां, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Md. Akhruzzaman, Part time Non-official Director	9/10	2	शून्य/NIL
पूर्व सदस्य/Past Members			
श्री एस. के. गोयल पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S. K. Goel, Ex-Chairman & Managing Director	2/2	7	इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कं लि. Industrial Investment Bank of India. National Insurance Co. Ltd.
श्री वि. के. ढींगरा पूर्व कार्यपालक निदेशक Shri V.K. Dhingra Ex-Executive Director	1/1	9	इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया Industrial Investment Bank of India
श्री एन. पी. सिन्हा आरबीआइ नामिती निदेशक Shri N.P. Sinha, RBI Nominee Director	4/4	10	-
श्री जे सी शंडिल अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri J.C. Shandil Officer Employees Director	5/6	3	-
श्री आर. एन. जैन शेयरधारक निदेशक Shri R.N. Jain Shareholder Director	11/12	4	बी. पी. इंजीनियर प्रा. लि., हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लि., लखनऊ की अनुषंगी B.P. Engineers Pvt. Ltd., an ancillary to Hindustan Aeronautics Ltd., Lucknow.
श्री एस. सी. गुप्ता शेयरधारक निदेशक Shri S.C. Gupta Shareholder Director	11/12	7	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. Power Finance Corporation Ltd.,

2.2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 (यथा संशोधित) के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित 6 बैठकें तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की 13 बैठकें आयोजित की गईं –

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review, 13 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement :

30.04.2010	23.07.2010	29.10.2010	28.01.2011	29.03.2011
29.05.2010	23.08.2010	26.11.2010	19.02.2011	
02.07.2010	24.09.2010	29.12.2010	03.03.2011	

2.2.4 निदेशक मंडल के नए निदेशकों का जीवनवृत्त

श्री अरुण कौलः श्री अरुण कौल व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं एवं अर्हताप्राप्त पेशेवर बैंकर का 33 वर्ष का अनुभव है। 1978 में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। 1983 में इन्होंने वरि. प्रबंधक-ऋण के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में शुरुआत की और वहां विभिन्न पद पर कार्य किया। पीएनबी आस्ति प्रबंधन कं. लि., पीएनबी गिल्ट्स लि., जो कि पीएनबी की अनुषंगी कंपनियां हैं, के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी सँभाला है। वर्तमान पदस्थापना के पूर्व इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक का कार्य भी किया है।

श्री अजय कुमारः विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में 1973 में अपने कैरियर की शुरुआत की। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने 38 वर्षों के लंबी अवधि में इन्होंने महत्वपूर्ण देशी एवं विदेशी परिचालनों को सँभाला। श्री कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यू यार्क(यूएसए) परिचालन एवं ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ नासुआ, बहामा के न्यू यार्क के प्रभारी थे। यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति के पूर्व ये प्रौद्योगिकी समर्थ व्यवसाय रूपांतरण परियोजना एवं सूप्रौ परिचालन के महाप्रबंधक प्रभारी थे।

श्री एन आर बद्रीनारायणनः ये सनदी लेखाकार तथा अर्हताप्राप्त पेशेवर बैंकर हैं। वर्तमान में यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इन्होंने एक अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने कैरियर की शुरुआत की एवं 30 वर्ष की अवधि में विभिन्न पदों पर कार्य किया है ।

श्रीमती उमा शंकरः कला में स्नातकोत्तर एवं अर्हताप्राप्त पेशेवर बैंकर हैं। पिछले 28 वर्षों में इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में कई महत्वपूर्ण दायित्व सँभाला है। वर्तमान में ये आरबीआइ में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर रहीं हैं। ये आरबीआइ नामिती निदेशक हैं।

प्रो. सेबास्टियन लुकोस मॉरिसः विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। वर्तमान में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। शिक्षण, शोध एवं परामर्शी सेवा में अनुभव है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समिनारों में अर्थशास्त्र पर कई पर्चा प्रस्तुत किया है। यही नहीं वे कई रिपोर्ट एवं किताब के लेखक हैं, कई परियोजना के शोध निर्देशक, परीक्षक एवं पुस्तकों के लेखक हैं।

मो. अखरुज्जमांः ये उच्च न्यायालय, कोलकाता के अधिवक्ता हैं। ये भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

3.0 निदेशक मंडल की समितियां :

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/ निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारुऔर कारगार

2.2.4 Brief profiles of new directors on the Board :

Shri Arun Kaul: A Post graduate in Business Management and is professionally qualified Banker having 33 years of banking experience. He started is career with State Bank of India as Probationary Officer in 1978. Subsequently, he joined in Punjab National Bank as Senior Manager, Credit in 1983 and worked in various capacities in PNB. He also worked as Managing Director of PNB Asset Management Co. Ltd., PNB Gilts Ltd., subsidiaries of PNB. Thereafter, he worked as Executive Director of Central Bank of India before occupying his present position.

Shri Ajai Kumar: A Post Graduate in Science. He started his career as a Banker with Bank of Baroda as a Probationary Officer in 1973. During his tenure in Bank of Baroda for long 38 years, he handled key positions in domestic and International Operations. Sri Ajai Kumar was in charge of Bank of Baroda, New York (USA) Operation and Offshore Banking Operations of Nasau, Bahamas at New York. He was the General Manager in charge of Technology enabled business transformation projects and IT operations just before elevation to the level of Executive Director at UCO Bank.

Shri N. R. Badrinarayanan : A Chartered Accountant and is professionally qualified Banker. He started his career as an Officer in Bank of Baroda and worked in various capacities over a period of 30 years before occupying the present position of Executive Director at UCO Bank

Smt. Uma Shankar : A Post graduate in Arts and professionally qualified Banker. She has taken up several key responsibilities in Reserve Bank of India over a period of 28 years. Presently, she is occupying the position of Chief General Manager, Reserve Bank of India. She was a RBI nominee Director.

Prof. Sebastian Luckose Morris : A Post Graduate in Science. Currently is a Professor at Indian Institute of Management, Ahmedabad. Possesses experience in teaching, research and consultancy besides presenting papers on economics in International and National Seminar. Besides, he is an Author of several Reports and Publications, guide of several projects, reviewer and author of several books.

Md. Akhruzzaman: He is an advocate at High Court, Kolkata. He is a Director nominated by Government of India.

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of

बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी मानीटरिंग करना एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह पांच निदेशक हैं । समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और श्री एस. सी. गुप्ता, समिति के अध्यक्ष, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं।

3.1.1. प्राथमिक उद्देश्य :

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा संबंधी कार्य-उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है । जहां तक बाहरी लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अंक-संबंधी, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। वह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है ।

3.1.2 ए सी बी का संघटन और ए सी बी के सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित रहे, उनकी संख्या

streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with six directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate and Shri Sanjeev Jain, Chairman of the Committee, is a senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1.1. Primary objectives:

It overseas, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of house keeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings attended by the members of ACB during the year 2010-11

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री संजीव जैन, निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष Shri Sanjeev Jain, Director & Chairman of ACB	3/3	01.11.2010 से सदस्य एवं दिनांक 13.03.2011 से एसीबी के अध्यक्ष Member of from 01.11.2010 and Chairman of ACB w.e.f. 13.03.2011
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of ACB	9/9	—-
श्री एन आर बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director & Member of ACB	5/5	01.09.2010 से एसीबी के सदस्य Member of ACB from 01.09.2010
श्री समीर कुमार सिन्हा, निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Samir Kumar Sinha Director & Member of ACB	6/9	—-

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्रीमती उमा शंकर, निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar, Director & Member of ACB	3/6	30.07.2010 से एसीबी के सदस्य Member of ACB from 30.07.2010
श्री आर. ए. शर्मा निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri R. A. Sharma, Director & Member of ACB	—-	13.03.2011 से एसीबी के सदस्य Member of ACB from 13.03.2011
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Chairman of ACB	9/9	13.03.2011 तक एसीबी के अध्यक्ष Chairman of ACB upto 13.03.2011
श्री वी. के. ढींगरा कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri V.K. Dhingra Executive Director & Member of ACB	1/1	30.04.2010 को सेवा निवृत्त Retired on 30.04.2010
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of ACB	3/3	29.07.2010 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be the member from 29.07.2010
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of ACB	5/5	01.11.2010 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be the member from 01.11.2010

3.1.3 एसीबी की बैठकों के आयोजन की तारीख :

सूचीकरण करार के खंड 49 में यथानिर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के स्थान पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 9 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

30.04.2010	25.09.2010	21.01.2011
02.07.2010	29.10.2010	28.01.2011
23.07.2010	29.12.2010	03.03.2011

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) :

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है । इसके सदस्य हैं- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित सनदी लेखाकार निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के खंड (घ), (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक

3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held :

During the year under review, 9(nine) meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were held on following dates:

30.04.2010	25.09.2010	21.01.2011
02.07.2010	29.10.2010	28.01.2011
23.07.2010	29.12.2010	03.03.2011

3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chartered Accountant Director nominated by the Government of India and three Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition &

मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं ।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार / ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव।

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/ किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है ।

iii) कंपनियों के शेयरों / डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं

iv) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर इसके पास भेज गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले ।

3.2.2 बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसीबी) का संघटन :

Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve: -

i) high value credit/loan, compromise and write off proposals.

ii) high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises.

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and

iv) Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2 Composition of MCB and details of the meetings held during the year 2010-11 and attendance

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं एमसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of MCB	13/13	01.09.2010 से सदस्य Member since 01.09.2010
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar, ED & Member of MCB	20/21	—
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of MCB	13/13	01.09.2010 से के सदस्य Member since 01.09.2010
श्रीमती उमा शंकर, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar Director & Member of MCB	8/11	30.07.2010 से के सदस्य Member since 30.07.2010
श्री संजीव जैन, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of MCB	8/10	10.09.2010 तक के सदस्य Member upto 10.09.2010

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री जय देव गुप्ता, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Jai Dev Gupta Director & Member of MCB	6/9	11.09.2010 से 14.03.2011 तक एमसीबी के सदस्य Member from 11.09.2010 till 14.3.2011
प्रो. एस. एल. मॉरिस, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Prof. S. L. Morris Director & Member of MCB	6/10	01.11.2010 से एमसीबी के सदस्य Member from 01.11.2010
मो. अखरूज्जमां, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Md. Akhruzzaman Director & Member of MCB	8/10	15.11.2010 से एमसीबी के सदस्य Member from 15.11.2010
श्री आर. ए. शर्मा, निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of MCB	8/10	08.05.2010 से 30.10.2010 तक एमसीबी के सदस्य Member from 08.05.2010 to 30.10.2010
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एस. के. गोयल अप्रनि एवं एमसीबी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel CMD & Chairman of MCB	4/4	01.07.2010 से अध्यक्ष नहीं रहे Ceased to be CMD from 01.07.2010
श्री वि. के. ढींगरा का.नि एवं एमसीबी के सदस्य Shri V.K. Dhingra ED & Member of MCB	1/1	30.04.2010 से सेवानिवृत्त Retired from 30.04.2010
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha, Director & Member of MCB	6/6	29.07.2010 से सेवानिवृत्त Retired on 29.07.2010
श्री जे. सी. शंडिल निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri J.C. Shandil, Director & Member of MCB	6/6	13.06.2010 से 08.10.2010 तक सदस्य Member from 13.06.2010 to 08.10.2010
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of MCB	5/5	27.12.2009 से 12.06.2010 तक सदस्य पुनः 12.02.2011 से 12.03.2011 तक सदस्य के रूप में शामिल Member w.e.f. 27.12.2009 till 12.06.2010. Again in ducted as a Member w.e.f. 12.02.2011 to 12.03.2011.
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Member of MCB	12/12	01.11.2009 से 12.04.2010 तक सदस्य पुनः 27.08.2010 से 12.02.2011 तक सदस्य के रूप में शामिल Member since 01.11.2009 till 12.4.2010. Again in ducted w.e.f. 27.08.2010 to 12.02.2011

3.2.3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को एमसीबी की 21 बैठकें आयोजित की गईं :

3.2.3 During the period under review, 21 meetings of MCB were held on the following dates :

12.04.2010	24.07.2010	30.10.2010	14.01.2011	28.03.2011
08.05.2010	09.08.2010	14.11.2010	29.01.2011	
28.05.2010	27.08.2010	30.11.2010	11.02.2011	
12.06.2010	10.09.2010	16.12.2010	04.03.2011	
03.07.2010	28.09.2010	27.12.2010	14.03.2011	

3.3.0 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.1 यह समिति बैंक के कारबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्य-नीतियां बनाती हैं जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारबार परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है ।

3.3.2 आरएमसीबी का संघटन तथा समिति की बैठकों और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings held during the year 2010-11 and attendance are as under :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं आरएमसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of RMCB	3/3	01.09.2010 से सदस्य Member since 01.09.2010
श्री अजय कुमार का.नि. एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar, ED & Member of RMCB	4/4	-
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri N. R. Badrinarayanan ED & Member of RMCB	3/3	01.09.2010 से के सदस्य Member since 01.09.2010
श्री एस. के. सिन्हा आरएमसीबी के सदस्य Shir S. K. Sinha Member of RMCB	2/4	-

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री संजीव जैन, निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of RMCB	1/1	13.03.2011 से के सदस्य Member since 13.03.2011
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar Director of Member of RMCB	1/1	-
श्री आर. ए. शर्मा, निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of RMCB	1/1	13.03.2011 से के सदस्य Member since 13.03.2011
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of RMCB	1/1	29.07.2010 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be the Director from 29.07.2010
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक आरएमसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Member of RMCB	3/3	13.03.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be the Director from 13.03.2011

3.3.3 आरएमसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

03.07.2010	24.09.2010	28.12.2010	28.03.2011

3.3.3 The meetings of RMCB were held on the following dates :

03.07.2010	24.09.2010	28.12.2010	28.03.2011

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी) :

3.4.1. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त एक मामले को छोड़कर, जो वर्ष के अंत में लंबित है और तीन विभिन्न जिला उपभोक्ता न्यायालयों/फोरम में दायर मामलों से संबंधित हैं, सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed except one case, which is pending as at the end of the year and those relates to cases filed with District Consumer Courts/Forum.

3.4.2 दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार एसजीआरसीबी का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2011 and details of the attendance of the members are as under :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure
वर्तमान सदस्य/Present Members	
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष Shri Sanjeev Jain Director & Chairman of SGRCB	1/1
श्री अजय कुमार का. नि. एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar, ED & Member of SGRCB	2/2
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन का. नि. एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of SGRCB	1/1
पूर्व सदस्य/Past Members	
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष Shri S.C. Gupta Director & Chairman of SGRCB	1/1
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri R. N. Jain Director & Member of SGRCB	1/1

3.4.3 वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की दो बैठकें, दिनांक **23.08.2010** एवं **28.03.2011** को आयोजित की गईं ।

3.4.3 During the year two meetings of SGRCB were held i.e. on 23/08/2010 and 28/03/2011.

3.5.0. निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.1. यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतर आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए /गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए किया गया है। अंतरण एवं प्रेषण के लिए ऐसे सभी अनुरोध/प्रस्ताव को अंतरण/प्रेषण के लिए अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen. It is also ensured that all such requests/proposals for transfer and transmission are completed within the period stipulated from the date of submission of the requests for transfer/transmission complete on all respects.

3.5.2 एसटीसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.5.2 The composition of the STCB and details of the meetings attended by its members during the period 2010-11 are as under:

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं एसटीसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of STCB	6/6	13.03.2011 से एसटीसीबी के सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 13.03.2011
श्री अजय कुमार का.नि. एवं एसटीसीबी के अध्यक्ष Shri Ajai Kumar, ED & Chairman of STCB	4/4	01.07.2010 से 31.08.2010 तक एसटीसीबी के अध्यक्ष। पुनः 16.03.2011 से एसटीसीबी के अध्यक्ष के रूप में शामिल। Chairman of the STCB from 01.07.2010 to 31.08.2010. Again inducted as Chairman of the STCB from 16.03.2011.
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, का.नि. एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri N. R. Badrinarayanan ED & Member of STCB	1/1	16.03.2011 से एसटीसीबी के सदस्य Member of STCB from 16.03.2011
श्री संजीव जैन, निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of STCB	1/1	16.03.2011 से एसटीसीबी के सदस्य Member of STCB from 16.03.2011
श्री एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S. L. Morris Director & Member of STCB	1/1	16.03.2011 से एसटीसीबी के सदस्य Member of STCB from 16.03.2011
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एस. के. गोयल अप्रनि एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S.K. Goel CMD, Chairman of STCB	2/2	30.06.2010 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 30.06.2010
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसटीसीबी के अध्यक्ष Shri R.N. Jain Director & Member of STCB	11/11	13.03.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 13.03.2011
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Member of STCB	11/11	13.03.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 13.03.2011

3.5.3 एसटीबीसी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

08.05.2010	23.07.2010	29.10.2010	28.01.2011
29.05.2010	23.08.2010	26.11.2010	03.03.2011
02.07.2010	24.09.2010	29.12.2010	29.03.2011

3.5.3 The meetings of STCB were held on the following dates :

08.05.2010	23.07.2010	29.10.2010	28.01.2011
29.05.2010	23.08.2010	26.11.2010	03.03.2011
02.07.2010	24.09.2010	29.12.2010	29.03.2011

3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर "कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन"के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है ।

3.6.3 आरसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में आरसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.6.0 Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1 The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of traveling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed during the year for the sole purpose of evaluation of the performances of the wholetime directors of the Bank for payment of "Performance Linked Incentives", annually.

3.6.3 Composition of the RCB and details of meeting attended by the members of RCB :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री समीर कुमार सिन्हा निदेशक एवं आरसीबी के अध्यक्ष Shri Samir Kumar Sinha Director and Chairman of RCB	1/1	—-
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar Director and Member of RCB	1/1	——-
श्री जे. डी. गुप्ता निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Shri J. D. Gupta Director and Member of RCB	1/1	——
पूर्व सदस्य/PAST MEMBERS		
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director and member of RCB	1/1	29.07.2010 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 29.07.2010
श्री एस. सी. गुप्ता निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Shri S. C. Gupta Director and member of RCB	1/1	13.03.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 13.03.2011

3.6.4 आरसीबी की बैठकों की तारीख : 08.05.2010

3.7.0 अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक राशि के कपट की निगरानी एवं उसपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं ।

3.7.2वर्ष 2010-11 के दौरान एसएमएलवीएफ का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में एसएमएलवीएफ के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.6.4 Date of RCB Meeting : 08.05.2010

3.7.0 Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 Composition of the SMLVF Committee and details of the meetings held & attended by the members during the year 2010-11 :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of SMLVF	2/2	01.09.2010 से सदस्य Member from 1.9.2010
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of SMLVF	4/4	—
श्री एन आर बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N. R. Badrinarayanan Executive Director and Member of SMLVF	2/2	01.09.2010 से सदस्य Member from 1.9.2010
श्री एस के सिन्हा निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S.K. Sinha Director & Member of SMLVF	2/2	—
श्रीमती उमा शंकर, निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Smt. Uma Shankar Director & Member of SMLVF	1/ 2	—
श्री आर. ए. शर्मा, निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri R. A. Sharma Director and Member of SMLVF	2/2	30.10.2010 से सदस्य Member from 30.10.2010
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एस. के. गोयल भूतपूर्व अप्रनि एवं एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Sri S.K. Goel Ex-CMD & Chairman of SMLVF	1/1	01.07.2010 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 01.07.2010
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of SMLVF	1/1	—
श्री जे. सी. शंडिल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri J.C. Shandil Director & Member of SMLVF	1/2	8.10.2010 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 8.10.2010

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 29.05.2010, 23.08.2010,29.12.2010, 31/03/2011 को आयोजित की गईं।

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों /बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही' स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी' बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया ।

3.8.1 वर्ष 2010-11 के दौरान एनसीबी का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में एनसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.7.3 During the period under review four meetings of the Committee were held i.e. on 29.05.2010, 23.08.2010,29.12.2010, 31/03/2011.

3.8.0 Nomination Committee of the Board (NCB) :

In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.1 Composition of the NCB and details of the meetings held and attended by the members of NCB during the year 2010-11

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री एस. के. सिन्हा निदेशक एवं एनसीबी के अध्यक्ष Shri S. K. Sinha Director & Chairman of NCB	1/1	—
श्री जे. डी. गुप्ता निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Shri J.D. Gupta Director and Member of NCB	1/1	—
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director and Member of NCB	1/1	—
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एनसीबी के अध्यक्ष Shri N. P. Sinha Director and Chairman of NCB	1/1	29.07.2010 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 29.07.2010

एन.सी.बी की बैठक की तारीख : समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 02.07.2010 को आयोजित हुई।

3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

3.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है -

i) सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु ,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु ।

3.9.2 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.9.3 वर्ष 2010-11 के दौरान सीएससी का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में सीएससी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

Date of Meeting of NCB: During the period under review one meeting of the committee was held on 02.07.2010.

3.9.0 Customer Service Committee (CSC)

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted**:**

i) to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2 The Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

3.9.3 Composition of the CSC and details of the meetings held during the year 2010-11 and attended by the members of CSC :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CSC	2/2	01.09.2010 से सदस्य Member from 01.09.2010
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of CSC	3/3	
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CSC	2/2	01.09.2010 से सदस्य Member from 1.9.2010
श्री एस. के. सिन्हा निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri S. K. Sinha Director & Member of CSC	3/3	—-
श्री जे. डी. गुप्ता निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Sri J. D. Gupta Director and Member of CSC	1/3	—-

नदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री मो. अखरूज्जमां निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Md. Akhruzzaman Director and Member of CSC	1/1	24.11.2010 से सदस्य Becomes member since 24.11.2010
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एस. के. गोयल भूतपूर्व अप्रनि एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel Ex-CMD & Chairman of CSC	1/1	01.07.2010 से अध्यक्ष नहीं रहे Ceased to be CMD from 01.07.2010
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of CSC	1/1	29.07.2010 से सेवा निवृत्त Retired on 29.07.2010

3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें, दिनांक 28.05.2010; 24/09/2010; 28/12/2010 को आयोजित की गईं ।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

3.10.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को इस बात की यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय लें। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टाफ ढाँचा,भर्ती, पदस्थापन,स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना

iv) बैंक अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.9.4 During the period under review, three meetings of the committee were held i.e. on 28.05.2010; 24/09/2010; 28/12/2010

3.10.0 Committee on HR Related Issues (CHR)

3.10.1 In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.2 Objective of the Committee:

i) to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.

ii) to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.

iii) to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff

iv) to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials

v) to prescribe standards for categorization of branches

3.10.3 वर्ष 2010-11 के दौरान सीएचआर का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.10.3 Composition of the CHR Committee and details of the meetings held during the year 2010-11 and attended by the members of the Committee.

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं सीएचआर के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CHR	3/3	30.12.2010 से सदस्य Member from 30.12.2010
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of CHR	5/5	—-
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri N. R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CHR	3/3	01.09.2010 से सदस्य Member from 1.9.2010
श्री एस. के. सिन्हा निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S. K. Sinha Director & Member of CHR	3/5	—-
श्री एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S.L. Morris Director and Member of CHR	1/2	07.09.2010 से सदस्य Member from 07.09.2010
श्री जे. डी. गुप्ता निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Sri J. D. Gupta Director and Member of CHR	3/4	06.09.2010 तक सदस्य, 30.12.2010 से पुनः शामिल Member upto 06.09.2010. Reinducted from 30.12.2010
पूर्व सदस्य/Past Members		
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri N. P. Sinha Director & Chairman of CHR	2/2	—-
श्री जे. सी. शांडिल निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri J. C. Shandil Director & Member of CHR	1/2	

3.10.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की पाँच बैठकें दिनांक 08/05/2010, 03/07/2010, 29/12/2010, 01/03/2011, 29/03/2011 को आयोजित की गई।

3.11.0 सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन पर समिति (सीआइटी एवं एफआइ)

3.11.1 वित्तीय समावेशन हेतु सूप्रौ पहल एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मामले में एकांत रूप से ध्यान देने हेतु निदेशक मंडल ने दिनांक 26.06.2009 को आयोजित बैठक में सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन पर समिति (सीआइटी एवं एफआइ) का गठन किया।

3.11.2 (सीआइटी एवं एफआइ) का गठन और उक्त समिति की बैठकों में उसके सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.10.4 During the period under review five meeting of the committee were held on following date. 08/05/2010, 03/07/2010, 29/12/2010, 01/03/2011, 29/03/2011

3.11.0 Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI)

3.11.1 In order to provide focused attention in matters relating to technology up gradation and IT initiatives for Financial Inclusion, the Board of Directors, at its meeting dated 26.06.2009 constituted the Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI).

3.11.2 Composition of the (CIT & FI) and details of the meeting attended by the members of (CIT & FI) :

निदेशक का नाम Name of Directors	बैठकों में उपस्थिति /आयोजित बैठकें **Meetings Attended/Held**
वर्तमान सदस्य / Present Members	
श्री अरुण कौल, अप्रनि एवं सीआइटी एवं एफआइ के अध्यक्ष	
Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CIT & FI	1/1
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of CIT & FI	1/1
श्री एन आर बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक, सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CIT & FI	1/1
श्री एस के सिन्हा निदेशक एवं सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Shri S.K. Sinha Director & Member of CIT & FI	-
श्री जे डी गुप्ता, निदेशक एवं सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Sri J.D.Gupta Director and Member of CIT & FI	1/1
श्री संजीव जैन, निदेशक एवं सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Shri Sanjeev Jain Director & Member of CIT & FI	1/1
श्री आर. ए. शर्मा, निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य	
Shri R.A. Sharma Director & Member of CIT & FI	1/1
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं सीआइटी एवं एफआइ के सदस्य	
Smt Uma Shankar Director & Member of CIT & FI	1/1

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 28.06.2010 को आयोजित हुई।

During the period under review one meeting of the committee was held on 28.06.2010.

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयरधारकों की साधारण बैठक का विवरण

4.0 Shareholders Meetings held during the last three years:

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
पाँचवीं वार्षिक आम बैठक	30 जून, 2008 (सोमवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	पूर्वश्री सभागार, ईजेडसीसी, ब्लॉक आईबी 201, साल्ट लेक, सेक्टर-III, कोलकाता-700106
5th Annual General Meeting	30th June, 2008 (Monday)	11.00 A.M.	Purbashree Auditorium, EZCC, Block IB 201, Salt Lake, Sectot-III, Kolkata - 700106
छठी वार्षिक आम बैठक	3 जुलाई, 2009	11.00 बजे पूर्वाह्न	इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक कोलकाता - 700 0106
6th Annual General Meeting	3rd July 2009	11.00 A.M	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण आम बैठक	2 मार्च, 2010	11.30 बजे पूर्वाह्न	युनिर्वसिटी इंस्टीयूट हॉल 7, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट कोलकाता-700 073
Extra Ordinary General Meeting	2nd March, 2010	11.30 A.M.	University Institute Hall, 7, Bankim Chatterjee St., Kolkata –700 073
सातवीं वार्षिक आम बैठक	12 जुलाई, 2010	11.00 बजे पूर्वाह्न	इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक कोलकाता - 700 0106
7th Annual General Meeting	12th July, 2010	11.00 A. M	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata – 700106
असाधारण आम बैठक	17 मार्च, 2011	11.00 बजे पूर्वाह्न	नेशनल लाइब्रेरी अडीटोरियम वेलवेडेयर रोड, अलिपुर कोलकाता-700 027
Extra ordinary General Meeting	17th March, 2011	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

पिछली अर्थात 7वीं वार्षिक साधारण बैठक 12 जुलाई, 2010 को ईजेडसीसी,ब्लाक आईबी 201, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 106, में संपन्न हुई थी, जिसमें श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री एस.सी.गुप्ता, निदेशक, श्री राम निवास जैन, निदेशक एवं श्री जे. सी. शांडिल, निदेशक ने भाग लिया।

4.1.2. पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल में नए निदेशक

12 जुलाई, 2010 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन आर बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक, श्री एस एल मॉरिस, श्रीमती उमा शंकर, निदेशक, श्री मो. अखरुज्जमां, निदेशक बोर्ड के सदस्य बने।

4.1.1 Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 7th Annual General Meeting was held on 12th July, 2010 at EZCC, Block IB 201, Salt Lake City, Kolkata-700 106, was attended by Shri Ajai Kumar, Executive Director, Shri S.C. Gupta, Director, Shri Ram Nivas Jain, Director and Sri. J. C. Shandil, Director

4.1.2 New Directors on the Board after the last Annual General Meeting :

Shri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director, Shri. N.R. Badrinarayanan Executive Director, Sri. S.L Morris, Smt. Uma Shankar, Director, Mohd. Akhruzzaman, Director became the members of the Board subsequent to the date of the last Annual General Meeting held on 12th July, 2010.

4.1.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) दिनांक 12 मार्च, 2008 को संपन्न शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके तहत बैंक के शेयरधारकों ने इस आशय का अनुमोदन दिया को बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ इश्यू जारी कर सकता है और पब्लिक इश्यू और / या निजी नियोजन आधार पर या अन्य किसी अनुमत प्रक्रिया के माध्यम से एक या अधिक भागों में 625 करोड़ ₹ तक बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयरों का आबंटन कर सकता है।

ii) दिनांक 02 मार्च, 2010 को संपन्न शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके तहत बैंक के शेयरधारकों ने इस आशय का अनुमोदन दिया को बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ इश्यू जारी कर सकता है और पब्लिक इश्यू, अधिमान्य इश्यू और / या निजी नियोजन आधार पर एक या अधिक भागों में ₹.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 6 करोड़ से अनधिक का आबंटन कर सकता है।

iii) दिनांक 17 मार्च, 2011 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसमें बैंक के शेयरधारकों ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को 7,90,00,000 तक इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर जारी एवं आबंटित करने के लिए निदेशक मंडल को अनुमोदित किया। बैंक ने सेबी आइसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित मूल्य पर दिनांक 25.03.2011 को ₹. 10/- प्रति शेयर के ₹. 120.27 प्रति शेयर की दर पर 7,81,57,479 इक्विटी शेयर आबंटित किए।

iv) आइ पी ओ के पश्चात् पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है ।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता युक्त प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है -

निदेशक मंडल की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक ₹. 5000/-
समिति की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक ₹. 2500/-

5.2. महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके।

4.1.3 Special Resolutions passed during last three years

i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 12th March, 2008, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, interalia, to offer issue and allot Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) upto ₹.625 crore in one or more tranches by way of Public Issue and / or on private placement basis or by any other permitted mode.

ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 2/3/2010, a special Resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot not exceeding 6(six) crore Equity Shares of face value of ₹.10/- each, in one or more trenches by way of Public Issue, Preferential Issue and/ or Private Placement.

iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th March, 2011, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot upto 7,90,00,000 equity shares on preferential basis to Government of India. Bank had allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹.10/- each at ₹.120.27 per share on 25.03.2011 being the price determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.

iv) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0 Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank Of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1 Remuneration of Directors :

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹. 5,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹. 2,500/- per sitting

5.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship :

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There

वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर–कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था ।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उप-समितियों की उन बैठकों में होनेवाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है ।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

क) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने पब्लिक इश्यू /राइट इश्यू के माध्यम से एक भी इक्विटी शेयर की उगाही नहीं की है। बैंक ने सेबी आइसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में दिनांक 25.03.2011 को ₹ 10/- प्रति शेयर के ₹ 120.27 प्रति शेयर की दर पर 7,81,57,479 इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 673 करोड़ के अभिदान पर ₹ 1,00,000/- मूल्य के 67,300 पीएनसीपीएस आबंटित किए। दिनांक 31.03.2011 को भारत सरकार कुल ₹ 1823/- करोड़ के ₹ 1,00,000 मूल्य के 1,82,300 पीएनसीपीएस धारित करती है। इन पीएनसीपीएस पर 100 बेसिस प्वायंट के स्प्रेड के साथ रेपो रेट को आधार बनाते हुए वार्षिक आधार पर संबंधित तारीख को वर्तमान रेपो दर रिसेट करने के साथ वार्षिक फ्लोटिंग कूपन दर लागू होगा। ये पीएनसीपीएस टीयर–I पूंजी का भाग है।

वर्ष के दौरान उपर्युक्त क एवं ख से प्राप्त निधि का उपयोग बैंक की कार्यशील पूंजी स्रोत को एवं बैंकिंग आस्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया / जाएगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित ड्राफ्ट के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5.5 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

6.0 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की "गैर–अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन की स्थिति

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की " गैर-अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन के संबंध में, जो सांकेतिक स्वरूप के हैं, बैंक ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में प्रावधान का अनुपालन किया है।

6.1 बैंक ने वर्ष **2010-11** के दौरान निदेशकों के साथ सभी संबंधित पार्टियों एव लेनदेन की पहचान की है और **31** मार्च**, 2011** तक की स्थिति निम्न प्रकार से है **:**

was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3 Proceeds from Public Issues etc.

a) During the financial year ended on 31st March, 2011, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. The Bank had allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹.10/- each at ₹.120.27 per share on 25.03.2011to the Government of India on preferential basis on compliance of SEBI ICDR Regulations,2009.

b) During the year the Bank allotted 67,300 PNCPS of ₹ 1,00,000 each on receipt of subscription aggregating to ₹ 673 Crores from Government of India. As on 31.03.2011 Government of India holds 1,82,300 PNCPS of ₹ 1,00,000 each aggregating to ₹ 1823 Crores. These PNCPS carry an annual floating coupon to be benchmarked to Repo Rate with a spread of 100 basis points to be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date. These PNCPS are part of Tier I Capital.

The funds received from a) & b) above during the year, were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4 The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

5.5 During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

6.0 Compliance Status of the "Non-Mandatory Requirements" of the Revised Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges :

Regarding compliance to "Non-Mandatory Requirements" of Revised Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges, which are suggestive in nature, the Bank has complied with the provision regarding Training of the Members of the Board.

6.1 The Bank has identified all related Parties and transactions with Directors during the year 2010-11 and position as on 31st March 2011 are as follows :

(लाख ₹. में) / (₹. in lakhs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	विवरण Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.09.2010 से 31.03.2011 01.09.2010 to 31.03.2011	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	7.66
		जमा /Deposits	14.60
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		प्राप्त ब्याज Interest Received	0.00
		उधार /Borrowings	0.00
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.K.Goel, EX-CMD	01.04.10 से 30.06.2010 01.04.10 to 30.06.2010	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	15.77
		जमा /Deposits	25.41
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.00
		उधार /Borrowings	0.00
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar, ED	01.04.10 से 31.03.11 01.04.10 to 31.03.11	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	13.57
		जमा /Deposits	15.50
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.19
		उधार /Borrowings	0.00
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan ED	01.09.10 से 31.03.11 01.09.10 to 31.03.11	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	6.60
		जमा /Deposits	2.03
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.02
		उधार /Borrowings	0.00
श्री वी. के ढींगरा कार्यपालक निदेशक Shri V.K.Dhingra, EX-ED	01.04.10 से 30.04.10 01.04.10 to 30.04.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites &Incentive	9.83
		जमा /Deposits	6.37
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.68
		उधार /Borrowings	0.00

मेसर्स पाराबोलिक ड्रग्स लि. , चंडीग़ढ	श्री प्रणव गुप्ता, कंपनी के निदेशक श्री जयदेव गुप्ता के पुत्र हैं	बैंक के सेक्टर 73, चंडीग़ढ शाखा के माध्यम से कंपनी के पक्ष में बैंक द्वारा ऋण सुविधा स्वीकृत की गई	मी./ऋ-I मी./ऋ-II मी./ऋ-III सा.प-1 सा.प.2 चेक पारचेस आईएलसी/एफएलसी बीजी	₹. 9.16 करोड़ ₹. 23.10 करोड़ ₹. 25.00 करोड़ ₹. 35.00 करोड़ ₹. 25.00 करोड़ ₹. 1 करोड़ ₹. 48.00 करोड़ ₹. 1 करोड़
M/s. Parabolic Drugs Ltd., Chandigarh	Shri Pranav Gupta, Director of the Company is son of Shri Jai Dev Gupta, Director.	Credit facilities renewed/ sanctioned by the Bank in favour of the company through Bank's Sector 73, Chandigarh Branch.	T/L-1 T/L-II T/L-III CC 1 CC 2 Cheque Purchase ILC/ FLC BG	₹. 9.16 Cr. ₹. 23.10 Cr. ₹. 25.00 Cr ₹. 35.00 Cr. ₹. 25.00 Cr. ₹. 1.0 Cr. ₹. 48.00 Cr. ₹. 1.00 Cr

7.0 संचार के साधन :

7.1 बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचनाएं ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को, जहां बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है, बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन /समीक्षा बोर्ड द्वारा किए जाने की तारीख को तुरंत बैंक का तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) में दिए जाने के अतिरिक्त दी जाती हैं । बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2010, 30.09.2010 एवं 31.12.2010 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षाकृत वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणाम बड़े समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थीं, अतः वर्ष 2002 - 03 तक कोई वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं हुई थी । तदनुसार आईपीओ को लिए बैंक अधिनियम में यथा निर्धारित एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रति वर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करता आ रहा है। पिछले तीन आम बैठकों का विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 में दिया गया है।

8.2.0 स्टाक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के ईक्विटी शेयर को निम्नलिखित स्टाक एक्सचेजों में सूचीबद्ध किया गया है :

7.0 Means of Communication :

7.1 The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/ half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2 As per the Listing Agreement enterd into with the stock exchanges, Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2010, 30.09.2010 & 31.12.2010 and audited financial results for the year ended 31.03.2011 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0 General Shareholders Information :

8.1.0 Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0.

8.2.0 Listing on Stock Exchanges :

The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges :

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूकोबैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

बैंक ने भारत सरकार को ₹ 1 लाख ₹ प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य के 1823000 वेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) भी जारी किए हैं जो असूचीबद्ध प्रतिभूति हैं।

The Bank has also issued 1823000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of nominal value of ₹.1 lac each to the Govt. of India which are unlisted securities.

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े./मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share :

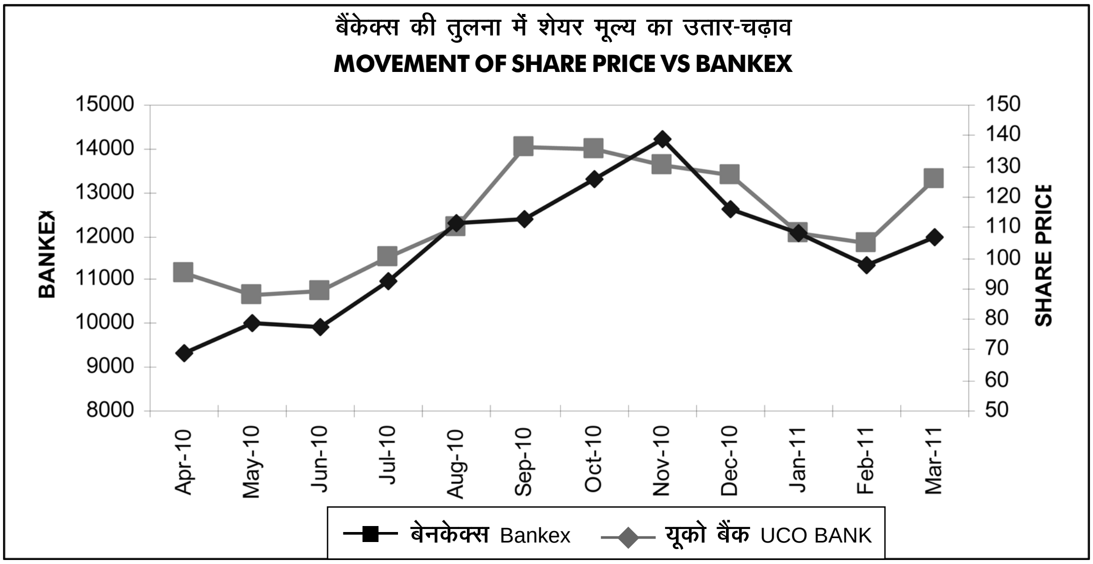

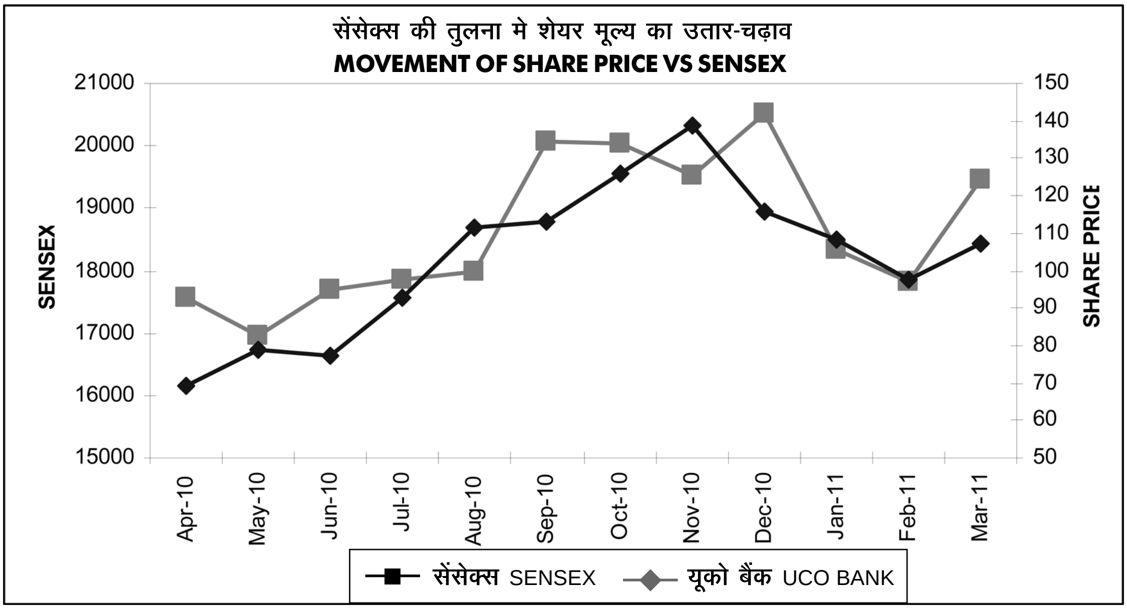

बैंक के शेयर का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दि नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयर का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा :

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2010-11 were as follows :

माह / Month	बंबई स्टाक एक्सचेंज / B.S.E			नेशनल स्टाक एक्सचेंज / N.S.E		
	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-10	70.00	57.30	2 75 46 959	70.05	57.30	10 13 98 359
मई/May-10	78.85	69.90	2 89 47 528	78.90	69.90	10 86 77 499
जून/Jun-10	82.45	76.75	1 68 45 144	82.60	76.70	7 06 05 815
जुलाई/Jul-10	92.75	77.70	2 44 46 854	92.85	77.75	9 26 56 086
अगस्त/Aug-10	115.50	96.05	3 47 73 554	115.55	96.10	11 60 12 721
सितंबर/Sep-10	118.70	113.00	1 43 42 487	118.80	113.00	5 72 73 399
अक्तूबर/Oct-10	137.10	116.75	2 96 43 469	137.30	117.05	12 39 56 036
नवंबर/Nov-10	151.00	131.15	3 35 47 086	150.95	131.20	15 33 23 703
दिसंबर/Dec-10	144.50	110.45	2 53 32 686	144.45	110.35	12 26 13 473
जनवरी/ Jan-11	117.00	103.05	1 54 47 013	117.05	103.15	6 91 07 332
फरवरी/Feb-11	108.95	95.25	1 13 77 783	108.95	95.30	5 90 05 296
मार्च/Mar-11	108.55	97.75	74 39 019	108.25	97.65	3 83 38 713

सूचीकरण फीस का भुगतान संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0 **प्रति शेयर आंकड़ा** / Per Share Data

मानदंड / Parameter	**31.03.2010**	**31.03.2011**
अंकित मूल्य (रु.) / Face Value (Rs.)	10	10
बाजार भाव (रु.) / Market Quotation (Rs.)	56.85 (एनएसई मे) (at NSE)	107.00 (एनएसई में) (at NSE)
प्रति शेयर अर्जन (रु.) / Earning Per Share (Rs.)	17.47	14.29
लाभांश / Dividend (%)	15%	30%

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं । शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ करार किया है । शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल में खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं । बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई691ए01018 है । बैंक के अधिमानी शेयर यानी पीएनसीपीएस का आईएसआईएन कूट आईएनई691ए04012 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2010-2011) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण :

8.5.0 Dematerialisation of the Shares

8.5.1 The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018. The ISIN Code for Bank's Preference Shares i.e. PNCPS is INE691A04012.

The Annual Custodial Fees (2010-2011) for the securities have been paid NSDL and CDSL respectively.

8.5.2 Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2011

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयर की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में As % to Total No. of Shares
मूर्त / Physical	83499	90794654	14.47
एनएसडीएल / NSDL	182338	165550044	26.38
सीडीएसएल / CDSL	65213	371172781	59.15
योग / Total :	331050	627517479	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन.रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) के रूप में कार्य कर रहा है । डी.पी. सेवा निम्नलिखित छह अतिरिक्त शाखाओं यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता; आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद; संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली; के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर; चेन्नै (मुख्य) शाखा, चेन्नै तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है ।

8.6.0 कार्पोरेट लाभ / लाभांश परंपरा

8.5.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 Corporate Benefits/Dividend History

वर्ष Years	दर (%) Rate (%)	प्रति शेयर (₹.) Per Share (₹.)	प्रदत्त/देय कुल राशि (₹.में) Total Amount Paid/Payable (in ₹.)
2003-04	8	0.80	63,94,88,000
2004-05	10	1.00	79,93,60,000
2005-06	—	—	—
2006-07 (अंतरिम एवं अंतिम) / (interim & final)	10	1.00	79,93,60,000
2007-08	10	1.00	79,93,60,000
2008-09	10	1.00	34,93,60,000
2009-10	15	1.50	82,40,49,405

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/दावा-रहित लाभांश राशि का अंतरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 2006 एवं 17 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बैंक द्वारा घोषित या भविष्य में घोषित किए जानेवाले और छह महीने की अवधि के भीतर अदत्त/दावा-रहित रहनेवाले किसी भी लाभांश को दावा-रहित लाभांश खाते में अंतरित कर दिया जाए । उक्त अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि दावा-रहित लाभांश खाते में इस प्रकार अंतरित और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष तक अदत्त रहनेवाले लाभांश को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित कर दिया जाए ।

तदनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 का अदत्त लाभांश यूको बैंक, बंजारा हिल्स, हैदराबाद शाखा में रखे गए "दावा-रहित लाभांश खाता - यूको बैंक" में अंतरित कर दिया गया है ।

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार अदत्त लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :

8.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 2006 and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006 which came into effect from 17th October 2006 provide that any dividend declared by the Bank before the commencement of Act and to be declared in future and remaining unpaid/unclaimed within a period of six months should be transferred to Unclaimed Dividend Account. The Act also provides that the dividend so transferred to Unclaimed Dividend Account and remaining unpaid for seven years from the date of such transfer shall be transferred to Investors Education & Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividends for the year 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 have already been transferred to "Unclaimed Dividend Account – UCO Bank" maintained with UCO Bank, Banjara Hills, Hyderabad Branch.

The details of such unpaid dividend as on 31st March, 2011 are as under :

वर्ष Year	अदत्त लाभांश वारंट की संख्या No. of Dividend Warrants Unpaid	राशि (₹.) Amounts (₹.)
2003-04	29956	4029738.00
2004-05	29524	5174542.00
2006-07	40178	6805747.00
2007-08	52173	8426796.00
2008-09	54964	8943579.00
2009-10	50024	11752186.00

8.7.0 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोध का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत कर दिया जाए । निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है । बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है । दिनांक 31.3.2011 की स्थित के अनुसार शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें निम्नानुसार हैं

8.7.0 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of one month from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares. The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters. The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2011 is as under:

1.	दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Pending complaints as on 1st April, 2010	02
2.	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year ended on 31.03.2011	2570
3.	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2011	2571
4.	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Complaints pending as on 31.03.2011	01

8.8.0 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट :

बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा.लि., हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है । पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे उनके निम्नलिखित पते पर किए जाएं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
पलॉट नं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081
टेलीफोन सं. (040) 2340 0515 से 0824, विस्तार - 14
फैक्स सं. (040) 23420814
ई.-मेल आईडी : einword.ris@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

8.8.0 Registrars and Share Transfer Agent :

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081
Telephone No. (040)23420815 to 0824, Ext- 14.
Fax No. (040)23420814
E.Mail ID : einword@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

9.0 31 .03 .2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप :

9.0 Shareholding Pattern As on 31.03.2011 :

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का% % of equity
अ/A. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह / Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार / Govt. of India	1	427517479	68.13
आ/B. सार्वजनिक शेयरधारिता / B. Public Shareholding			
1. **संस्थाएं** / Institutions			
क/a. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	16	5182406	0.83
ख/b. वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	17	1693451	0.27
ग/c. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	15	57335741	9.14
घ/d. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	77	33954640	5.41
2. **गैर-संस्थाएं** / Non-Institutions			
क/a. कार्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	2019	20739075	3.30
ख/b. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख रु. तक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital upto Rs.1 lac	326944	68657507	10.94
ii. 1 लाख रु. से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital above Rs. 1 lac	267	9864531	1.57
ग/c. न्यास / Trust	22	441970	0.07
घ/d. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	266	466597	0.07
ङ/e. अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1405	1664082	0.27
योग/ TOTAL	**331050**	**627517479**	**100.00**

9.1 दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :

9.1 Distribution of Shareholding as on 31.3.2011

श्रेणी (राशि ₹. में) Category (Amt. in ₹.)		शेयरधारकों की सं. No. of Share Holders	कुल शेयरधारकों का % % to the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % As % to the total Shares
से / From	तक / To				
1	5000	301179	90.98	41694579	6.64
5001	10000	17074	5.16	10052010	1.61
10001	20000	7539	2.28	8028469	1.28
20001	30000	1931	0.58	3586647	0.57
30001	40000	858	0.26	2156725	0.34
40001	50000	708	0.21	2137815	0.34
50001	100000	979	0.30	4680282	0.75
100001	से अधिक/And above	782	0.24	555180952	88.47
	योग / TOTAL	**331050**	**100**	**627517479**	**100**

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता :

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री एन. पूर्णचंद्रराव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
तीसरा तल, कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. 033-44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई - मेल आईडी :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in
वेबसाइट www.ucobank.com

10.0 Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place,
3rd Floor,Kolkata – 700 001

Telephone No. 033-44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E.Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in
Website : www.ucobank.com

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ठ ई-मेल आईडी तैयार किया गया है । निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । विशिष्ट ई-मेल आईडी हैं hosgr.calcutta@ucobank.co.in. ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है ।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है ।

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक - II में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2010-11 का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नक **:**

अनुलग्नक-I- कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

अनुलग्नक-II- सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

अनुलग्नक-III- आचार संहिता से संबंधित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

10.1 Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0 Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2010-11 has been issued by the Statutory Central Auditors.

12.0 CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors in Annexure II of this Report and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2010-11.

For and on behalf of the Board of Directors

(Arun Kaul)

Chairman & Managing Director

Enclosure :

Annexure – I – Auditor's Certificate on Corporate Governance

Annexure – II – CEO & CFO certification

Annexure – III – Declaration by CMD regarding Code of Conduct.

अनुलग्नक-I

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता न्यायालय में लंबित 1 मामलों के अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114ई

(सी ए एस.के. चटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं.03124

कृते डी. आर. महनोत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388सी

(सी ए सौरभ महनोत)
भागीदार
सदस्यता सं. 412971

कृते गोयल गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397एन

(सी ए जे. एल गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 05406

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113एन

(सी ए एस. के. बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 014301

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई

(सी ए गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन

(सी ए दलीप के कौल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083066

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011

Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March, 2011, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance other than 1 Consumer Court case, is pending for a period exceeding one month as on 31st March, 2011 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 302114E

(CA S.K. Chatterjee)
Partner
Membership No.03124

For D.R. Mohnot & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 001388C

(CA Saurabh Mohnot)
Partner
Membership No.412971

For Goel Garg & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 000397N

(CA J.L. Garg)
Partner
Membership No.05406

For Bansal & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 001113N

(CA S K Bansal)
Partner
Membership No.014301

For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 301178E

(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 015289

For Baweja & Kaul.
Chartered Accountants
Registration No. 005834N

(CA Dalip K Kaul)
Partner
Membership No.083066

Place : Kolkata
Date : 29th April , 2011

अनुलग्नक–II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के उप–खंड V के अनुपालन में सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

उक्त के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

क) हमने बैंक के वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, सांविधानिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा आपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 17.05.2011 मे यथा उल्लिखित ए एस-9 को छोड़ कर, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित से अवगत कराया है :

i. वर्ष 2010-11 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन, तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें प्रबंधन या बैंक की अंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की,यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(आर.प्रभाहरण)	(एस. श्रीनिवासन)	(अरुण कौल)
उप-महाप्रबंधक (वित्त)	महाप्रबंधक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	(मुख्य वित्त अधिकारी)	(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 17 मई, 2011

अनुलग्नक-III

आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है । निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 मई, 2011

Anneuxre - II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: CEO/CFO Certification in compliance to Sub Clause V of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange

Sirs,

In compliance to above, we certify as under:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2010-11 and to the best of our knowledge and belief

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, (except AS-9 as commented by the Statutory Central Auditors, in their Audit Report dated 17.05.2011), applicable laws and regulations.

b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2010-11 which are fraudulent, irregular or violating of Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal control and we have evaluated effectiveness of the internal control systems of the Bank.

d) We have indicated to the auditors :

   i. significant changes in internal control during the year 2010-11;

   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system.

Yours faithfully,

(R. Prabaharan) Dy.General Manager (Finance)	(S. Srinivasan) General Manager (Finance) (Chief Financial Officer)	(Arun Kaul) Chairman & Managing Director (Chief Executive Officer)

Place : Kolkata
Date : 17th May , 2011

Annexure – III

DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2011

For UCO Bank

(Arun Kual)
Chairman & Managing Director

Place : Kolkata
Date : 17th May , 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूँजी एवं देनदारियां CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
पूंजी Capital	1	2450 51 75	1699 36 00
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	4968 70 48	3511 18 15
निक्षेप Deposits	3	145277 60 18	122415 55 05
उधार Borrowings	4	5474 77 38	6263 84 05
अन्य देनदारियां और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5226 85 53	3429 55 77
योग / TOTAL		163398 45 32	137319 49 02

कृते चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114ई
For Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Registration No.302114E

(सी ए एस.के. चटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं.03124
(CA S.K. Chatterjee)
Partner
Membership No. 03124

कृते डी. आर. महनोत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388सी
For D.R.Mohnot & Co.
Chartered Accountants
Registration No.001388C

(सी ए सौरभ महनोत)
भागीदार
सदस्यता सं. 412971
(CA Saurabh Mohnot)
Partner
Membership No. 412971

कृते गोयल गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397एन
For Goel Garg & Co.
Chartered Accountants
Registration No.000397N

(सी ए जे. एल. गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 05406
(CA J.L.Garg)
Partner
Membership No. 05406

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113एन
For Bansal & Co.
Chartered Accountants
Registration No.001113N

(सी ए एस. के. बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 014301
(CA S.K.Bansal)
Partner
Membership No. 014301

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई
For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No.301178E

(सी ए गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015289
(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 015289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N

(सी ए दलीप के कौल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083066
(CA Dalip K Kaul)
Partner
Membership No. 083066

चेन्नै, 17th **मई** 2011
Chennai, the17th May 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां ASSETS	अनुसूची Schedule	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10404 02 62	7242 72 94
बैंक में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6576 40 56	861 60 14
निवेश Investments	8	42927 28 29	43521 43 37
अग्रिम Advances	9	99070 81 36	82504 53 38
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	738 87 15	710 03 82
अन्य आस्तियां Other Assets	11	3681 05 34	2479 15 37
योग /TOTAL		163398 45 32	137319 49 02
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	51371 14 11	37163 54 24
समाहरण के लिए बिल Bills for Collection	-	2641 01 40	2975 36 20

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
N.R.BADRINARAYANAN
Executive Director

अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
AJAI KUMAR
Executive Director

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
SMT. UMA SHANKAR
Director

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
Director

एस.एल.मॅरिस
निदेशक
S.L. MORRIS
Director

आर.ए. शर्मा
निदेशक
R.A. SHARMA
Director

अमिताभ बसु
सह. महाप्रबंधक
AMITABHA BASU
Asst. General Manager

आर.प्रभाहरण
उप-महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
Deputy General Manager

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2010 ₹
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	11370 80 24	9526 32 16
अन्य आय / Other Income	14	925 41 35	965 92 78
	योग /TOTAL	12296 21 59	10492 24 94
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	7525 88 58	7202 19 60
परिचालन व्यय /Operating Expenses	16	2075 36 67	1584 42 11
प्रावधान और आकस्मिक व्यय /Provisions & Contingencies		1788 42 30	693 44 64
	योग /TOTAL	11389 67 55	9480 06 35
III. लाभ-हानि /PROFIT & LOSS			
वर्ष का शुद्ध लाभ /Net Profit for the Year		906 54 04	1012 18 59
अग्रानीत लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) Brought Forward		1348 98 04	804 80 43
	योग / TOTAL	2255 52 08	1816 99 02

कृते चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114ई
For Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Registration No.302114E

(सी ए एस.के. चटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 03124
(CA S.K. Chatterjee)
Partner
Membership No. 03124

कृते डी. आर. महनोत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388सी
For D.R.Mohnot & Co.
Chartered Accountants
Registration No.001388C

(सी ए सौरभ महनोत)
भागीदार
सदस्यता सं. 412971
(CA Saurabh Mohnot)
Partner
Membership No. 412971

कृते गोयल गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397एन
For Goel Garg & Co.
Chartered Accountants
Registration No.000397N

(सी ए जे. एल. गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 05406
(CA J.L.Garg)
Partner
Membership No. 05406

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113एन
For Bansal & Co.
Chartered Accountants
Registration No.001113N

(सी ए एस. के. बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 014301
(CA S.K.Bansal)
Partner
Membership No. 014301

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई
For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No.301178E

(सी ए गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015289
(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 015289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N

(सी ए दलीप के कौल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083066
(CA Dalip K Kaul)
Partner
Membership No. 083066

चेन्नै, 17th **मई** 2011
Chennai, the17th May 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2010 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण Transfer to Statutory Reserve		226 63 51	253 04 65
पूंजी आरक्षिति में अंतरण Transfer to Capital Reserve		4 94 19	65 21 13
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		290 52 15	127 02 93
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend		48 25 20	21 58 86
सामान्य आरक्षिति/General Reserve			1 13 41
अतिशेष जो आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया है Balance Carried over to Balance Sheet		1685 17 03	1348 98 04
योग / TOTAL		2255 52 08	1816 99 02
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखे के संबंध में टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस / Basic & Diluted EPS		₹ 14.29	₹ 17.47

सूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार / As per our Report of even date

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
N.R.BADRINARAYANAN
Executive Director

अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
AJAI KUMAR
Executive Director

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
SMT. UMA SHANKAR
Director

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
Director

एस.एल.मॅरिस
निदेशक
S.L. MORRIS
Director

आर.ए. शर्मा
निदेशक
R.A. SHARMA
Director

अमिताभ बसु
सह. महाप्रबंधक
AMITABHA BASU
Asst. General Manager

आर.प्रभाहरण
उप-महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
Deputy General Manager

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011
अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹. 10/- के 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर 75,00,00,000 Equity Shares of ₹. 10/- each	750 00 00		750 00 00	
2,25,000 बेमीयादी असंचयी प्रत्येक ₹. 1,00,000/- के अधिमानी शेयर 2,25,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹. 1,00,000/- each	2250 00 00	3000 00 00	2250 00 00	3000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी **Subscribed, Issued and Paid up Capital**				
प्रत्येक ₹. 10/- के 62,75,17,479 (54,93,60,000) ईक्विटी शेयर 62,75,17,479 (54,93,60,000) Equity Shares of ₹. 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 42,75,17,479 (34,93,60,000) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 42,75,17,479 (34,93,60,000) shares held by Central Govt.]	627 51 75		549 36 00	
प्रत्येक 1,00,000/- ₹. के 1,82,300 (1,15,000) अधिमानी शेयर (संपूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा धारित) 1,82,300 (1,15,000) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹. 1,00,000/- each (Entirely Held by Central Govt.)	1823 00 00	2450 51 75	1150 00 00	1699 36 00
योग /TOTAL		**2450 51 75**		**1699 36 00**

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011
अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010	
	₹.	₹.	₹.	₹.
I. सांविधिक आरक्षितियां /Statutory Reserves:				
अथशेष / Opening Balance	944 12 81		691 08 16	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Addition during the year	226 63 51		253 04 65	
	1170 76 32		944 12 81	
		1170 76 32		944 12 81
II. पूंजी आरक्षितियां /Capital Reserves :				
क/a) पूंजीगत प्राप्ति /Capital Gain				
अथशेष /Opening Balance		1 17 00		1 17 00
ख/b) निवेश/Investment :				
अथशेष /Opening Balance	276 09 39		210 88 26	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	4 94 19		65 21 13	
	281 03 58		276 09 39	
		281 03 58		276 09 39
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन c) Revaluation of Fixed Assets :				
अथशेष / Opening Balance	576 79 54		584 25 37	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	-		-	
	576 79 54		584 25 37	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूदा दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन Adjustment on account of Foreign branches at rates as at year end.	15 73 26		- 7 45 83	
	592 52 80		576 79 54	
परिसर की बिक्री पर कटौती Deduction on sale of premises	8 43 18		-	
	584 09 62		576 79 54	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण मूल्यह्रास का समायोजन Depreciation upto year end on revaluation adjusted	133 31 74		127 73 91	

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010	
	₹.	₹.	₹.	₹.
		450 77 88		449 05 63
III. शेयर प्रीमियम / Share Premium				
अथशेष / Opening Balance	40 00 00		40 00 00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	861 84 25		-	
		901 84 25		40 00 00
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां/Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षिति /General Reserve :				
अथशेष/Opening Balance	399 73 03		398 59 62	
लाभ-हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	-		1 13 41	
विनिधान उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	-		-	
	399 73 03		399 73 03	
		399 73 03		399 73 03
ख) /b) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति Foreign Currency Translation Reserve				
अथशेष/Opening Balance	52 02 25		99 17 65	
जोड़ें :विनिमय उचंत लेखा से अंतरण वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Transfer from Exchange Suspense A/c Addition during the year	26 19 14		-	
	-		-	
	78 21 39		99 17 65	
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	-		47 15 40	
		78 21 39		52 02 25
V. लाभ शेष /Balance of Profit				
अथशेष/Opening Balance	1348 98 04		804 80 43	
लाभ-हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	336 18 99		544 17 61	
		1685 17 03		1348 98 04
योग (I से V तक) /TOTAL(I to V)		4968 70 48		3511 18 15

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 3 — निक्षेप
Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹
आ/A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	212 84 73	470 92 33
ii) अन्य से / From Others	7459 89 12	8466 09 33
II. बचत बैंक निक्षेप/Savings Bank Deposits	24358 39 23	21240 01 59
III. कालिक निक्षेप/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	14233 15 08	8040 45 45
ii) अन्य से/From Others	99013 32 02	84198 06 35
योग/TOTAL(I, II & III)	145277 60 18	122415 55 05
आ/B. i) भारत में शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches in India	136414 49 26	115955 93 79
ii) भारत के बाहर की शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches outside India	8863 10 92	6459 61 26
योग /TOTAL	145277 60 18	122415 55 05

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/ Reserve Bank of India	-	-
ii) अन्य बैंक/Other Banks	15 21	1 05
iii) *अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5143 31 44	6197 61 22
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	331 30 73	66 21 78
योग (I एवं II) / TOTAL (I & II)	5474 77 38	6263 84 05
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	768 31 44	1822 61 22
इसमें शामिल हैं /* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	150 00 00	1 51
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	618 31 44	1005 97 87
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	-	92 10 35
गौण ऋण/Subordinated Debt	2375 00 00	2375 00 00
ऊपरी टीयर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1620 00 00
आइपीडीआइ/IPDI	380 00 00	380 00 00

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 5 — अन्य देनदारियां और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	253 52 27	255 51 45
II. अंतर -कार्यालय समायोजन (शुद्ध)/ Inter Office Adjustments (Net)	172 27 69	257 85 85
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	774 10 60	536 47 39
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/* Others(including provisions)	4026 94 97	2379 71 08
योग /TOTAL	5226 85 53	3429 55 77
* इसमें शामिल हैं / * Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/ Provision on Standard Assets	396 37 59	327 57 02

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	237 34 93	235 50 86
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष/Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	10166 67 69	7007 22 08
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	10404 02 62	7242 72 94

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2011** ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2010** ₹
I. भारत में / In India		
i) बैंकों में अतिशेष/ Balances with Banks		
क) चालू खाते में		
a) In Current Accounts	96 28 60	197 50 31
ख) अन्य निक्षेप खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	50 00 00	-
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	5033 20 94	-
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	-	-
योग (i एवं ii)/TOTAL(i &ii)	5179 49 54	197 50 31
II. भारत के बाहर / Outside India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	692 74 90	236 33 43
ii) अन्य निक्षेप खातों में/In Other Deposit Accounts	156 20 04	-
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice	547 96 08	427 76 40
योग (i,ii एवं iii) /TOTAL(i,ii & iii)	1396 91 02	664 09 83
कुल योग (I एवं II) /GRAND TOTAL(I&II)	6576 40 56	861 60 14

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011
अनुसूची 8 — विनिधान
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में विनिधान/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	34651 09 34	30965 77 96
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	259 05 97	274 04 17
iii) शेयर/Shares	460 68 43	678 55 81
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	2131 17 43	2050 67 34
v) अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
vi) आई डी एफ, सी पी,एफआरएन. आदि) Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	3698 39 20	8389 03 79
योग/TOTAL	41200 40 37	42358 09 07
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में विनिधान/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं) Government Securities(including Local Authorities)	1275 04 39	1099 08 32
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	1 14	8 97 75
ग/c) अन्य (एफआरएन आदि)/Other Investments (FRN etc.)	451 82 39	55 28 23
योग/TOTAL	1726 87 92	1163 34 30
कुल योग/GRAND TOTAL(I & II)*	42927 28 29	43521 43 37

*अवक्षयण/प्रावधान की राशि को घटाकर / * Net of Depreciation / Provision

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011			31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010		
विनिधान INVESTMENTS	सकल मूल्य Gross Value ₹	अवक्षयण/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	शुद्ध मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	अवक्षयण/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	शुद्ध मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/IN INDIA	41388 26 39	187 86 02	41200 40 37	42536 52 51	178 43 44	42358 09 07
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA	1736 17 17	9 29 25	1726 87 92	1163 34 30	-	1163 34 30
योग/TOTAL	43124 43 56	197 15 27	42927 28 29	43699 86 81	178 43 44	43521 43 37

** विनिधान में अवक्षयण/अनर्जक विनिधान हेतु प्रावधान / ** Depreciation on Investments / Provision for Non-Performing Investments

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
अ./A(i) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल Bills Purchased and Discounted	3807 06 62	3704 00 03
(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	31460 35 99	23727 75 61
(iii) सावधि उधार /Term Loans	63803 38 75	55072 77 74
योग /TOTAL	99070 81 36	82504 53 38
आ./B(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	73479 00 26	56343 38 57
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	11359 72 84	8590 97 89
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	14232 08 26	17570 16 92
योग/TOTAL	99070 81 36	82504 53 38
इ/C. I. भारत में अग्रिम/ Advances in India -		
(i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/Priority Sectors	24089 66 64	24359 46 79
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	17472 81 35	10382 28 79
(iii) बैंक/Banks	24 78 21	90 73 71
(iv) अन्य/Others	50186 25 80	41869 10 40
योग/ TOTAL	91773 52 00	76701 59 69
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	2065 14 27	1353 28 34
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	1222 57 19	1175 56 98
(ग) अन्य (c) Others	4009 57 90	3274 08 37
योग/TOTAL	7297 29 36	5802 93 69
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	99070 81 36	82504 53 38

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011
अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
I.	**परिसर**/Premises		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At Cost As On 31st March of the preceding Year	133 97 83	137 36 36
	वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign Branches at rates as at Year end	8 84 03	- 3 92 88
		142 81 86	133 43 48
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन Additions/Adjustments during The Year	39 56	54 35
		143 21 42	133 97 83
	Deduction during the Year	-	-
		143 21 42	133 97 83
	आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन - पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा Additions To date On account of revaluation credited To Revaluation Reserve	584 06 95	576 79 54
		727 28 37	710 77 37
	निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred To Assets Held For Disposal	36 67	36 67
		726 91 70	710 40 70
	अद्यतन अवक्षयण/Depreciation To date	186 58 34*	*173 98 48
	योग /Total	540 33 36	536 42 22
II.	अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At Cost As On 31st March of the preceding year	690 48 06	617 82 53
	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign Branches at rates as At Year end	2 65 88	- 1 85 07
		693 13 94	615 97 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	99 87 46	80 57 89
		793 01 40	696 55 35
	वर्ष के दौरान कटौतियां/Deductions during the year	5 80 24	6 07 29
		787 21 16	690 48 06
	अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation To date	590 24 26*	517 41 46*
	योग/Total	196 96 90	173 06 60
Iii.	निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held For Disposal शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value Or Net Realisable Value whichever Is less		
	अ /A. परिसर/Premises	36 67	36 67
	आ/B. अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
	योग/Total	36 67	36 67
iv.	चालू पूंजीगत कार्य/Capital Work In Progress	1 20 22	18 33
योग/ Total		1 20 22	18 33
कुल योग (I,II III और IV) / Grand Total (I,II & III+IV)		738 87 15	710 03 82

* परिसर और अन्य अचल आस्तियों के लिए विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव हेतु क्रमश: 269 लाख (172 लाख) और 227 लाख (160 लाख) समायोजन करने के बाद।

* After adjustment for Exchange Fluctuation of Rs. 269 lacs (172 lacs) and Rs. 227 lacs (160 lacs) for Premises and Other Fixed Assets respectively.

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) INTER-OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/ Interest Accrued	788 21 52	665 08 11
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	908 05 99	611 65 98
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	6 44 04	6 13 32
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets	114 44 00	83 93 00
VII. अन्य / Others	1863 89 79	1112 34 96
योग/TOTAL	3681 05 34	2479 15 37

अनुसूची 12 — आकस्मिक देनदारियां
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹	**31.03.2010 को समाप्त वर्ष** Year ended 31.3.2010 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank Not acknowledged as debts	71 63 71	72 09 66
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता/ Liability for partly paid Investments	19 54 50	6 11 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देनदारी Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	28073 79 88	23277 92 23
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां Guarantees given on behalf of Constituents -		
अ) भारत में A) In India	8529 10 99	8047 14 50
आ) भारत के बाहर B) Outside India	99 64 48	146 30 15
V. प्रतिग्रहण, परांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, Endorsements And other obligations	6129 24 07	5346 49 87
Vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the Bank is contingently liable	8448 16 48	267 46 83
योग/Total	**51371 14 11**	**37163 54 24**

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/Discount on Advances/Bills	8505 39 38	7106 84 64
II.	विनिधानों पर आय /Income on Investments	2700 13 30	2188 97 90
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	124 23 53	198 87 22
IV.	अन्य/Others	41 04 03	31 62 40
	योग /TOTAL	11370 80 24	9526 32 16

अनुसूची 14 – अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹		31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (शुद्ध) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		250 86 38		249 08 35
II.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments	92 69 14		242 76 26	
	घटाएं : विनिधानों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	1 01 94	91 67 20	-	242 76 26
III.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	5 33		11 12	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	-	5 33	2	11 10
IV.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	114 57 95		73 02 84	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	1 75 52	112 82 43	6 78 82	66 24 02
V.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		7 41 28		5 70 88
VI.	प्रकीर्ण आय/ Miscellaneous Income		462 58 73		402 02 17
	योग /TOTAL		925 41 35		965 92 78

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹
I. निक्षेपों पर ब्याज /Interest on Deposits	6842 42 67	6577 47 59
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	180 81 75	191 54 51
III. अन्य/Others	502 64 16	433 17 50
योग / TOTAL	7525 88 58	7202 19 60

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1480 11 82	1057 61 50
II. भाटक, कर और रोशनी /Rent, Taxes and Lighting	105 72 22	94 66 01
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	21 36 47	19 78 40
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	21 68 22	18 87 29
V. बैंक की संपत्ति पर अवक्षयण/Depreciation on Bank's Property	80 55 06	74 18 76
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	67 24	69 55
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा-लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including Branch Auditors)	23 53 63	20 44 91
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	6 23 85	6 25 45
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	34 83 24	30 01 20
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	6 46 30	5 62 79
XI. बीमा/Insurance	100 92 00	92 76 81
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	193 26 62	163 49 44
योग/TOTAL	2075 36 67	1584 42 11

अनुसूची 17 - मुख्य लेखा नीतियां
Schedule 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारोबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं ।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को,जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं ।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

2.2. विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश-स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations.

अदला-बदली / Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है ।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है ।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है ।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

3. **विनिधान** / **INVESTMENTS**

3.1 विनिधान को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है वहां प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षिति लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इन विनिधान को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इन विनिधान को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में , जहाँ ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और वैसे विनिधान के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में विनिधान का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।
Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले विनिधान के संबंध में बाजार कीमत स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार कीमत पर या फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) एवं प्राइमरी डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा संयुत रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से अपवर्जित किया जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर किया जाता है। विनिधान को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/वसूली को, यदि कोई हो, विनिधान से घटाया जाता है तथा निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.

भा.रि.बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात विनिधान में विनिधान पर लागू मूल्य,वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के विनिधान पर लागू किए जाते हैं।
The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए,यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देनदारी की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तुरंत आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. विदेशी मुद्रा करार / FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का पुनर्मूल्यन माह के अंत के अनुसार प्रत्येक माह वायदा संविदा की परिपक्वता की तारीख पर आधारित लागू फेडाई दर पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में लाभ एवं हानि में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of the each month.

6. अग्रिम / ADVANCES

6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त / प्राप्य दावों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-Performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-

Standard', 'Doubtful' and 'Loss' assets after considering the claims Received/Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

6.3 मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

6.4 अवलंब ली गई केंद्रीय सरकार की गारंटी और बैंक द्वारा दायर किए गए वाद की बाबत, जहाँ सरकार निराकरण नहीं करती है, देयराशियों को ठीक माना जाता है।

In respect of Central Government Guarantees invoked and suit filed by the bank, wherever the Government does not repudiate, the dues are considered good.

6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधकारी के अनुमोदन के बाद मामला - दर - मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

7. अचल आस्तियां / FIXED ASSETS

7.1 अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

7.3 भारत में परिसर (अविभाज्य / अपृथक्कृत भूमि की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों पर (कंप्यूटर को छोड़कर) मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के अनुसार किया जाता है। भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है। मूल्यह्रास का प्रावधान 30 सितंबर तक किए गए परिवर्धन के लिए पूरी दर पर तथा उसके बाद किए गए परिवर्धन के लिए आधी दर पर किया जाता है।

Depreciation on Premises (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets (excluding computers) in India is provided on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Depreciation on computers is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method in terms of RBI guidelines. Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

7.4 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

7.5 पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्यह्रास का समंजन पुनर्मूल्यन आरक्षिति के प्रति किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

7.6 पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

8. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की सेवावधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा/जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post Employment Benefits

अ/A) **निर्धारित अंशदान योजना** / Defined Contribution Plan

भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं किया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा निर्धारित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contribution to Defined Contribution Schemes such as Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

आ/B) **निर्धारित हितलाभ योजना**/Defined Benefit Plan

क. बैंक द्वारा निर्धारित हितलाभ योजना के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना का परिचालन किया जाता है।

a. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

ख. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/ एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है- I) 10,00,000 रु की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए i) 15 दिनों का वेतन (मूल+डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

b. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to i) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.10,00,000 or ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service ,whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में किया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

c. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

घ. निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

d. The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) Other Long Term Employee benefits

क. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिकारात्मक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

a. All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च् सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

b. The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ पूर्णकालिक सेवारत निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थागित नहीं-रखा जाता है ।

c. Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out at balance sheet date for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

एएस-15 कर्मचारी हित लाभ (संशोधित 2005) में सीमित संशोधन तथा उससे संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधी नोट के अनुसार बैंक ने उस देयता की तुलना में संक्रमणकालीन देयता में वृद्धि को परिशोधित करने का निश्चय किया है जिनकी पहचाने दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ यथा पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एल एफसी/एलटीसी आदि की बाबत 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधनपूर्व एएस-15 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से सीधी रेखा आधार पर 5 वर्षों तक व्यय के रूप में की गई।

In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidance note thereon, the Bank has decided to amortise the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised as per the pre revised AS-15 as on 31.03.2007 in respect of long term employee benefits like Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, etc., as an expense on a straight-line basis over 5 years from financial year 2007-08.

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करना और उपदान सीमा में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक उपचार" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09-02-2011 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का निर्णय किया है-

In accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment", Bank has decided to amortize the additional liability on account of –

क) जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उनके लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने; और

a) Re-opening of pension option for existing employees who did not opt for pension earlier; and

ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 से पाँच वर्ष की अवधि तक सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में ₹ 10.00 लाख ₹ की वर्धित सीमा के अनुसार (₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर) विद्यमान कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के कारण।

b) Payment of gratuity to existing employees as per the enhanced limit of ₹.10.00 lakhs (increased from ₹.3.50 lakhs) pursuant to the amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972, as an expense on a straight line basis over a period of five years from the financial year 2010 -11.

9. राजस्व की पहचान / REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है :

Income for the following items are recognised on realization basis:

क/a) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय/Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.

ख/b) जारी किए गए साख-पत्र और गारंटियों पर अर्जित कमीशन/ Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued.

10. आय पर कर / TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों / देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दैरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है । धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है । यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्वटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है ।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी ए एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों " के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके ।

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस आय का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता ।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची 18 – लेखे के संबंध में टिप्पणी
Schedule 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1 पूंजी \ Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	मदें Items	31.03.11 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.11	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10
(i)	सीआरएआर(%)-बासेल-I / CRAR (%) – Basel I	11.87	11.35
(ii)	सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	7.38	6.06
(iii)	सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	4.49	5.29
(iv)	सीआरएआर (%)-बासेल II / CRAR (%) – Basel II	13.71	13.21
(v)	सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	8.52	7.05
(vi)	सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	5.19	6.16
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	68.13	63.59
(viii)	टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (करोड़ ₹ में) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (₹ in Crore)	2375.00	2375.00
(ix)	अपर टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि (करोड़ ₹ में) (जिनमें से विदेशी मुद्रा उधार राशियां) Amount raised as Upper Tier-II Capital (₹in Crore) (Of which borrowings in foreign currency)	1620.00 0.00	1620.00 0.00
(x)	टियर-I बेमीयादी ऋण लिखत के रूप में जुटाई गई राशि(करोड़ ₹ में) Amount raised as Tier-I Perpetual Debt Instruments (₹ in Crore)	380.00	380.00
(xi)	टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि Amount of Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS) raised as Tier I Capital	1823.00	1150.00

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से कुल ₹ 673 करोड़ के अभिदान की प्राप्ति पर प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 67,300 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर आबंटित किए। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार कुल ₹ 1,823 करोड़ के प्रत्येक ₹ 1,00,000 लाख के 1,82,300 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर धारित करती है। इन बेमीयदी असंचयी अधिमानी शेयरों में वार्षिक अस्थिर कूपन शामिल हैं जो 100 आधार अंक के स्प्रेड सहित रेपो दर पर आधारित हैं और जिनका पुनर्निर्धारण वार्षिक रूप से सुसंगत तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर किया जाना है। ये बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर टियर I पूंजी के अंग हैं।

a) During the year the Bank allotted 67,300 PNCPS of ₹ 1,00,000 each on receipt of subscription aggregating to ₹ 673 Crores from Government of India. As on 31.03.2011 Government of India holds 1,82,300 PNCPS of ₹ 1,00,000 each aggregating to ₹ 1823 Crores. These PNCPS carry an annual floating coupon to be benchmarked to Repo Rate with a spread of 100 basis points to be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date. These PNCPS are part of Tier I Capital.

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति ₹ 940 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया है और ₹ 120.27 के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹ 10/- के 7,81,57,479 ईक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। ₹ 940 करोड़ में से ₹ 78.16 करोड़ शेयर पूंजी खाते में और र 861.84 करोड़ शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

b) During the year, Bank received contribution of ₹ 940 Crores towards equity share capital from Government of India and allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹10/- each at issue price of ₹120.27. Out of ₹ 940 crore, ₹ 78.16 crore is transferred to Share Capital Account and ₹ 861.84 crore towards Share Premium Account.

2.0 निवेश/Investments

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

मदें Items	31.03.11 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.11	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10
(1) **निवेश का मूल्य** / Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
(क)/(a) भारत में / In India	41388.26	42536.53
(ख)/(b) भारत के बाहर / Outside India	1736.17	1163.34
(ii) मूल्यह्रास एनपीआई हेतु प्रावधान / Provisions for Depreciation/NPI		
(क)/(a) भारत में / In India	187.86	178.43
(ख)/(b) भारत के बाहर / Outside India	9.29	—-
(iii) निवेश का निवल मूल्य/ Net Value of Investments		
(क)/(a) भारत में / In India	41200.40	42358.10
(ख)/(b) भारत के बाहर / Outside India	1726.88	1163. 34
(2) निवेश पर मूल्यह्रास एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) अथशेष \ Opening balance	178.43	127.40
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year	191.55	168.95
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकित करना Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	172.83	117.92
(iv) अंतिम शेष / Closing balance	197.15	178.43

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2011की स्थिति के अनुसार बकाया Outstanding as on 31st March 2011
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति Securities sold under Repos				
i. सरकारी प्रतिभूति/Government securities	0.00	6300.00	1144.51	0.00
ii.कारपोरेट ऋण प्रतिभूति/Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति Securities purchased under reverse Repos				
i. सरकारी प्रतिभूति/Government securities	0.00	4900.00	861.05	0.00
ii.कारपोरेट ऋण प्रतिभूति/Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग / Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ता का संगठन

Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम \ PSUs	1184.15	1012.46	12.90	0.00	4.90
(ii)	वित्तीय संस्थाएं \ FIs	268.28	267.52	183.26	0.00	183.26
(iii)	बैंक \ Banks	2500.32	2410.33	50.00	0.00	2162.88
(iv)	निजी कंपनी \ Private Corporates	1081.56	826.35	171.24	29.05	119.03
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य /Others	1852.03	1395.67	0.00	1436.93	1852.02
(vii)	**उप योग** (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	6886.34	5912.33	417.40	1465.98	4322.09
(viii)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	134.50	0.00	0.00	0.00	9.29
(ix)	योग \ Total (vii-viii)	**6751.84***	**5912.33**	**417.40**	**1465.98**	**4312.80**

* केन्द्र सरकार के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात बांड के ₹ 9.77 करोड की राशि को अनुसूची 8 - "सरकारी प्रतिभूतियां" में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3116.95 करोड़ की प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में अंतरित किया गया। ऐसे अंतरण के कारण हुए ₹172.28 करोड़ के मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया गया है।

* An amount of ₹ 9.77 crores of Central Government Non SLR Bond is included in Govt Securities in Schedule 8.

During the financial year 2010-11 there was transfer of securities from Available for Sale (AFS) to Held to Maturity (HTM) category of ₹ 3116.95 Crores. Depreciation amounting to ₹ 172.28 crores on account of such transfer has been charged to profit and loss account.

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश/Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण \ Particulars	31.03.2011
अथशेष \ Opening balance	13.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year	0.12
वर्ष के दौरान कटौतियां \ Reductions during the year	0.90
अंतिम शेष \ Closing balance	12.31
किए गए कुल प्रावधान \ Total provisions held	12.31

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार हैः

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	31.3.2011	**31.3.2010**
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी/– exempted category	1384.20	1515.74
- अन्य/– others	26700.53	22995.26
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	15039.66	19187.33
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	0.04	1.54

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 **वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	मदें / Items	2010-11	2009-10
i)	स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	4075.00	5967.98
ii)	करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	10.51	97.68
iii)	स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv)	स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.09
v)	स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-3.03	-1.82

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

कम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011(instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया है परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया है परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00

3.3 **व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण /Disclosures on risk exposure in derivatives**

क)\a) गुणात्मक प्रकटन/ Qualitative Disclosures

i) व्युत्पन्न लेन-देन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप

क) बैंक द्वारा किए ब्याज दर स्वाप (आइ आर एस) संबंधी लेन-देन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। भा.रि. बैंक के मानदंड के अनुसार ग्राहक को उत्पाद के रूप में व्युत्पन्न भी दिया जाता है। ये लेन-देन भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की जोखिम मापी जाती है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क- टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b)The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रशामकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्यनीति एवं प्रकिय: परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति /देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क-टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तन-कारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में लिया गया है।

Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	2010-11 मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	2010-11 ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	2009-10 मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	2009-10 ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि)´ Derivatives (Notional Principal Amount)	28,258.60	4,075.00	23,277.92	5,967.98
	क)/a) बचाव के लिए / For hedging	28,258.60	150.00	23,277.92	267.98
	ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	0.00	3,925.00	0.00	5,700.00
2	मार्क्ड टु मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
	क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	23.43	0.00	40.95	0.00
	ख)/b) देयता (-) \ Liability (-)	3.99	3.03	5.12	1.82
3	ऋण एक्स्पोजर \ Credit Exposure	853.14	45.76	880.48	149.51
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क)\ a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-8.79	NA	-5.87
	न्यूनतम \ Minimum	NA	1.88	NA	7.40
	ख)\b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
	अधिकतम \Maximum	NA	-6.66	NA	-1.70
	न्यूनतम \ Minimum	NA	0.60	NA	-1.90
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-5.04	NA	-1.25
	न्यूनतम \ Minimum	NA	0.99	NA	12.34
	क्रय-विक्रय पर \ on trading				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-3.74	NA	-1.77
	न्यूनतम \ Minimum	NA	3.93	NA	-1.98

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक ने निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹10.51 करोड़ ₹ (97.68 करोड़ ₹) की आय का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेन-देन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक हैं और एक्सपोजर अनुमत एक्सपोजर सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹ 10.51 Crore (₹ 97.68 Crore), in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 परिसंपत्ति गुणवत्ता

4.0 Asset Quality

4.1 अनर्जक परिसंपत्ति \ Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	मदें \ Items	2010-11	2009-10
(i)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक परिसंपत्ति (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	1.84	1.17
(ii)	अनर्जक परिसंपत्ति (सकल) का उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs (Gross)		
	(क)/(a) 1 अैप्रल की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक परिसंपत्ति / Gross NPAs as on 1st April	1666.43	1539.51
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
	नई अनर्जक परिसंपत्ति/ (Fresh NPAs)	2729.91	1109.03
(अ)/(A)	उप-योग / Sub-total		
	(ग)/(c) घटाव / Less:	4396.34	2648.54
(1)	कोटि उन्नयन / Upgradations	225.91	212.00
(2)	वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खाते से की गई वसूली को छोड़कर)		
	Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	433.70	399.28
(3)	बट्टा खाता / Write-Offs	586.37	370.83
(आ)/(B)	उप-योग / Sub-total	1245.98	982.11
	(घ)/(d) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक परिसंपत्ति (अ-आ)/**Gross NPAs as on 31st March (A-B)**	**3150.36**	**1666.43**
(iii)	निवल अनर्जक परिसंपत्ति का उतार-चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
	(क)/(a) अथ शेष / Opening balance	966.28	812.67
	(ख)/(b) अंतिम शेष / Closing balance	1824.55	966.28
(iv)	अनर्जक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क)/(a)	अथ शेष / Opening balance	687.36	704.39
(ख)/(b)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय अंतर और प्रतिलेखन को छोड़कर)		
	Provisions made during the year (net off exchange difference and write back)	1180.30	353.80
(ग)/(c)	बट्टे खाते डालना / Write-off	586.37	370.83
(घ)/(d)	अंतिम शेष / Closing balance	**1281.29**	**687.36**

4.2 पुनर्संरचित खातों का विवरण/Particulars of Accounts Restructured

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

		सीडीआर प्रणाली CDR Mechanism	एसएमई ऋण की पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others
पुनर्संरचित मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	2	61	3332
	बकाया राशि / Amount outstanding	47.50	54.18	371.89
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	2.57	0.27	9.15
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या /No. of Borrowers	0	0	1
	बकाया राशि / Amount outstanding	0.00	0.00	0.02
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	0	0	0
	बकाया राशि / Amount outstanding	0.00	0.00	0.00
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)		0.00	0.00
कुल/Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	2	61	3333
	बकाया राशि / Amount outstanding	47.5	54.18	371.91
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	2.57	0.27	9.15

4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	विवरण / Item	2010-2011	2009-10
(i)	खातों की संख्या / No. of accounts	62	75
(ii)	एस सी/ आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	23.17	10.87
(iii)	कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	34.44	32.77
(iv)	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बाबत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.03
(v)	एम एल आस्ति की बिक्री से प्राप्त 3.63 करोड़ ₹ सहित निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ हानि Aggregate gain/loss over net book Value including ₹ 3.53 Crore received from sale of ML asset.	11.26	21.93

4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्ति यों के ब्योरे/ Details of Non performing financial assets purchased/sold

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या 1) (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—-	—-
2. (क)/(a) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	—-	—-
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—-	——

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया /Aggregate Outstanding	—-	—-
3. कुल प्रतिफल प्राप्त /Aggregate consideration received	—-	—-

4.5 मानक अग्रिम पर प्रावधान/Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

मद /Item	2010-11	2009-10
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान /Provisions towards Standard Assets	396.38	327.57

5.0 कारोबार अनुपात /Business Ratios

	मद /Items	2010-11	2009-10
(i)	कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत / Interest Income as a percentage to Working Funds	8.25	8.23
(ii)	कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.67	0.83
(iii)	कार्यकारी निधि की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत/Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.96	1.47
(iv)	आस्तियों पर आय /Return on Assets	0.66	0.87
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) / Business (Deposits plus advances) per employee	10.69 करोड़/Cr.	8.64 करोड़/Cr.
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ / Profit per employee	4.19 लाख/lakhs	4.43 लाख/lakhs

6.0 दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों के आस्ति देयता प्रबंध की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2011

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

PARTICULARS	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days and up to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and up to 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	1 वर्ष से अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and up to 3 years	3 वर्ष से अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	386.83	4086.77	3135.30	5509.25	35759.68	15369.75	31364.67	17549.02	1788.05	30328.28	145277.60
अग्रिम/Advances	1274.84	1333.17	1394.60	817.84	9147.79	8254.47	9761.02	30522.64	13008.77	25045.83	100560.97
निवेश/Investments	815.10	1394.97	976.48	1216.85	10291.72	3516.82	8356.05	5527.52	1059.09	9969.83	43124.43
उधार/Borrowings	40.42	63.38	98.18	0.00	84.70	204.47	136.93	736.88	671.40	3438.41	5474.77
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	393.36	955.99	213.71	632.36	2604.05	1717.11	2281.51	1120.06	619.02	466.18	11003.35
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	96.78	906.19	407.36	680.80	2447.11	1591.18	772.57	2046.36	337.92	1716.54	11002.81

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 भू-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

श्रेणी/Category	2010-11	2009-10
क)/a) प्रत्यक्ष एक्सपोजर/Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक- ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो; जो उधारकर्ता का वैयक्तिक आवास हो या किराए पर दिया गया हो; (20 लाख रु. तक का वैयक्तिक आवास ऋण पृथकतः दर्शित किया जाए) Residential Mortgages –	5038.54	4634.22
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing borrower or that is rented; (Individual housing loans up to ₹.20 lakh may be shown separately));	3203.08	3117.71
(ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर-संपदा को (कार्यालय भवन, फुटकर खाली स्थान, बहु -उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु -परिवार आवासीय भवन , बहु -किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण , विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है । Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space,land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	5228.90	2475.72

(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति(एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋण में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – a. आवासीय/Residential,	5.25	7.69
b. वाणिज्यिक स्थावर-संपदा/Commercial Real Estate.	0.00	0.00
(ख)/(b) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1917.81	712.33
स्थावर-संपदा श्रेत्र को कुल ऋण/Total Exposure to Real Estate Sector	**12190.50**	**7829.96**

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
(i) ईक्विटी शेयर ऐसे परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों, में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	503.64	424.49
(ii) शेयरों (आइपीओ / ई एस ओ पी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.12	0.27
(iii) किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.44
(iv) किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहाँ शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हों; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	86.39	0.00
(v) शेयर दलालों को दिए जानेवाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	133.20	77.23
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter’s contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी ऋण all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	168.00
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर/Total exposure to Capital Market	**917.85**	**670.43**

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर (निधिक एवं गैर-निधिक)
Risk Category wise Country Exposure (Funded and Non-funded)

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2011 की स्थिति के स्थित के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2011	31 मार्च, 2011 की स्थिति अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2011	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2010	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2010
नगण्य/Insignificant	1828.45	—	1832.31	1.20
कम/Low	1636.71	—	1063.29	-
सामान्य/Moderate	85.30	—	43.69	-
अधिक/High	1.63	—	0.82	-
अत्यधिक/Very High	1.23	—	0.00	-
सीमित/Restricted	0.00	—	0.00	-
ऋणेतर/Off-credit	0.00	—	0.00	-
कुलTotal	**3553.32**	**—**	**2940.11**	**1.20**

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर मद्धे प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋण की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2011, the provision requirement on account of Country Exposure is ₹ Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2011. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.

7.4. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

अ. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण सीमा Limit sanctioned	अवधि,जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded		कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.11 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03. 11
1	2	3	4	5		6	7	8
	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

आ./B. बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा-शून्य/Group Borrower Limit exceeded by the Bank – NIL

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार As at 31st March 2011
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances of the Bank	14232.08
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences,authority etc	850.97
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	543.20

8. विविध/Miscellaneous

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि/Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2011	31.03.2010
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	316.78	271.15
भारत के बाहर/Outside India	7.34	0.24

8.2 भा. रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के अधीन बैंक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की है।

9.0 लेखा-मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 लाभ-हानि लेखे में कोई 'अवधि-पूर्व मद' शामिल नहीं किया गया है जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकटित किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व की पहचान

जारी किए गए साख-पत्र एवं गारंटियों पर अर्जित कमीशन की पहचान बैंक की लेखा नीति के अनुसार वसूली आधार पर की जाती है जो एस-9 के अनुसार नहीं है। फिर भी, इसकी राशि नगण्य है।

9.3 एएस - 15- कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ यानी पेन्शन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु संशोधित लेखा-मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है । लेखा मानक 15 कर्मचारी हितलाभ (यथासंशोधित 2005) में किए गए सीमित संशोधन और उससे संबंधित दिशानिर्देश नोट की शर्तो के अनुसार बैंक ने उस देयता पर संक्रमणकालीन देयता में वृद्धि को मान्यता दी है जिसकी मान्यता वित्तीय वर्ष 2007-08 से पाँच वर्षो तक व्यय के रूप में दि. 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व एएस-15 के अनुसार दी जाती। तदनुसार, संक्रमणकालीन देयता में वृद्धि के परिशोधन के प्रति ₹. 88.68 करोड़ (₹. 88.68 करोड़) को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया गया है। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार संशोधित एएस-15 के कारण संकमणकालीन देयता में वृद्धि का अपरिशोधित अंश 88.69 करोड़ रु. (₹. 177.37 करोड़) है।

वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू किया है जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके परिणामस्वरूप 10563 कर्मचारियों के लिए बैंक ने ₹ 507.84 करोड़ (₹ शून्य) की पेंशन देयता उपगत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, उपदान संदाय अधिनियम 1972 में संशोधन के अनुसरण में बैंक के

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking regulation Act, 1949

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition

Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued are recognised on realization basis as per Bank's accounting policy which is not in accordance with AS-9. However, the amount is insignificant.

9.3 AS - 15 –Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to self and family members of retired Directors and Directors in service etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15. In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidelines notes thereon, the Bank has recognised the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised as per the Pre Revised AS-15 as on 31.03.2007 as an expense over 5 years from financial year 2007-08. Accordingly, ₹.88.68 crores (₹.88.68 crores) has been charged to Profit & Loss Account towards amortisation of the increase in transitional liability. The un-amortised portion of the increase in transitional liability on account of Revised AS-15 is ₹.88.69 crore (₹.177.37 crore) as on 31.03.2011.

During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 10563 number of employees, the Bank has incurred a pension liability of ₹.507.84 crore (₹.Nil). Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the Bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment

कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा में भी वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप बैंक की उपदान देयता में ₹ 292.51 करोड़ (₹ शून्य) की वृद्धि हुई है।

संशोधित लेखा-मानक (एएस)-15 की अपेक्षा के अनुसार कर्मचारी हितलाभ, ₹ 800 करोड़ (यानी ₹ 507.84 + ₹ 292.51 करोड़) की संपूर्ण राशि को लाभ हानि लेखे पर भारित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने और उपदान सीमा में वृद्धि करने - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार पर दिनांक 9 फरवरी, 2011 को परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. बीपी. बीसी. 80.21.04.018/2010-11 जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक पाँच वर्षों में ₹ 800.35 करोड़ की राशि परिशोधित करेगा। तदनुसार, ₹ 160.07 करोड़ को (₹ 800.35 करोड़ का 1/5 भाग) लाभ-हानि लेखा पर भारित किया गया है। भा.रि. बैंक के उपर्युक्त परिपत्र की अपेक्षा के अनुसार आगे ले जाई गई शेष राशि यानी ₹ 640.28 करोड़ में (₹ 800.35 करोड़ - ₹ 160.07 करोड़) बैंक से अलग हुए /सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

यदि भा.रि. बैंक द्वारा उपर्युक्त परिपत्र जारी नहीं किया जाता तो संशोधित एएस-15 की अपेक्षा को लागू किए जाने पर बैंक के लाभ में ₹ 640.28 करोड़ की कमी हो गई होती।

₹ 160.07 करोड़ (₹ शून्य) के अतिरिक्त र 461.84 करोड़ की (₹ 265.07 करोड़) राशि को, जिसमें सेवानिवृत्त/बैंक से अलग हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन हेतु द्वितीय विकल्प के प्रति पूर्ण देयता एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ के लिए देयता शामिल है, चालू वर्ष की देयता के प्रति लाभ-हानि लेखा पर भारित किया गया है।

of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Bank has increased by ₹. 292.51 crore (₹.Nil).

In terms of the requirements of the Revised Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹.800.35 crores (ie. ₹.507.84 crores + ₹.292.51 crores) is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80.21.04.018/ 2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said circular, the Bank would amortise the amount of ₹.800.35 over a period of five years. Accordingly, ₹.160.07 crore (representing one-fifth of ₹.800.35 crore) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹.640.28 crore (₹.800.35 crore – ₹.160.07 crore) does not include any amount relating to separated / retired employees.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹.640.28 crore pursuant to application of the requirements of Revised AS 15.

In addition to ₹.160.07 crore (₹.Nil), an amount of ₹.461.84 crore (₹.265.06 crore), which includes full liability for the retired / separated employees towards second option for pension and liability for other employee benefits, has been charged to Profit & Loss Account towards current year's liability.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का समाधान /Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	निधिक / Funded		अनिधिक / Un-Funded			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	1391.01	443.29	227.76	21.80	7.31	0.13
चालू सेवा लागत Current Service Cost	113.83	29.23	33.56	—-	1.84	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	118.24	33.30	19.36	1.85	0.62	0.01
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	(276.45)	(102.99)	—-	—-	—-	(0.02)
बीमांकिक हानि/(लाभ) / Actuarial Loss/(Gain)	1720.03	341.81	(28.44)	(1.14)	(2.22)	0.05
अंतिम दायित्व / Closing Obligation	3066.66	744.64	252.24	22.51	7.55	0.17

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का समाधान /
Reconciliation of opening and closing balances of plan assets

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्ति का प्रारंभिक मूल्य/Opening Value of Plan Assets	1347.03	443.29
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल/Expected Return on Plan Assets	121.37	42.33
अंशदान/Contributions	166.21	70.25
प्रदत्त हितलाभ/Benefits Paid	(276.45)	(102.99)
बीमांकिक लाभ/(हानि) /Actuarial Gain/(Loss)	958.65	(2.61)
योजना आस्ति का अंतिम मूल्य/Closing Value of Plan Assets	2316.81	450.27

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)-दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	1720.03	341.81	(28.44)	(1.14)	(2.22)	0.05
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year – Plan Asset	958.65	(2.61)	—-	—-	—-	—-
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	761.38	344.42	(28.44)	(1.14)	(2.22)	0.05
वर्ष में पहचान की गई बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	761.38	344.42	(28.44)	(1.14)	(2.22)	0.05

लाभ-हानि लेखा विवरण में पहचान किए गए व्यय /Expenses Recognised in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	113.83	29.23	33.56	—-	1.84	—-
ब्याज लागत /Interest Cost	118.24	33.30	19.36	1.85	0.62	0.01
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	(121.37)	(42.33)	—-	—-	—-	—-
वर्ष में पहचान की गई शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	761.38	344.42	(28.44)	(1.14)	(2.22)	0.05

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
लाभ/हानि विवरण में पहचान किए गए व्यय (पेंशन और उपदान के लिए अन्य आस्तियों पर भारित परिशोधन राशि के 4/5 भाग को छोड़कर) Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss (excluding 4/5th of amorti-sation amount charged to Other Assets for Pension and Gratuity)	(872.08 - 406.27) = 465.81	(364.62 - 234.01) = 130.61	24.48	0.71	0.24	0.06
लाभ/हानि विवरण में पहचान की गई संशोधन-पूर्व एएस -15 देयता से अधिक संक्रमणकालीन देयता की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of Transitional Liability in excess of Pre-Revised AS-15 liability recognized in Statement of Profit / Loss	58.64	13.40	11.28	4.16	1.20	—-
पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बाबत उपदान सीमा में वृद्धि की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of Increase in liability for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service	101.57	58.50	—-	—-	—-	—-

संशोधन-पूर्व एएस-15 देनदारी से अधिक संक्रमणकालीन देनदारी (वर्ष 2007-08 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 liability (To be amortised in 5 years commencing from the year 2007-08)

(करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
संशोधन-पूर्व एएस-15 देनदारी से अधिक संक्रमणकालीन देनदारी Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 liability	293.18	66.92	56.54	20.79	6.00	—

पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बाबत उपदान सीमा में वृद्धि (वर्ष 2010-11 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Increase in Liability for second option for Pension and Enhancement of Gratuity Limit in respect of employees in service (To be amortised in 5 years commencing from the year 2010-11)

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बाबत उपदान सीमा में वृद्धि Increase in liability for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service as on 31.03.2011	507.84	292.51

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि /Amounts Recognised in the Balance Sheet:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
31.03.2011 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2011	3,066.66	744.64	252.24	22.51	7.55	0.17
31.03.2011 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/ प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets / Amount of Provision held as at 31.03.2011	2,316.81	450.27	227.76	21.80	7.31	0.13
तुलन-पत्र में पहचान की गई निवल देनदारी/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	749.85	294.37	24.48	0.71	0.24	0.04

निवेश के ब्योरे

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश-100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund – 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	22.30
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां /State Government Securities	13.34
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांड आदि /PSU Bonds etc.	55.74
विशेष जमा / Special Deposit	8.62
अन्य आस्तियां /Other Assets	शून्य /NIL
कुल / Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका / Mortality Rate Table	जी.बी.नि./LIC(1994-96)
अधिवर्षिता आयु /Superannuation Age	60 वर्ष/Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रतिहजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 1 below age 29
रियायती दर / Discount Rate	8.50 %
मुद्रास्फीति दर / Inflation Rate	5.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल /Return on Plan Asset	9.01% (पेंशन हेतु / For Pension) 9.55% (उपदान हेतु /For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन /Remaining Working Life	9 वर्ष /Years
प्रयुक्त सूत्र /Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति / Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग/Segment Reporting

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	3060.79	2710.84	7103.16	4905.88	2079.61	2812.74	52.65	62.79	12296.21	10492.25
परिणाम/Result	334.22	-34.71	379.57	545.14	178.12	475.94	52.65	62.79	944.56	1049.16
अनाबंटित आरक्षिति Unallocated Reserve									0.00	0.00
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									2694.96	1705.63
आयकर Income Tax									38.02	36.98
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									906.54	1012.18
अन्य सूचनाएं Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	61387.33	52704.04	79515.98	55143.27	22495.14	29472.18	0.00	0.00	163398.45	137319.49

अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									163398.45	137319.49
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	49019.18	46742.64	89156.75	59028.27	25222.53	31548.58	0.00	0.00	163398.45	137319.49
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									163398.45	137319.49

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट
Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	देशी / Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	12042.33	10264.58	253.88	227.67	12296.21	10492.25
आस्तियां/Assets	153268.46	129504.93	10129.99	7814.56	163398.45	137319.49

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटन

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

श्री एस.के. गोयल (दि. 30.6.2010 तक)

श्री अरुण कौल (दि. 01.09.2010 से)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री वी.के. ढींगरा (दि. 30.04.2010 तक)

श्री अरुण कुमार (दि. 07.12.200 से)

श्री एन.आर. बद्रीनारायणन (दि. 01.09.2010 से)

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

9.5 Related Party Disclosures:

a) Key Management Personnel

i) Chairman and Managing Director

Shri S.K. Goel (Till 30.06.2010)

Shri Arun Kaul (From 01.09.2010)

ii) Executive Directors

Shri V.K. Dhingra (Till 30.4.2010)

Shri Ajai Kumar (From 07.12.2009)

Shri N.R. Badrinarayanan (From 01.9.2010)

b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹. में) / (Amount in ₹ lacs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि/Period	मदें/Items	राशि/Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.09.2010 से 31.03.2011तक 01.09.2010 to 31.03.2011	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	7.66
		जमा /Deposits	14.60
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		प्राप्त ब्याज Interest Received	0.00
		उधार /Borrowings	0.00

(राशि लाख ₹. में) / (Amount in ₹ lacs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि/Period	मदें/Items	राशि/Amount
श्री एस. के. गोयल भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.K.Goel, EX-CMD	01.04.10 से 30.06.2010 तक 01.04.10 to 30.06.2010	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	15.77
		जमा /Deposits	25.41
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.00
		उधार /Borrowings	0.00
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar, ED	01.04.10 से 30.02.11 तक 01.04.10 to 31.03.11	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	13.57
		जमा /Deposits	15.50
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.19
		उधार /Borrowings	0.00
श्री एन. आर. बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan, ED	01.09.10 से 31.02.11 तक 01.09.10 to 31.03.11	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	6.60
		जमा /Deposits	2.03
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.02
		उधार /Borrowings	0.00
श्री वी. के ढींगरा कार्यपालक निदेशक Shri V.K.Dhingra, EX-ED	01.04.10 से 30.04.10 तक 01.04.10 to 30.04.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites &Incentive	9.83
		जमा /Deposits	6.37
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		Interest Received	0.68
		उधार /Borrowings	0.00

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित/As compiled and certified by the management

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं :

i) जयपुर थार ग्रामीण बैंक

ii) कलिंग ग्राम्य बैंक

iii) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iv) महाकौशल ग्रामीण बैंक

v) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) सहयोगियों के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस 18, "संबंधित पार्टी प्रकटन" के पैरा-9 के मद्दे नजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दिया गया है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

असाधारण मद के बाद मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर 14.29 रु

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन

c) Associates

Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under:

i) Jaipur Thar Gramin Bank

ii) Kalinga Gramya Bank

iii) Bihar Kshetriya Gramin Bank

iv) Mahakaushal Gramin Bank

v) Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS):

Basic & Diluted EPS after Extra-ordinary item: ₹ 14.29 per share

Calculation of EPS

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	31.3.2011	31.3.2010
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में)		
Net profit (₹. in crore) after tax available for equity shareholders	787.29	959.98
ईक्विटी शेयरों की संख्या		
Number of equity shares	62,75,17,479	54,93,60,000
जोखिमघारित ईक्विटी शेयरों की संख्या		
Weighted Number of equity shares	55,08,58,911	54,93,60,000
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में)		
Nominal Value per Share (Amount in ₹.)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइलूटेड अर्जन (राशि ₹ में)		
Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹.)	14.29	17.47

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखा से संबंधित एएस 23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबधित एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 आय पर कर

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹ 30.51 करोड़ (₹ 77.60 करोड़) की निवल राशि की पहचान आस्थगित कर आस्ति के रूप में की गई है। तथापि, आस्थगित कर आस्ति पर विवरणी के अनुसार आगे ले जाई गई ₹ 371.27 करोड़ (₹ 202.27 करोड़) की हानि के लिए अपील की गई है और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उसकी पहचान नहीं की गई है।

9.8 Taxes on Income

a) During the year net amount of ₹. 30.51 crore (₹.77.60 Crore) has been recognised as Deferred Tax Asset as per accounting standard AS-22. However, DTA on carried forward loss as per return to the extent of ₹ 371.27 Crore (₹.202.27 Crore) has gone for appeal, has not been recognised on account of prudence.

(करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2011की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011	दिनांक 31.03.2010की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets		
आगे ले जाई गई हानि/Carried forward loss	258.23	306.43
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for leave encashment	83.79	77.42
उचित मूल्य में ह्रास/Diminution in fair value	61.01	59.09
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान/एएस-15/Provision for wage revision/AS-15	165.79	96.55
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	9.94	6.13
कपट/आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान/Provision for Fraud/Contingent liability etc.	26.83	27.09
योग/TOTAL	605.59	572.71

(करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
एएस-15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	29.46	60.30
बहियों एवं आय कर के बीच निवेश मूल्य में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	461.70	428.49
योग/TOTAL:	491.16	488.79
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	114.43	83.92

ख) आईसीएआई द्वारा जारी "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम एकांतर कर की बाबत उपलब्ध ऋण हेतु लेखा संबंधी दिशानिर्देश नोट" के अनुसार चालू वर्ष के लिए ₹ 286.10 करोड़ (₹160.64 करोड़) के न्यूनतम एकांतर कर ऋण को लाभ एवं हानि लेखा में "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" के अधीन जमा किया गया है और उसके लिए न्यूनतम एकांतर कर ऋण हकदारी लेखा को नामे डाला गया है क्योंकि प्रबंधन की यह राय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान न्यूनतम एकांतर कर ऋण को समंजित किया जा सकता है।

b) In accordance with the "Guidance Note on Accounting for credit available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to ₹.286.10 crore (₹ 160.64 crore) has been credited to P&L Account under "Provisions and Contingencies" by debiting MAT credit entitlement Account since the management is of the opinion that the MAT credit can be set off during the specified period as per the Provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 अमूर्त आस्तियां

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति का उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है :

9.9 Intangible assets

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.11 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.11	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	29.09	45.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	6.94	9.33
घटाएं : अमूर्त आस्तियों का विमोचन पूर्णतः परिशोधित Less: Retirement of intangibles fully amortised	0.00	25.65
योग /Total	36.03	29.09
घटाएं : अद्यतित परिशोधन (उन आस्तियों की निवल राशि जिनका अग्र भुगतान किया गया) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	26.58	17.45
घटाएं : अनर्जक हानि/Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक/Net Block at the end of the year	9.45	11.64

(करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

परिशोधन / Amortization	31.03.11 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.11	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10
अथशेष/Opening balance	17.45	31.87
जोड़ें : अनर्जक हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान पहचान किए गए परिशोधन Add: Amortization recognised during the year	9.13	11.23
घटाएं : विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/Less: Appropriation on assets retired	0.00	25.65
अंतिम शेष /Closing Balance	26.58	17.45

9.10 आस्तियों की अनर्जकता

लेखा मानक - 28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

10.0 अतिरिक्त प्रकटन :

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

9.10 Impairment of Assets

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 Additional disclosures:

10.1 Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	**चालू वर्ष Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	191.55	89.29
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान /Provision towards NPA	1180.65	353.80
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	-0.78	-1.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	67.85	6.18
कराधान के लिए प्रावधान/Provision towards Taxation	324.12	271.39
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)/Other Provision and Contingencies (with details)		-
विधिक मामले /आकस्मिकताएं / Legal Cases / Contingencies	5.89	2.19
उचित मूल्य में ह्रास/Diminution in Fair Value	-0.71	23.22
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-30.51	-77.61
न्यूनतम एकांतर कर ऋण/ MAT Credit	-286.10	-234.41
बकाया वेतन पुनरीक्षण/Arrear Wage Revision	13.00	134.06
विविध प्रावधान/Miscellaneous Provision	323.47	126.34
योग/Total	**1788.43**	**693.45**

ख) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) में यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय,माध्यस्थम् पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहाँ बैंक के विरूद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) समान मुद्दों पर विभिन्न अपीली निर्णय के आधार पर / विवाद संबंधी समिति के अनुमोदन को लंबित रखते हुए अपील पर कार्रवाई करने हेतु आयकर की विवादित मांग, शास्ति, र 10,66 करोड़ (₹ 96.39 करोड़) के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं और ₹ 10.65 करोड़ (₹ 40.65 करोड़) के भुगतान / समायोजन को अनुसूची 11 में अन्य आस्तियों में शामिल किया गया है।

10.3 अस्थायी प्रावधान शून्य

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

उपयोग के कारण आरक्षितियों में कोई कमी नहीं हुई है।

10.5 शिकायतों का प्रकटन

अ) ग्राहक-शिकायतें :

10.2 Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹. 10.66 crore (₹ 96.39 crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for appeal before various competent Authorities and payments/adjustment of ₹. 10.65 crore (₹.40.65 crore) has been included in Other Assets in Schedule 11.

10.3 Floating Provisions Nil

10.4 Draw Down From Reserves

There is no draw down from Reserves.

10.5 Disclosure of Complaints

A) Customer Complaints:

क/A	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of complaints pending at the beginning of the year	37
ख/B	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (2010-11)/No. of complaints received during the year (2010-11)	1131
ग/C	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या या (2010-11)/No. of complaints redressed during the year (2010-11)	1110
घ/D	मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year March, 2011	58

आ) दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.11

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
21	37	-	-	58

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड :

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क/a	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	3
ख/b	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	17
ग/c	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्ड की संख्या No. of Awards implemented during the year	12
घ/d	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	8*

* 2 मामले विचाराधीन हैं, * 3 मामलों के संबंध में अपील फाइल की गई है, * 2 मामलों के संबंध में अवार्ड देर से प्राप्त हुआ है,* 1 मामले में पक्षकार ने अवार्ड स्वीकार नहीं किया है।

* 2 cases are subjudice,* 3 cases Appeal filed,* 2 cases due to late receipt of Award,* 1Party has not accepted the Award.

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटन

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र / Letter of Comforts issued during the year 2010-11	6289.94
2	वर्ष 2010-11 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2010-11	5361.18
3	दिनांक 31.03.2011की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2011	4539.24

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

दिनांक 30.09.2010 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्ति की स्थिति की तुलना में बैंक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात 70% है। भा.रि. बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. सं. बीपीबीसी. 87/21.04.048/2010-11 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार ₹210.32 करोड़ की राशि प्रति चक्रीय प्रावधानीकरण सुरक्षित राशि नामक लेखा के अधीन रखी गई है जो विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन यथापेक्षित की तुलना में पीसीआर के अधीन प्रावधान के अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज 51.60% है।

10.7 Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage Ratio of the Bank with reference to Gross NPA position as on 30.09.2010 is 70%. As per RBI Circular No. DBOD.No.BPBC.87/21.04.048/2010-11 dated 21.04.2011 an amount of ₹ 210.32 Crore has been kept under an account styled as counter cyclical provisioning buffer representing a surplus of provision under PCR vis a vis as required under prudential norms. The provision coverage as on 31.03.2011 works out to 51.60%

10.8 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जेनरल इंश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेन्ट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार/**Type of Business**	**राशि/Amount**
लाइफ कारोबार/Life Business	6.11
नॉन-लाइफ कारोबार/Non Life Business	4.89

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण / Concentration of Deposits, Advances, Exposures

क) जमाराशियों का संकेंद्रण

a) Concentration of Deposits

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां/Total Deposits of twenty largest depositors	18759.65
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	12.91%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total advances to twenty largest borrowers	32943.45
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	28.33%

ग) ऋण का संकेंद्रण
c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	33596.08
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	23.52%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण/Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	2010-11	2009-10
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को दिए गए कुल ऋण/ Total Exposure to top four NPA accounts	597.22	157.59

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां/Sector wise NPAs

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	क्षेत्र Sector	उक्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/Agriculture & allied activities	5.98%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु)मझोल एवं बड़े / Industry (Micro & small) Medium and Large	3.04%
3	सेवा क्षेत्र/Services	5.35%
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	3.14%

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ / Movement of NPAs

(करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

ब्योरे / Particulars	
दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अथशेष) Gross NPAs as on 01.04.2011 (Opening Balance)	1666.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)/Additions (Fresh NPAs) during the year	2729.91
उप योग (अ)/Sub Total (A)	4396.34
घटाएं :/ Less:	
(i) ग्रेड बढ़ाना/Upgradations	225.91
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	433.70
(iii) बट्टे खाते डालना / Write-offs	586.37
उप योग (आ)/Sub total (B)	1245.98
दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ - आ) Gross NPAs as on 31st March 2011 (Closing Balance) (A-B)	3150.36

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व/Overseas Assets, NPA's and Revenue (करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2010-11	2009-10
कुल आस्तियां/Total Assets	10129.99	7814.56
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	60.19	1.41
कुल राजस्व/Total revenue	253.88	227.67

10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रयोजित नहीं किया है।

10.15 कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना - 2008 (एडीडब्ल्यूडीआरएस - 2008)

1. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) - 2008 के अधीन 'अन्य किसानों ' द्वारा चूक की गई अतिदेय राशि के 75% के भुगतान की अंतिम तारीख दिनांक 30.06.2010 को समाप्त हो गई है।
2. भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 30.09.2010 की स्थिति के अनुसार अन्य किसानों के ₹ 141.63 करोड़ के 7333 खातों को 100% प्रावधान सहित अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। बैंक ने दिनांक 31.03.2010 की अवधि तक ऋण माफी के प्रति प्रस्तुत ₹ 536.33 करोड़ और ऋण राहत के प्रति प्रस्तुत ₹ 42.46 करोड़ के दावे की पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त की है।
3. दि. 01.10.2010 से 31.03.2011 तक के दौरान बैंक ने 1951 अन्य किसानों से एडीडब्ल्यूडीआरएस - 2008 से संबंधित ₹ 23.54 करोड़ की वसूली की है। इन अनर्जक आस्ति खातों से वसूली को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक 'विशेष एकबारगी निपटान योजना' लागू की है जिसके अंतर्गत दिनांक 30.09.2010 तक अनर्जक आस्ति के रूप में घोषित सभी एडीडब्ल्यूडीआरएस खाते आएंगे । इस 'एकबारगी निपटान योजना' के प्रावधान के अनुसार बैंक ने एकबारगी निपटान के बाद ऐसे उधारकर्ताओं को नए ऋण देने का प्रावधान किया है।
4. बैंक ने दि. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षित दावे निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :-

क) ऋण माफी - लघु एवं सीमांत किसानों के प्रति ₹ 1.38 करोड़

ख) ऋण राहत - 5079 अन्य किसानों के प्रति ₹ 9.00 करोड़

10.16 समाधान

दिनांक 31.03.2011 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उपर्युक्त का कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.17 अचल आस्तियाँ

क) बैंक ने पूर्व में कतिपय अवसरों पर अपने परिसरों का पुनर्मूल्यन स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांककों द्वारा कराया था और उनकी मूल लागत की तुलना में अधिक उचित बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यन

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 Agricultural Debt Waiver & Debt Relief Scheme-2008 (ADWDR- 2008)

1. Under Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDRS)-2008, last date of payment of 75% of the overdue amount in default by the 'Others Farmers' has expired on 30.06.2010.
2. In terms of RBI guidelines, 7333 accounts of other farmers amounting to ₹ 141.63 crore were classified as NPA as on 30.09.2010 with 100% provision. Bank has received full reimbursement of claim of ₹ 536.33 crore against Debt Waiver and ₹ 42.46 crore against Debt Relief submitted up to the period 31.03.2010.
3. During, 01.10.2010 to 31.03.2011, the Bank has recovered ₹ 23.54 crore from 1951 Nos. of Other Farmers relating to ADWDRS-2008. With a view to recover from these NPA accounts, a special OTS scheme has been introduced by the Bank where all ADWDRS accounts declared as NPA up to 30.09.2010 will be covered. As per provision of this OTS scheme Bank has a provision for fresh lending to such Borrowers after One Time Settlement.
4. As on 31.03.2011 Bank has submitted claim duly audited by the Statutory Central Auditors as below:-

a) Debt Waiver – ₹ 1.38 Crore against Small and Marginal Farmers

b) Debt Relief – ₹ 9.00 Crore against 5079 Other Farmers.

10.16 Reconciliation:

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2011 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.17 Fixed Assets

a) Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to

आरक्षिति में जमा किया गया था। आज की तारीख में पुनर्मूल्यन आरक्षिति की (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) कुल राशि ₹ 584.06 करोड़ (₹ 576.80 करोड़) है और उपर्युक्त पुनर्मूल्यन आरक्षिति (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) पर भारित पुनर्मूल्यित अंश पर मूल्यह्रास ₹ 149.12 करोड़ (₹ 173.98 करोड़) है।

ख) ₹ 2.58 करोड़ (₹ 2.58 करोड़) के मूल्यह्रासित मूल्यवाली आस्तियों सहित जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन ₹ 23.03 करोड़ (रु. 23.03 करोड़) पर किया गया था उनकी बाबत प्रलेखीकरण / रजिस्ट्रीकरण का कार्य लंबित है।

ग) पूंजीगत लेखों पर जिन संविदाओं का (अग्रिम को छोड़कर) निष्पादन किया जाना शेष है उनकी अनुमानित राशि रु. 6.36 करोड़ (रु. 15.22 करोड़) है जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ।

10.18 अनर्जक अग्रिमों के प्रति सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का विश्लेषण नही किया जाता है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची 9 में कथित किया गया है निवल अग्रिमों के शेष का पता लगाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उपर्युक्त की कटौती की जाती है।

10.19 भा.रि. बैंक के स्पष्टीकरण दिनांक 17 सितंबर, 2010 के परिप्रेक्ष्य में रु. 415.10 करोड़ के ऋण संबद्ध नोट (सीएलएन), जिनका वर्गीकरण निवेश श्रेणी के अंतर्गत किया गया है और जिन्हें अबतक ऋण एवं अग्रिम श्रेणी में रखा गया था और जिसके परिणामस्वरूप रु. 9.03 करोड़ के बही में अंकित मूल्य (एमटीएम)की हानि हुई थी उसके लिए दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा में प्रावधान किया गया है। इसी के अनुरूप रु. 89.19 करोड़ के ऋण चूक स्वॅाप पर रु. 4.23 करोड़ की बही में अंकित मूल्य की हानि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा में प्रावधान किया गया है।

10.20 पुनरीक्षित तुलन-पत्र पर नोट

दिनांक 29.04.2011 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण का अनुमोदन किया गया था जिसमें प्रति ईक्विटी शेयर रु. 2/- की दर पर लाभांश प्रस्तावित था। तत्पश्चात भारत सरकार से ईक्विटी पर न्यूनतम 20% या पश्च कर लाभ के 20%, इनमें से जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करने का निदेश प्राप्त होने पर ईक्विटी शेयर पर प्रति शेयर रु. 3/- का लाभांश प्रस्तावित किया गया है और दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण को पुनरीक्षित किया गया है एवं प्रति ईक्विटी शेयर रु. 3/- के प्रस्तावित लाभांश के प्रति रु. 219.52 करोड़ की राशि तथा उस पर कर का विधिवत् अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 17.05.2011 को आयोजित बैठक में किया गया है।

10.21 कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के आँकड़ों के सूचक हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत /पुनर्व्यवस्थित/पुन:उद्धृत किया गया है।

revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹. 584.06 Crore (₹. 576.80 Crore) and depreciation on the revalued portion charged to the above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed of) is ₹.149.12 Crore(₹.173.98 crore).

b) Premises include Assets with written down value of ₹.2.58 Crores (₹.2.58 Crore) which were revalued at ₹.23.03 Crore (₹.23.03 Crore) in respect of which documentation/ registration is pending.

c) Estimated amount of contracts (net of advance) remaining to be executed on capital account and not provided for ₹. 6.36 Crore (₹.15.22 Crore)

10.18. Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.19. In the light of RBI's clarification dated 17th September 2010, Credit Linked Notes (CLNs) amounting to ₹.415.10 crore has been classified under Investment Category, which were hitherto grouped under Loans and Advances resulting in Marked to Market (MTM) loss of ₹.9.03 crore which has been provided in the Profit & loss Account for the year ended 31st March, 2011. On the same analogy, the MTM loss of ₹.4.23 crore on Credit Default Swaps of ₹.89.19 crore has been provided in the Profit & loss Account for the year ended 31st March, 2011.

10.20 Note on Revised Balance Sheet.

The Financial Statements were approved by the Board of Directors on 29.04.2011 proposing a dividend at the rate of ₹. 2/- per equity share. Subsequently, on receiving directives from GOI reiterating to pay a minimum dividend of 20% on equity or 20% of post tax profit whichever is higher, the Dividend on equity shares has been proposed at ₹. 3/- per share and the Financial Statements as on 31.03.2011 have been revised to include an amount of ₹. 219.52 crores towards proposed Dividend of ₹. 3/- per equity share and tax thereon which have been duly approved by the Board of Directors at its meeting held on 17.05.2011.

10.21. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped / re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITORS' REPORT

भारत के राष्ट्रपति को

To

The President of India,

हमने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के यूको बैंक के वित्तीय विवरण यानी 31 मार्च, 2011 की स्थिति के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि-लेखा तथा नकदी प्रवाह से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 29.04.2011 को जारी किया है। इन वित्तीय विवरणों को सदस्यों को परिचालित करने से पहले दिनांक 17.05.2011 को निदेशक मंडल द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें लाभांश वितरण कर सहित ईक्विटी के लिए प्रस्तावित लाभांश को 146.35 करोड़ रु. से बढ़ाकर 219.52 करोड़ रु. किया गया है। हम लेखा के संशोधित वित्ताय विवरणी नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

We issued our report dated 29.04.2011 on the Financial Statements, i.e. Balance Sheet as at 31st March, 2011; Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date of UCO Bank. These financial statements have been revised by the Board of Directors on 17.5.2011 before circulation to members, wherein the proposed dividend on equity has been enhanced from Rs.146.35 crores to Rs.219.52 crores inclusive of dividend distribution tax thereon. We report on revised Financial Statements of Accounts as under:

1. हमने यूको बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ उपाबद्ध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं नियंत्रक कार्यालयों, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1759 शाखाओं (9 सेवा शाखाओं सहित) और विदेशी स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेश स्थित शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। बैंक ने हमारे द्वारा एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे में ऐसी 422 शाखाओं (10 सेवा शाखाओं सहित) एवं 2 विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालय की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं की भागीदारी अग्रिम में 0.65%, जमाराशि में 4.44% , ब्याज आय में 0.64 % एवं ब्याज व्यय में 4.34 % है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व बैंक के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देनी है।

   That we have audited the attached Balance Sheet of UCO Bank as at 31st March, 2011 and also the Profit and Loss Account and the cash flow statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us, 1759 branches (including 9 Service Branches) audited by other auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also, incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 422 branches (including 10 Service Branches) and 2 overseas representative offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.65% of Total Advances, 4.44% of Total Deposits, 0.64% of Interest Income and 4.34% of Total Interest Expenses of the Bank. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार संपन्न करें कि हम युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण तात्विक गलत सूचना से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच नमूना आधार पर किया जाना शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा संबंधी सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करना और समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय का युक्तियुक्त आधार सन्निहित है।

   We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. **विषयवस्तु-जिस पर बल देनी है / Emphasis of Matter**

   हमारे विचारों पर ध्यान दिए वगैर, अनुसूची 18 के नोट 9.3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें लेखा मानक (एएस) 15 के प्रावधानों के लागू होने से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छूट दिए जाने के फलस्वरूप 640.28 करोड़ रु. तक बैंक के पेंशन और उपदान राशि के आस्थगन, कर्मचारी हित से संबंधित परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः उपलब्ध कराने एवं उपदान सीमा में बढोत्तरी - विवेकपूर्ण विनियामक ट्रीटमेंट के विषय में बनाया गया है।

   Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 9.3 of Schedule 18, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of Rs.640.28 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment.

4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970की अपेक्षा के अनुसार एवं उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए , हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

   Subject to limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that:

   क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म 'ए' एवं 'बी' में क्रमशः तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं।

   a) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

   ख) हमने ऐसी सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

ग) हमारी जानकारी में आए बैंक के सभी संव्यवहार बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।

c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

घ) बैंक की शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों तथा विदेश स्थित कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

d) The returns received from the Branches/ Controlling and Overseas offices of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

ङ) हम अंतर-बैंक लेन-देन संबंधी बकाया प्रविष्टियों के समाधान तथा उनके समायोजन के कारण लेखों पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं । (देखें अनुसूची-18 की टिप्पणी संख्या 10.16)

e) We are unable to express an opinion on the effect on the accounts if any due to non reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions (refer to Note No. 10.16 of Schedule 18)

च) नकदी आधार पर कतिपय आय का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'राजस्व की पहचान' से संबंधित लेखा-मानक 9 के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसी आय की प्रमात्रा निश्चित नहीं की जा सकी है।

f) Accounting of commission earned on letter of credit and guarantee issued is on cash basis which is not in accordance with Accounting Standard- 9 on 'Revenue Recognition' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The quantum of such income has not been ascertained.

छ) अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 1.1 में यथाउल्लिखित पूंजी पर्याप्तता और अन्य अनुपात उपर्युक्त पैरा (ख). सें (ग) तक की गई टिप्पणी के प्रभाव के अध्यधीन हैं।

g) Capital Adequacy and Other Ratios disclosed in Note No. 1.1 of Schedule 18 are subject to the effects of the observations in para (b) and (c) above.

5. उपर्युक्त पैरा 4 (ङ) से (छ) एवं मुख्य लेखा नीतियों के साथ पठित एवं क्रमशः अनुसूची सं. 17 एवं 18 के अनुसार लेखों पर टिप्पणियों पर हमारे अवलोकन के अध्यधीन हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण उपर्युक्त पैरा 4(ग) में उल्लिखित कमियों को छोड़कर भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप हैं तथा :

Subject to our observations in Para 4 (e) to (g) above and read with Principal Accounting Policies and Notes on Accounts as per Schedules 17 and 18 respectively, we further report that:

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, the financial statements are in conformity with the accounting principles generally accepted in India except to the extent stated in Para 4 (c) above and :

(i) तुलन पत्र एक पूर्ण एवं सुस्पष्ट तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण अंतर्विष्ट हैं और उसे समुचित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वह 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्य की सही और सुस्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है;

The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on 31st March, 2011 ;

(ii) लाभ-हानि लेखा उपर्युक्त नोट के साथ पठित सही लाभ शेष प्रदर्शित करता है; और

The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit ; and

(iii) नकदी प्रवाह विवरण संबंधित वर्ष में नकदी प्रवाह की सही एवं सुस्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं।

The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते चटर्जी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 302114ई **For Chatterjee & Co.** Chartered Accountants Registration No.302114E (सी ए एस.के. चटर्जी) भागीदार सदस्यता सं.03124 (CA S.K. Chatterjee) Partner Membership No. 03124	कृते डी. आर. महनोत एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 001388सी **For D.R.Mohnot & Co.** Chartered Accountants Registration No.001388C (सी ए सौरभ महनोत) भागीदार सदस्यता सं. 412971 (CA Saurabh Mohnot) Partner Membership No. 412971	कृते गोयल गर्ग एंड कं. सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 000397एन **For Goel Garg & Co.** Chartered Accountants Registration No.000397N (सी ए जे. एल गर्ग) भागीदार सदस्यता सं. 05406 (CA J.L.Garg) Partner Membership No. 05406
कृते बंसल एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 001113एन **For Bansal & Co.** Chartered Accountants Registration No.001113N (सी ए एस. के. बंसल) भागीदार सदस्यता सं. 014301 (CA S.K.Bansal) Partner Membership No. 014301	कृते कोठारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 301178ई **For Kothari & Co.** Chartered Accountants Registration No.301178E (सी ए गौतम बनर्जी) भागीदार सदस्यता सं. 015289 (CA Gautam Banerjee) Partner Membership No. 015289	कृते बावेजा एंड कौल सनदी लेखाकार पंजीयन संख्या 005834एन **For Baweja And Kaul** Chartered Accountants Registration No. 005834N (सी ए दलीप के कौल) भागीदार सदस्यता सं. 083066 (CA Dalip K Kaul) Partner Membership No. 083066

स्थान/Place: **चेन्नाई**/Chennai
तारीख/Dated: 17th **मई**/May 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011.

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹.	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹.
अ. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाहः		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	9445604	10491859
समायोजन /Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on fixed assets	805506	741876
निवेश पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on investments	1907700	882900
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off/ Provision in respect of non-performing assets	11806500	3538000
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु/Provision for Standard Assets	678500	61800
अन्य मदों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for other items	3111400	2081764
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि हेतु /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(533)	(1110)
गौण उधार पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान हेतु (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	1978145	1428731
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश हेतु (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others(treated separately)	(74128)	(57088)
टीयर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds(treated separately)	(361336)	(247380)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)	357550	357550
अपर टियर-2 उधार लिखतों पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments(treated separately)	1469200	942227
उप-योग /Sub-total	31124108	20221129
घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	(3500000)	(2154300)
	27624108	18066829
समायोजन : / Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	4033808	(142249430)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(177469298)	(140544689)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	(12018997)	(5762082)
उधार में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(7890667)	(1735762)
जमा में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	228620513	221939840
अन्य देनदारी एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	15401320	9673338
परिचालन क्रियाकलाप से निवल नकदी प्रवाह (अ) Net cash flow from operating activities (A)	78300787	(40611956)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011. (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹.	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 ₹.
आ.	**निवेश क्रियाकलाप से नकदी प्रवाहः**		
B.	Cash flow from investing activities :		
	अचल अस्तियों की खरीद / Purchase of fixed assets	(1012891)	(810287)
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	58557	61839
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	74128	57088
	टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज / Interest received from Tier-II Bonds	361336	247380
	निवेश कार्यकलाप से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
	Net cash flow from investing activities (B)	(518870)	(443980)
इ.	**वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह**		
C.	Cash flow from financing activities :		
	पीएनसीपीएस के निर्गम से प्राप्त राशि/Proceeds from issue of PNCPS	6730000	4500000
	भारत सरकार को जारी ईक्विटी शेयर/Issue of Equity Shares to GOI	781575	0
	ईक्विटी शेयरों को निर्गम पर शेयर प्रिमियम/Share Premium on issue of Equity Shares	8618425	0
	अपर टियर-2 ऋण लिखतों के निर्गम से प्राप्त राशि		
	Proceeds from issue of Upper Tier-2 Debt Instruments	0	5000000
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(1486179)	(704556)
	गौण ऋण (निवल) से प्राप्त राशि/Proceeds from Subordinated Debts (Net)	0	8000000
	आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on IPDI	(357550)	(357550)
	अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1469200)	(942227)
	गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(1978145)	(1428731)
	वित्तपोषण कार्यकलाप से निवल नकदी प्रवाह (इ)		
	Net cash flow from financing activities (C)	10838926	14066936
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+ इ)		
	Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	88620843	(26989000)
	विदेशी मुद्रा के घट-बढ़ के लिए समायोजन		
	Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	140167	(502145)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		
	Net increase in cash & cash equivalents	88761010	(27491145)
	क्रमशः 1 अप्रैल 2009 और 2010 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	Cash and cash equivalents as at April 1,2010 & 2009 respectively	81043308	108534453
	क्रमशः 31 मार्च 2011 और 2010 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	Cash and cash equivalents as at March 31,2011 & 2010 respectively	169804318	81043308
ई.	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य**		
D	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
	Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	2355086	1856543
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	70072208	64032002
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	8616014	42645908
		81043308	108534453
उ.	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य**		
E	Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
	Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	2373493	2355086
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/ Balance with Reserve Bank of India	101666769	70072208
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	65764056	8616014
		169804318	81043308

बेसल-II प्रकटीकरण/BASEL-II DISCLOSURES

तालिका डीएफ -2
TABLE DF-2

पूंजी संरचना
Capital Structure

गुणात्मक प्रकटीकरण
Qualitative Disclosures

(क) सभी पूंजी लिखतों की सूचना, संक्षेप में

(a) Summary information of all Capital instruments

1. **ईक्विटी पूंजी**
Equity Capital :

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से ईक्विटी शेयर पूंजी की मद में ₹940 करोड़ अंशदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। ₹940 करोड़ की राशि में से ₹78.16 करोड़ शेयर पूंजी के रूप में अंतरित किया गया एवं ₹861.84 करोड़ शेयर प्रीमियम खातें में अंतरित किया गया। दोनों टीयर - I पूंजी में शामिल होने के पात्र हैं।

During the year, bank received contribution of ₹ 940 crore towards equity share capital from Govt. of India. Out of ₹ 940 crore, ₹ 78.16 crore is transferred to Share capital and ₹ 861.84 crore towards Share premium accounts. Both are eligible for inclusion in Tier–I capital.

2. **टीयर - I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)**
Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक ने दिनांक 22.12.2008 से भारत सरकार की कुल ₹599.36 करोड़ की ईक्विटी शेयर में से ₹250.00 करोड़ रु. को पीएनपीसी के रूप में परिवर्तित करते हुए अपनी पूंजी को पुनर्संरचित किया। ये पीएनसीपीएस बेमीयादी प्रकृति के हैं जो वार्षिक अस्थाई कूपन बेंचमार्क से रेपो दर के रूप में परिवर्तित करते हुए 100 बीपीएस स्प्रेड सहित संबंधित तारीख को लागू रेपो दर पर वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।

The Bank restructured its Capital by converting ₹ 250.00 crore out of Govt. of India's (GOI) total Equity holding of ₹ 599.36 crore into PNCPS of ₹ 250.00 crore w.e.f. 22.12.2008. These PNCPSs are in perpetual nature carrying an annual floating coupon bench-marked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

भारत सरकार ने आगे बैंक की पूंजी आधार को मजबूत करने हेतु दो चरणों में क्रमशः वर्ष 2008 - 09 एवं वर्ष 2009 - 2010 में ₹450.00 करोड़ एवं ₹750.00 करोड़ बैंक के नवोन्मेषी टीयर - I पूंजी लिखतों में लगभग ₹1200 करोड़ अंशदान देने हेतु सहमति दी। तदनुसार बैंक ने दिनांक 30.03.2009 को ₹450.00 करोड़ एवं दिनांक 31.03.2010 को ₹450.00 करोड़ (द्वितीय चरण के ₹750.00 करोड़ में से) प्राप्त किया एवं भारत सरकार को पीएनसीपीएस आबंटित किया। ये लिखत बेमीयादी प्रकृति के हैं जो वार्षिक अस्थाई कूपन बेंचमार्क से रेपो दर के रूप में परिवर्तित करते हुए 100 बीपीएस स्प्रेड सहित संबंधित तारीख को लागू रेपो दर पर वार्षिक आधार पर पुनर्निधारित किए जाएंगे।

GOI further agreed to subscribe a sum of around ₹ 1200.00 crore in innovative Tier-1 Capital instruments of the Bank in two tranches of ₹ 450.00 crore and ₹ 750.00 crore during the years 2008-09 and 2009-10 to strengthen the Bank's Capital base. Accordingly Bank received ₹ 450.00 crore on 30.3.2009 and Rs.450.00 crore (out of Rs.750.00 crore of the second tranche) on 31.3.2010 and allotted PNCPS to GOI. These instruments are perpetual in nature and carry an annual floating coupon bench-marked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

पूंजी आधार को और मजबूत करने हेतु एवं दिनांक 31.03.2011 तक टीयर - I पूंजी को 8% करने हेतु भारत सरकार ने पीएनपीसीएस के रूप में दिनांक 04.06.2010 को ₹300.00 करोड़ एवं दिनांक 14.07.2010 को ₹373 करोड़ दिया जो वार्षिक अस्थाई कूपन बेंच मार्क से रेपो दर के रूप में परिवर्तित करते हुए 100 बीपीएस स्प्रेड सहित संबंधित तारीख को लागू रेपो दर पर वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।

Further to strengthen the capital base and to make Tier-1 capital to 8% by 31.03.2011 GOI infused capital of ₹ 300 crore on 04.06.2010 and ₹ 373 crore on 14.07.2010 in the form of PNCPS which also carry an annual floating coupon bench-marked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

3. **टीयर -I पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत**
Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए टीयर - I पूंजी को बढ़ाने हेतु अबतक ₹380.00 करोड़ के प्रोनोट प्रकृति के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय अनुषंगी बेमीयादी बॉड जारी किया है। ये बॉड अमूर्त प्रकृति के जारी किए गए थे एवं दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग किया गया था और अभी इनकी रेटिंग "एए -" "एए" पर स्थिर है। प्रति बॉड अंकित मूल्य एवं जारी मूल्य ₹10,00,000/

- है और न्यूनतम आवेदन आकार एक बाँड एवं इसके बाद एक बाँड के गुणज के रूप में था। कोई पूट ऑपशन नहीं था परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन सहित आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑपशन था तथा आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्षों की समाप्ति पर कॉल ऑपशन का प्रयोग न किए जाने की दशा में दस वर्ष के बाद कूपन को स्टेप अप ऑपशन भी विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर दिया जाता है। ये नैशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 380.00 crore for augmenting the Tier-I Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and rated by two rating agencies and presently carry 'AA-' and 'AA' stable. Face Value and Issue Price per bond is ₹ 10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from the deemed dates of allotment with the prior approval of RBI and step up coupon after ten years if call option is not exercised at the end of 10th year from the deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

4. **टीयर 2 पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र इनुषंगी अपर टीयर 2 ऋण**

Subordinated Upper Tier-2 Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए टीयर - II पूंजी बढ़ाने हेतु अबतक ₹1620.00 करोड़ केप्रोनोट प्रकृति के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बेमीयादी अपर टीयर - II बाँड जारी किया है। बाँड अमूर्त प्रकृति में जारी किए गए थे एवं दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग की गई थी और अभी इनकी रेटिंग "एए" "एलएए" पर स्थिर है। प्रति बाँड अंकित मूल्य एवं जारी मूल्य ₹10,00,000/- है और न्यूनतम आवेदन आकार एक बाँड एवं इसके बाद एक बाँड के गुणज के रूप में था। कोई पूट ऑपशन नहीं था परंतु आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑपशन विद्यमान है। ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर दिया जाता है। अपनी कालावधि के अंतिम पांच वर्षों तक दीर्घावधि अनुषंगी ऋणों के मामले की तरह परिपक्व होने पर अपर टीयर -II लिखत पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ प्रगामी बट्टा के अध्यधीन है । ये नैशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier -II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 1620.00 crore for augmenting the Tier – II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and recently rated by two rating agencies and presently carry 'AA' Stable and 'LAA Stable'. Face Value and Issue Price per bond is ₹ 10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. The Upper Tier –II instruments are subjected to progressive discount for capital adequacy purposes as they approach maturity as in the case of long term subordinated debt over the last five years of their tenor. These are listed on the Wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

5. **टीयर - 2 पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र अनुषंगी अपर टीयर - 2 ऋण**

Subordinated (Lower Tier-2) Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए टीयर - II पूंजी को बढ़ाने हेतु अबतक ₹ 2825.15 करोड़ केप्रोनोट प्रकृति के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय बेमीयादी टीयर - II बाँड जारी किया है। कुल ₹450.15 करोड़ के प्रथम तीन क्रम (दिनांक 30.06.2006 को ₹150.15 करोड़ के क्रम - I, दिनांक 07.04.2007 को ₹150.00 करोड़ के क्रम - II एवं दिनांक 08.05.2008 को ₹150.00 करोड़ के क्रम - III मोचित हुए) पहले ही मोचित हो चुके हैं । शेष बाँड अमूर्त प्रकृति के ही थे। इन अनुषंगी बाँडों की रेटिंग दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई और अभी इनकी रेटिंग "एए+" "एलएए +" पर स्थिर है। कोई पूट ऑपशन एवं कॉल ऑपशन नहीं था पहले तीन बकाया क्रम के मामले में ब्याज वार्षिक आधार पर अदा किया जाए और शेष क्रम के लिए ब्याज छमाही आधार पर अदा किया जाए। इनकी परिपक्वता स्थिर होती है और जैसे ही ये परिपक्वता पर पहुँचते हैं इन्हें प्रगामी बट्टा के अध्यधीन रखा जाता है। पाँच वर्षों से कम के आरंभिक परिपक्वता वाले या जिनकी परिपक्वता और एक वर्ष रह गई है, वैसे लिखतों को टीयर -II पूंजी में शामिल नहीं किया जाए । ये नैशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Non convertible subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 2825.15 crores for augmenting the Tier – II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The first three series aggregating ₹ 450.15 crore have already been redeemed (₹ 150.15 crores Series I redeemed on 30.06.2006, ₹150.00 crore Series II redeemed on 07.04.2007 and Rs. 150.00 crore Series III redeemed on 08.05.2008 respectively). The outstanding bonds are in Dematerialized Form only. These subordinated bonds were rated by two rating agencies and presently carry 'AA+' stable and 'LAA+ Stable' rating. There was no put option and no call option. The interest is to be paid on annual basis in case of first three series outstanding and for the remaining series interest is to be paid semi annually. These carry fixed maturity and as they approach maturity they are subjected to progressive discount. Instruments with an initial maturity of less than five years or with a remaining maturity of one year are not to be included as part of Tier – II Capital. These are listed on the wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures (करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

(ख/b)	**टियर I पूंजी / Tier-1 Capital**		**7012.00**
	उनमें से / Of which -		
	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	627.52	
	आरक्षित निधि / Reserves :		
	शेयर प्रीमियम /Share Premium	901.84	
	पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	282.21	
	सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve	1170.76	
	सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve	399.73	
	प्रतिधारित अधिशेष / Surplus Retained	1685.17	
	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत /Innovative Perpetual Debt Instruments	380.00	
	बेमीयादी अंसचयी अधिमानी शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	1823.00	
	टियर-I पूंजी से कटौती की गई राशि, जिसमें साख एवं निवेश शामिल है Amounts deducted from Tier-I Capital including Goodwill & Investment	258.23	
(ग/c)	टियर-2 पूंजी की कुल राशि (टियर-2 पूंजी से कटौती किए जाने के बाद बची राशि) The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier-2 Capital)		4265.61
(घ/d)	ऋण पूंजीगत लिखत जो अपर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र है Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital :		
	कुल बकाया राशि Total amount outstanding	1620.00	
	जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि Of which amount raised during the current year	0.00	
	पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	1620.00	
(ङ/e)	गौण ऋण जो लोअर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital :		
	कुल बकाया राशि/Total amount outstanding	2375.00	
	जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि Of which amount raised during the current year	0.00	
	वर्ष के दौरान प्रतिदत्त राशि/Redeemed during the year	0.00	
	पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	2015.00	
(च/f)	पूंजी से अन्य कटौतियां, यदि कोई हों Other deductions from Capital, if any	शून्य/Nil	
(छ/g)	कुल पात्र पूंजी Total eligible Capital		11277.61

तालिका डी एफ -3
TABLE DF-3
पूंजी पर्याप्तता
Capital Adequacy

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure

(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

(a) Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

(करोड़ रु. में/Rupees in crore)

(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach	6402.01
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
	Securitisation Exposures	Nil
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम	
(c)	Capital requirements for Market Risk :	
	Standardized Duration Approach	601.95
	Interest Rate Risk	471.73
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	2.25
	Equity Risk	127.97
(घ)	परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach	400.60
(ङ)	योग तथा टियर -1 पूंजी अनुपात	
(e)	Total and Tier-1 Capital Ratio	13.71% 8.52%
	सर्वोच्च समेकित समूह के लिए / For the top consolidated group	लागू नहीं / Not Applicable
	उल्लेखनीय बैंक सहायक कंपनियों के लिए (अपने आप में स्थित या ढांचा जिस प्रकार लागू होता है उसके आधार पर उप-समेकित)	लागू नहीं
	For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable

तालिका डीएफ -4
TABLE DF-4

ऋण जोखिम
Credit Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure :

1) **पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)**
Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose) :

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है -

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है ।
Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के मामले में नीचे में दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'अनियमित'रहता है ।
The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).

iii. खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है ।
The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों की कटाई के समय तक बकाया रहता है ।
The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल की कटाई के समय तक बकाया रहता है।
The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब / An account is considered out of order when

i. बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खाते को अनियमित माना जाता है।
The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.

ii. बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।
The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

2) **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति/Bank's Credit Risk Management Policy:**

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

i. ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां/Credit Risk acquisition – strategies & policies,

ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया/Credit approval processes.

iii. ऋण जोखिम प्रक्रिया/Credit Risk monitoring processes.

iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया/Credit Risk control processes.

ऋण जोखिम के प्रबंध हेतु समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम के विश्लेषण, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है ।

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा को लागू कराने और उसके अनुपालन की मानीटरिंग करता है । यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु. से अधिक के एक्सपोजरवाले सभी खातों के श्रेणी-निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणादान के अधीन को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है । बैंक श्रेणी-निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी-निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है ।

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above Rs 25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

बैंक, जहां कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहयोग करते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने व्यष्टि एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से पात्र खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है ।

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

		निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non-Fund Based
(क) (a)	कुल सकल ऋण Total Gross Credit	100,560.97	14,746.54
(ख) (b)	ऋणों का भौगोलिक संवितरण Geographical Distribution of Exposures –		
	विदेशी / Overseas	7,314.73	1,293.30
	देशी / Domestic	93,246.24	13,453.24

(ग) ऋणों का उद्योगवार संवितरण

(c) Industry type distribution of exposures

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

उद्योग कोड Industry Code	उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित एक्सपोजर Fund based Exposure	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Non-Fund based Exposure	कुल Total
1	कोयला /Coal	1088.88	690.71	1779.59
2	खदान /Mining	427.5	17.54	445.04
3	लोहा एवं इस्पात /Iron and Steel	9539.87	2367.20	11907.07
4	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद /Other Metal & Metal Products	938.18	287.43	1225.61
5	सभी इंजीनियरिंग कार्य /All Engineering	1935.65	1144.6	3080.25
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक /Of which Electronic	1159.58	35.46	1195.04
6	विद्युत /Electricity	1732.34	827.55	2559.89
7	सूती वस्त्र /Cotton Textiles	2103.12	149.83	2252.95
8	जूट वस्त्र /Jute Textiles	33.46	0.55	34.01
9	अन्य वस्त्र /Other Textiles	1537.79	156.38	1694.17
10	चीनी /Sugar	723.7	38.01	761.71
11	चाय /Tea	726.39	4.94	731.33
12	खाद्य प्रसंस्करण/Food Processing	1832.66	128.77	1961.43
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति/Vegetable Oils and Vanaspati	301.98	353.23	655.21
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद/Tobacco and Tobacco Products	187.49	1.69	189.18
15	कागज एवं कागज उत्पाद/Paper and Paper Products	667.13	80.92	748.05
16	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद/Rubber and Rubber Products	269.19	95.33	364.52
17	रसायन, डाइज, पेंट्स आदि/Chemicals,Dyes,Paints,etc.	2744.1	244.35	2988.45
17.1	इनमें से उर्वरक/Of which Fertilisers	107.37	1.38	108.75
17.2	इनमें से पेट्रो रसायन/Of which Petro-Chemicals	50.44	14.92	65.36
17.3	इनमें से औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स/ Of which Drugs and Pharmaceuticals	1263.4	77.1	1340.50
18	सीमेंट/Cement	876.77	92.2	968.97
19	चर्म एवं चर्म उत्पाद/Leather and Leather Products	128.33	6.14	134.47
20	रत्न एवं जवाहरात/Gems and Jewellary	716.85	88.74	805.59
21	विनिर्माण /Construction	3341.81	2381.44	5723.25
22	पेट्रोलियम/Petroleum	1154.77	6.52	1161.29
23	ऑटोमोबाइल, ट्रक सहित/Automobiles including Trucks	998.25	104.73	1102.98
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/Computer Software	585.43	113.43	698.86
25	बुनियादी सुविधाएं/Infrastructure	25501.48	2890.9	28392.38
25.1	इनमें से बिजली/Of which Power	12506.96	1540.33	14047.29
25.2	इनमें से दूरसंचार/Of which Telecommunications	2161.61	631.99	2793.60
25.3	इनमें से सड़क एवं बंदरगाह/Of which Roads and Ports	6719.01	446.79	7165.80
26	अन्य उद्योग /Other Industries	2603.99	1072.63	3676.62
27	एनबीएफसी एवं क्रय-विक्रय/NBFCs & Trading	8153.67	83.43	8237.10
	योग / TOTAL	**70850.78**	**13429.19**	**84279.97**

(घ)**(d) आस्तियों की अवशेष संविदात्मक परिपक्वता की समाप्ति / Residual contractual maturity breakdown of assets**

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग Total
जमा / Deposits	386.83	4086.77	3135.30	5509.25	35759.68	15369.75	31364.67	17549.02	1788.05	30328.28	145277.60
अग्रिम Advances	1274.84	1333.17	1394.60	817.84	9147.79	8254.47	9761.02	30522.64	13008.77	25045.83	100560.97
निवेश Investments	815.10	1394.97	976.48	1216.85	10291.72	3516.82	8356.05	5527.52	1059.09	9969.83	43124.43
ऋण Borrowings	40.42	63.38	98.18	0.00	84.70	204.47	136.93	736.88	671.40	3438.41	5474.77
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	393.36	955.99	213.71	632.36	2604.05	1717.11	2281.51	1120.06	619.02	466.18	11003.35
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	96.78	906.19	407.36	680.80	2447.11	1591.18	772.57	2046.36	337.92	1716.54	11002.81

तालिका डीएफ -5 TABLE DF-5

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग का प्रकटीकरण

Credit Risk : Disclosures for Portfolio subject to the Standardised Approach

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures:

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भारिता हेतु किया जाता है :

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) सीएआरई/CARE 2) सीआरआईएसआईएल/CRISIL 3) एफआईटीसीएच/FITCH 4) आईसीआरए/ICRA

(वर्णक्रम से सूचीबद्ध/Listed in alphabetical order)

- इस प्रयोजन हेतु उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारक एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
  There has been no change in the credit rating agencies used for the purpose.
- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है / Rating agencies have rated corporate exposures.
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 15/21.06.001/2010-11 दिनांक 4 जुलाई 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है ।
  In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular DBOD.No.B P. BC.15/21.06.001/ 2010-11 dated July 1, 2010.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर
Exposure after risk mitigation in Standardized Approach:

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

1)	100% से कम का जोखिम भार/Below 100% risk weight	50,606.79
2)	100% जोखिम भार / 100% risk weight	37,535.72
3)	100% से अधिक का जोखिम भार/More than 100% risk weight	7,599.70
4)	कटौती / Deduction	13,932.30
5)	**योग / TOTAL :**	**109,674.51**

तालिका डीएफ -6
TABLE DF-6
ऋण जोखिम
Credit Risk Mitigation

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures :

(क) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

Credit risk mitigation techniques - On Balance Sheet netting

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी अपेक्षा की गणना करता है कि-

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank -

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुचिंतित विधिक आधार है की इस बात के होते हुए भी कि-चाहे प्रति पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है या नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नोटिंग या ऑफ सेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) बैंक किसी भी समय उस काउंटार पार्टी के पास ऋण/अग्रिम एवं जमाराशि निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन हैं।

is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजरों पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और-अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में माना जाता है।

monitors and controls the relevant exposures on a net basis; Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - गारंटी

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

ii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए ।

Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी । इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भारवाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है ।

Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retains the risk weight of the underlying counterparty.

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए ।

Operational requirement for guarantees must be met.

iv) पात्र गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी ।

Range of eligible guarantors (counter guarantors)

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी :

Credit protection given by the following entities will be recognized:

क/a) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भारवाले प्राथमिक व्यापारी;

Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

ख/b) ए ए या उससे बेहतर रेटिंगवाली अन्य कंपनियां । इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो ।

Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है ।

Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। अतः आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

(b) Policies and processes for collateral Valuation and Manegement.

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति / Method of valuation of various types of securities :

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन / Valuation of Land and Building

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिक निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकनों से उसकी तुलना की जाएगी । उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा कराने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी ।

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा /The following points are taken into consideration:

i) निर्माण की प्रकृति / Nature of construction
ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती /Age of the building and its present strength
iii) किराया से होने वाली आय /Rental yield
iv) निर्धारित/प्रदत्त कर की राशि /Tax amount assessed/paid
v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र /Area of land and building
vi) निर्माण की लागत /Cost of construction
vii) जगह का मूल्य /Value of site

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन/Valuation of Movable Properties:

दृष्टिबंधकित/गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इन में से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) शेयरों का मूल्यांकन/Valuation of shares:

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है/Market value is calculated as below:

क) शेयर का विद्यमान बाजार मूल्य

a) Current market price of the share

ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों का, इसमें जो भी कम हो, औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य/पुनः क्रय कीमत या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, लिया जाए।

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) एल आई सी पालिसी का मूल्यांकन / Valuation of LIC Policy:

पालिसी का वर्तमान अम्यर्पण मूल्य/Present surrender value of the policy.

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है ।

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(क) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं -

(a) Main types of collateral taken by Bank are –

i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक

Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.

ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन

Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.

iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्यूचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना

Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds

iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन

Assignment of LIC Policies

v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार

Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts

vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

Pledge of NSCs/KVPs

(ख) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

(b) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी पर जोर डालता है -

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी,

Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,

ii) कार्पोरेट गारंटी/

Corporate Guarantee

iii) राज्य सरकार की गारंटी/

Guarantees of State Government

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है ।

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(ग) कमी के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना-

(c) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा क्रेन्द्रीकृत किया जाता है।

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी-खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से संपार्श्विकीकृत किया जाता है ।

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण /Quantitative disclosure:

मानक दृष्टिकोण के अधीन हेयरकट को लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कुल ₹13932.29 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- Rs 13932.29 cr.

तालिका डीएफ -8
TABLE DF-8

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम
Market Risk in Trading Book

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure :

1. **उद्देश्य एवं नीतियाँ / Objective & Policies:**

   निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु । इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई हैं ।

   To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया/Strategies and Processes:**

   यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है । विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

   Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. **संबंधित जोखिम प्रबंध कार्य की संरचना एवं संगठन/Structure and organization of the relevant risk management function:**

   निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं । इस समिति में कार्यपालक निदेशक, फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं । विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट आफिस, मिड आफिस एवं बैक आफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंध विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड अफिस के रूप में कार्य करता है।

   Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और /या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप/The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:**

   देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है ।

   Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. **जोखिमों से बचाव और / या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं: Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s mitigants:**

   बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाई रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिन-रात, रात-भर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूप से बैंक के भारतीय रुपयों में रात-भर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

   The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosures:

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता / Capital requirements for :	(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)
ब्याज दर जोखिम/Interest Rate Risk	471.73
ईक्विटी स्थिति जोखिम/Equity Position Risk	127.97
विदेशी मुद्रा जोखिम/Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ - 9
TABLE DF - 9
परिचालनगत जोखिम
Operational Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure :

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है-
The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
  Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना ।
  Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना ।
  Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

परिचालनगत जोखिम प्रबंध के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है -
The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- निदेशक मंडल/The Board of Directors
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)/Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (सीओआरएम)/Committee for Operational Risk Management (CORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध कक्ष (ओआरएमसी)/Operational Risk Management Cell (ORMC)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (बीओआरएम)/Business Operational Risk Managers (BORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध विशेषज्ञ (ओआरएमएस)/Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- जोखिम प्रबंध विभाग/Risk Management Department

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा, और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है ।
Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.
जोखिम की सूचना और / या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप /Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:
संगृहीत की जानेवाली रिपोर्ट और उनकी आवधिकता निम्नानुसार है/The reports that are collected and the periodicity is as follows:

संख्या No.	रिपोर्ट का नाम Name of the Report	आवधिकता Frequency
1	कपट की वार्षिक समीक्षा Annual Review of frauds	वार्षिक Yearly
2	आर्थिक दंड लगाने का विवरण Details of levy of penalties	वार्षिक Yearly
3	समीक्षा का अनुपालन Compliance of reviews	वार्षिक Yearly
4	व्यवसाय श्रेणी-वार और बेसल इवेन्ट प्रकार एवं स्तर के अनुसार विश्लेषित हानि आंकड़ा Loss Data analyzed business line-wise and as per Basel event types and levels.	छमाही Half yearly
5	प्रभाव-आवधिकता विश्लेषण मैट्रिक्स Impact-frequency analysis matrix	छमाही Half yearly
6	पाई गई और वसूली गई राजस्व हानि Revenue leakage detected and recovered	तिमाही Quarterly
7	विभिन्न लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की गंभीर अनियमितताओं का सार-परिचालनगत जोखिम संबंधी Gist of serious irregularities in various audit reports – operational risk related	तिमाही Quarterly

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है । निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है ।

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके ।

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

बैंक ने विभिन्न हानि इवेन्ट प्रकार कारोबार लाइन एवं विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बेसल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन, विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline – Implementation of New Capital Adequacy Framework".

तालिका डीएफ -10
TABLE DF-10

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure:

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी वीएआर का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक की निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंध समिति/जोखिम प्रबंध समिति द्वारा की जाती है ।

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार)
Quantitative disclosures : (As on 31st March, 2011)

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	– रु./Rs. 77.28 करोड़/Cr.
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	– 5.70% of **(टीयर - I + टीयर II पूंजी)** (Tier I +Tier II Capital)

Form "B"

UCO Bank

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)
Eighth Annual General Meeting
Dated July 14th, 2011

Regd. folio No. (if not Dematerialised)	
DP ID No. Client ID No. (if Dematerilesed)	

I/We __________________________________ resident/s of ___________________________________ in the district of ____________________ in the state of ______________ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. __________________________ resident of _________________________________ in the district of ___________________________ in the state of ________________________ or failing him, Shri/Smt. _____________________ resident of __________________________ in the district of _________________________ in the state of ________________ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Eighth Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Thursday the 14th July 2011 at 11.00 A.M. at EZCC, IB-201, Salt Lake, Sector-III, Kolkata-106 and at any adjournment thereof.

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signed this day of 2011

____
Signature of Proxy

Name :

Address :

____
Signature of first named / sole Shareholder

Instructions for Signing the Proxy form:

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 9th July, 2011.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

UCO BANK
ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

Date :

M/S. Karvy Computershare Private Ltd
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar,
Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number									
Name of the Bank (Full Name)									
Name of the Branch									
Full address of the Bank									
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank									
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)									
Account Number (as appearing on the cheque book)									

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/ Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder

फार्म "बी"

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

आठवीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 14 जुलाई, 2011

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डी. पी. पहचान सं. ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	

मैं/हम, ————————————————, निवासी————————————————, जिला————————,राज्य————————, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ————————————————————————————————————, निवासी ——————————————————, जिला ————————, राज्य————————, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती ————————————————, निवासी ————————, जिला ————————, राज्य ———————— को गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, आईबी-201, साल्ट लेक, सेक्टर - III, कोलकाता-700 106 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की **आठवीं वार्षिक आम बैठक** में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2011 के की तारीख को हस्ताक्षर किए गए

1/- रु. की रसीदी टिकट

____

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

____

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेशः

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वहः
   (क) किसी व्यष्टिक शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ख) संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ग) किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
2. कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
3. परोक्षी फार्म और
   (क) मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
   (ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 9 जुलाई, 2011 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
4. कोइ भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक **फार्म 'बी'** के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
5. बैक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
6. विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामलें मे एक से अनधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
7. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बै ठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
8. कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

यूको बैंक

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) -अधिदेश फार्म

दिनांक:

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद- 500081

प्रिय महोदय,

विषय : **ईसीएस अधिदेश**

उपर्युक्त के संदर्भ में मैं/हम सहर्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के विकल्प का प्रयोग करता हूँ /करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ /कर रहे हैं :

फोलियो सं.									
बैंक का नाम (पूरा नाम)									
शाखा का नाम									
बैंक का पूरा पता									
बैंक द्वारा आपूरित चेक के एमआईसीआर पट्टी									
पर उल्लिखित 9 अंकों की कूट संख्या									
खाते का प्रकार(बचत/चालू /नकदी ऋण)									

खाता संख्या (चेक बुक पर यथाउल्लिखित)

(कृपया बैंक का नाम,शाखा एवं कूट संख्या की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विधिवत निरस्त किए गए अपने बैंक के चेक की एक ज़ेरोक्स प्रति संलग्न करें)।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य सूचना के कारण लेनदेन में देर होती है तो मैं /हम कंपनी/रजिस्ट्रार को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे। मैं/हम उक्त योजना के अधीन सहभागी के रूप में मुझसे/हमसे अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने का करार करता/करती हूँ /करते हैं ।

फोलियो सं.	रजिस्ट्रीकृत धारक का (के) नाम	प्रथम धारक के हस्ताक्षर

यूको बैंक / UCO Bank

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

दिनांक : गुरुवार, 14 जुलाई 2011

स्थान : इजेडसीसी, आइबी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 106

Date : Thursday, 14th July 2011,

Venue : EZCC,IB, 201, Salt Lake, Kolkata - 700 106

मैं एतद्द्वारा बैंक की आटवीं वार्षिक वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।
I hereby record my presence at the Eighth Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियों / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

---

उपस्थिति पर्ची / Entry Pass

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be retained throughout the meeting)

शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियों / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

नोट : बैठक के समय कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं दिए जाएंगे। कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएं।
Note : No gift/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring your copy of the enclosed Annual Report.

मत पत्र जारी करने हेतु इसे मतदान काउंटर पर जमा करें
To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper

शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियों / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

बुक पोस्ट

Book Post

सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

Design and Printed by : Swapna Printing Works Pvt. Ltd. email : office@swapnaprinting.com